

लोक-सभा वाद-विवाद  
का  
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION  
OF  
4th  
LOK SABHA DEBATES**

[ छठा सत्र  
Sixth Session ]



[ खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं  
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31 ]

लोक-सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
**LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI**

## विषय-सूची/CONTENTS

**अंक 30-गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1968/28 अग्रहायण, 1890 (शक)**

*No. 30 - Thursday December 19, 1968/Agrahayana 28, 1890 (Saka)*

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

| सा. प्र. संख्या/S. Q. Nos.              | विषय<br>Subject  | पृष्ठ/Pages |
|---|--|-------------|
| 841                                     | हरी खाद तथा उर्वरकों की मांग<br>Requirements of Green Manure and Fertilizers   | 1-3         |
| 843                                     | उत्तर प्रदेश सर्किल में टेली-फोन कनेक्शन<br>Telephone Connections in U.P. Circle   | 3-6         |
| 844                                     | टेलीफोन राजस्व सम्मेलन की सिफारिशों की क्रिया-न्विति<br>Implementation of Recommendations of the Telephone Revenue Conference    | 6-7         |
| 845                                     | निर्वाचन के दौरान मंत्रियों द्वारा धन खर्च किये जाने पर प्रतिबन्ध<br>Restrictions on spending Money during Election by Ministers | 7-12        |
| 846                                     | सुपर बाजार दिल्ली<br>Super Bazar Delhi   | 12-14       |
| 847                                     | निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन<br>Amendment to Conduct of Election Rules  | 15-17       |
| <b>अ. सू. प्र. संख्या/S. N. Q. Nos.</b> |  |             |
| 45                                      | राजस्थान में नांमाकन अधिवक्तियों का<br>Enrolment of Advocates in Rajasthan   | 17-20       |

### प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

| सा. प्र. सं./S. Q. Nos. |  |    |
|-------------------------|--|----|
| 842                     | हरिजनों, आदिम जातियों, तथा पिछड़े वर्गों के शीघ्र विकास के लिए योजना<br>Plan for rapid development of Harijan's Tribals and Backward Classes | 21 |
| 848                     | चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता<br>Subsidy for Export of Sugar  | 21 |

\* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

\*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.



| ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.<br>प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी  | विषय<br>/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-C   | Subject | पृष्ठ/ Pages<br>Contd. |
|--|---|---------|------------------------|
| 849 हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमि-<br>टेड  | Hindustan Teleprinters' Limited   |         | 21-22                  |
| 850 कालकाजी नई दिल्ली में<br>पूर्वी पाकिस्तान के विस्था-<br>पित व्यक्तियों को प्लोटों<br>का अलाट किया जाना                     | Allotment of plots to Displaced persons from<br>East Pakistan in Kalkaji, New Delhi                                     |         | 22                     |
| 851 उत्तर प्रदेश में पंचायतों के<br>चुनाव  | Panchayat Elections in U.P.   |         | 22-23                  |
| 852 कोयला खनन उद्योग द्वारा<br>मजदुरी बोर्ड की सिफा-<br>रिशों की क्रियान्विति  | Implementation of the recommendations of<br>the Wage Board by Coal Mining Industry...                                   |         | 23                     |
| 853 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित<br>आदिम जातियों के लिए<br>लोक सभा/विधान सभाओं<br>में स्थानों के आरक्षण की<br>अवधि का बढ़ाया जाना | Extension of Period of Reservation of Seats<br>in Lok Sabha and Assemblies for Scheduled<br>Castes and Scheduled Tribes |         | 23-24                  |
| 854 सुपर फास्फेट का उत्पादन<br>और आयात   | Production and Import of superphosphate   |         | 24                     |
| 855 उपस्थिति बोनस योजना  | Attendance Bonus Scheme   |         | 24-25                  |
| 856 पश्चिमी बंगाल में पटसन<br>मिलों में छूटनी  | Retrenchment in Jute Mills in West Bengal   |         | 25                     |
| 857 मत पेटियों का निर्माण  | Manufacture of Ballot Boxes   |         | 25-26                  |
| 858 उत्तर प्रदेश में गो वध   | Slaughtering of Cows in U.P.  |         | 26                     |
| 859 जिला रामपुर (उ. प्र.) में<br>गोवंश के पशुओं का वध  | Slaughtering of Bovine Cattle in District<br>Rampur (U.P.)  |         | 26-27                  |
| 860 राजस्थान से भारी संख्या<br>में पशुओं को अन्य स्थानों<br>में ले जाना  | Exodus of Cattle from Rajasthan   |         | 27                     |
| 861 कर्मचारी भविष्य निधि संग-<br>ठन  | Employees Provident Fund Organisation   |         | 27                     |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 862 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक अशान्ति   | Industrial Unrest in Public Sector Undertakings   | 28    |
| 863 दिल्ली में राशन की दुकानों से चावल की सप्लाई  | Supply of Rice through Ration Shops   | 28    |
| 864 आसनसोल तथा दुर्गापुर में भूमि का घंसना  | Subsidence in Asansol and Durgapur Areas  | 29    |
| 865 आसनसोल में भूमि घंसना   | Subsidence in Asansol   | 29    |
| 866 राज्यों को सहायता अनुदान  | Grants-in-Aid to States   | 29-30 |
| 867 चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि   | Rise in Cost of Sugar Production  | 30    |
| 868 अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति  | Appointment of more Election Commissioners  | 30-31 |
| 869 कपास का उत्पादन   | Cotton Production   | 31-32 |
| 870 विकलांगों के सुयोग्य नियोजक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार   | National Awards for Outstanding Employees of Physically Handicapped   | 32    |
| <b>प्रश्ना. प्र. सं. /U. S. Q. Nos.</b>   |   |       |
| 5056 बन संसाधनों का पूंजी नियोजन-पूर्व सर्वेक्षण  | Pre-Investment Survey of Forest Resources   | 32    |
| 5057 राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के काम की तथा सेवा की शर्तों का अध्ययन | Study by the National Commission on Labour Committee of the working and Service Conditions of Sweepers and Scavengers | 32-33 |
| 5058 मध्य प्रदेश में अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों का छात्रवृत्तियां  | Low Income Group Scholarships to students in Madhya Pradesh   | 33    |
| 5059 मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें  | Sugar Mills in Madhya Pradesh   | 33-34 |
| 5060 रतलाम में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी  | P & T Employees at Ratlam   | 34-35 |

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 5061 रतलाम के डाक तथा तार कर्मचारी   | P & T Employees at Ratlam   | 35    |
| 5062 नई दिल्ली स्थित कालकाजी बस्ती में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाना | Settlement of East Pak. Displaced persons in Kalkaji Colony, New Delhi                      | 35-36 |
| 5063 मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डाकघर   | Post offices in Gram Panchayats of Madhya Pradesh   | 36    |
| 5064 मध्य प्रदेश में डाक तथा तारघर, टेलीफोन केन्द्र आदि                                  | P and T Offices, Telephone Exchanges etc. in Madhya Pradesh                                 | 37    |
| 5065 राज्यों को उर्वरकों का नियतन और उसकी खपत  | Allocation and consumption of Fertilizers in States   | 37    |
| 5066 भारतीय खाद्य निगम को अनाज की सप्लाई के लिये भुगतान रोक लेना                         | Withholding of payments for supply of food-grains to food corporation of India...           | 37-38 |
| 5067 मॉडर्न बेकरोज (इंडिया) लिमिटेड  | Modern Bakeries (India) Ltd.  | 38-39 |
| 5068 जम्मू-काश्मीर के रिटर्निंग अफसर के विरुद्ध कूट रचना और साक्ष्य गढ़ने के आरोप        | Charges of forgery and fabrication of evidence against Returning officer, Jammu and Kashmir | 39-40 |
| 5069 मरुस्थल में खेती कराने का कार्यक्रम   | Desert Reclamation programme  | 40-41 |
| 5070 विदेशों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी                  | Scheduled Caste/Scheduled Tribe students studying Abroad                                    | 41    |
| 5071 गुजरात को ट्रैक्टरों की सप्लाई  | Supply of Tractors to Gujrat  | 41-42 |
| 5072 मद्रास सरकार को गेहूं और चीनी का नियतन  | Allocation of wheat and sugar to Madras Government  | 42    |

|      |   |  |       |
|------|---|--|-------|
| 5073 | सेन चीनी जांच आयोग  | Sen Sugar Enquiry Commission                             | 42-43 |
| 5074 | निजाम शूगर फैक्टरी,<br>आंध्र प्रदेश                                       | Nizam Sugar Factory, Andhra Pradesh                      | 43    |
| 5075 | चीनी के मूल्य निर्धारित<br>करने के लिए 'जोन'                              | Zones for determining Sugar Prices                       | 43-44 |
| 5076 | गन्ने की खेती की लागत   | Cost of sugarcane cultivation                            | 44-45 |
| 5077 | सफाई के काम में जागीर-<br>दारी पद्धति का उन्मूलन                          | Eradication of Jagirdari System in Scavenging            | 45    |
| 5078 | अन - अधिसूचित आदिम<br>जातियों तथा अनुसूचित<br>आदिम जातियों को<br>रियायतें | Concession to De-Notified Tribes and Scheduled Tribes    | 45-46 |
| 5079 | कोयला खानों द्वारा आदर्श<br>स्थायी आदेश अपनाना                            | Adoption of Model Standing orders by Coal Mines          | 46    |
| 5080 | कृषि उद्योग निगम  | Agro Industries Corporation                              | 46-47 |
| 5081 | भांसी डिब्बोजन में बेरोज-<br>गारी   | Unemployment in Jhansi Division in U.P.                  | 47-48 |
| 5082 | वर्ष 1968-69 में आसाम<br>में आदिवासियों के कल्याण<br>कार्यों पर व्यय      | Expenditure on Tribal Welfare in Assam during 1968-69    | 48    |
| 5083 | मैसूर राज्यों को उपहार<br>के गेहूं का तथा खाद्य<br>पदार्थों की सप्लाई     | Supply of free Gift wheat and Food Articles to Mysore    | 48-49 |
| 5084 | धातु से बनाये गये गोदाम   | Metal Storage Structures                                 | 49-50 |
| 5085 | खाद के रूप में पशुओं के<br>रक्त का प्रयोग                                 | Use of Animal Blood as Manure                            | 50    |
| 5086 | डाक दरों की वृद्धि का<br>छोटे समाचारपत्रों पर<br>प्रभाव                   | Effect of increase of Postal Charges on small Newspapers | 50    |
| 5087 | उड़ीसा को पम्पिंग सेटों<br>की सप्लाई                                      | Supply of pumping sets to Orissa                         | 50-51 |

| अता. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.  | विषय   | Subject   | पृष्ठ/Pages |
|---|--|---|-------------|
| <b>प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.</b> |  |   |             |
| 5088  | मछली पालन संसाधनों का विकास                                      | Development of Fisheries Resources ...                                | 51          |
| 5089  | मछली उद्योग का विकास   | Development of fishing Industry ...                                   | 52          |
| 5090  | होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन स्थगन करना       | Postponement of Election to Hoshiarpur Parliamentary Constituency ... | 52          |
| 5091  | दिल्ली और जयपुर के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था | Direct Dialling system ...  | 52-53       |
| 5092  | चुनाव कार्य के लिये सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस लेना    | Withdrawal of jeeps from C.D. Blocks...                               | 53          |
| 5093  | हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्स लिमिटेड                              | Hindustan Teleprinters, Limited ...                                   | 53-54       |
| 5094  | हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड                               | Hindustan Teleprinters, Limited ...                                   | 54          |
| 5095  | हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड                               | Hindustan Teleprinters, Limited ...                                   | 54-55       |
| 5096  | केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड                             | Central Fishiries Corporation Ltd. ...                                | 55-56       |
| 5097  | सहकारी समितियों का विकास   | Development of cooperatives ...                                       | 56-57       |
| 5098  | आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई                                     | Wheat suppty to Flour Mills ...                                       | 57          |
| 5099  | भाण्डागारों का निर्माण   | Construction of Warehouses ..   | 57-58       |
| 5100  | मोडर्न बैकरी, मद्रास   | Modern Bakery, Madras ...   | 58          |
| 5101  | टेलीफोन के बारे में शिकायतें                                     | Complaint regarding a Telephone in Bombay —                           | 58-59       |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 5102 मुख्य डाक घर बम्बई में चौकीदारों के लिये ड्यूटी के लम्बे घंटे                              | Long Duty Hours for Chowkidars at Bombay General Post Office .. ...                   | 59    |
| 5103 बेरोजगार डिप्लोमाधारी इंजीनियरिंग  | Unemployed Engineers and Diploma Holders  | 59-60 |
| 5104 डाक तथा तार कर्मचारियों के संघों को दी गई मान्यता का वापिस लिया जाना                       | Withdrawal of Recognition of P & T Employees Unions ... ..                            | 60    |
| 5105 शुद्ध घी का उत्पादन  | Production of pure Ghee ... ..  | 60-61 |
| 5106 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्राप्ति  | Milk procurement by D.M.S. ... ..   | 61-62 |
| 5107 उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिवों के पारिश्रमिक   | Emoluments of Panchayat Secretaries in U.P....  | 61    |
| 5108 इंजीनियरी तथा मैडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित भादिम जातियों के विद्यार्थी | Scheduled castes and scheduled tribe students in Engineering and Medical Colleges ... | 62    |
| 5109 डाक की छंटनी के लिये स्वचालित मशीनें लगाना   | Introduction of Automation in Sorting of Mail   | 62    |
| 5110 जिला बुलन्द शहर में भूमि का बेचा जाना  | Sale of land in district Bulandshahr .. ...   | 62-63 |
| 5111 राज्यों में डाक तार मंत्रणा समितियां   | P & T consultative Committees in States ...   | 63-64 |
| 5112 टेलीफोन लगवाने में कठिनाइयां   | Difficulties in Getting Telephone Connections   | 64-65 |
| 5113 पश्चिम बंगाल में अनाज का उत्पादन तथा समार  | Production and procurement of cereals in West Bengal ... ..                           | 65    |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 5114 मेहसाना (गुजरात) की दूध सागर डेरी द्वारा दिल्ली को दूध की सप्लाई                              | Supply of Milk to Delhi by Dudh Sagar Dairy of Mehsana (Gujarat)                       | 66    |
| 5115 छोटा नागपुर के पंचायत राज योजना   | Panchayat Raj Schemes in Chhota Nagpur   | 66    |
| 5116 आदिवासियों के लिये ऋण की सुविधाएँ   | Credit Facilities for Tribal Schemes in M.P.   | 67    |
| 5117 बुलन्दशहर में गेहूँ का समाहार   | Wheat procurement in Bulandshahr   | 67    |
| 5118 जलपाईगुडी के बाढ़ग्रस्त निवासियों में गायों का वितरण  | Distribution of cows among the flood affected people of Jalpaiguri                     | 67    |
| 5119 हिन्दी में लिखे मनीआर्डर का वितरण न किया जाना   | Non-delivery of a Money order in Hindi   | 68    |
| 5120 भारत के मानचित्र श्रृंखला में जारी किये गये डाक टिकट  | Postal stamps issued in the Map of India series  | 68    |
| 5121 सेंटलमेंट अफसर की मृत्यु  | Death of a settlement officer  | 68-69 |
| 5122 त्रिपुरा में प्लाईवुड का कारखाना  | Plywood Factory in Tripura   | 69-70 |
| 5123 1967 के ग्राम चुनावों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कक्षों के निर्माण के लिये लेखपालों को भुगतान | Payment for the construction of Election Booths in U.P. during General Elections, 1967 | 70    |
| 5124 दिल्ली में महिलाओं का अनेतिक पण्य   | Immoral Traffic in Women in Delhi  | 70-71 |
| 5125 चौथी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों की श्रद्धि   | Promotion of commercial crops under Fourth Plan  | 71    |

|      |  |  |       |
|------|--|--|-------|
| 5126 | कृषि उत्पाद बिक्री समिति,<br>बुलन्दशहर   | Agricultural Produce Market Committee,<br>Bulandshahr                              | 71-72 |
| 5127 | उत्तर प्रदेश में किसानों<br>द्वारा मकई की बिक्री                                   | Sale of Maize by Farmers in U.P.   | 72    |
| 5128 | रुई विकास परिषद् बम्बई   | Cotton Development council, Bombay.  | 72-73 |
| 5129 | अखिल भारतीय बीमा<br>कर्मचारी संस्था की<br>मान्यता का रद्द किया<br>जाना             | De-recognition of All India Insurance Employees,<br>Association                    | 74    |
| 5130 | गिर शेरों की संख्या में<br>कमी   | Gir Lions  | 74-75 |
| 5131 | भ्रष्ट आचरण के आधार<br>पर निर्वाचन लड़ने के<br>लिए अभ्यर्थियों को<br>दिवर्जित करना | Debarring of candidates to contest Elections<br>on the grounds of corrupt practice | 75-76 |
| 5132 | विदेशों से आयातित उर्व-<br>रकों का बिहार में बिना<br>बिके पड़ा रहना                | Fertilizers imported from Abroad lying unsold<br>in Bihar                          | 76    |
| 5133 | विसाखापटनम की पहा-<br>ड़ियों में काफी बागान<br>के लिए भूमि                         | Land for Coffee plantation in hills of Visakha-<br>patnam                          | 76-77 |
| 5134 | मनीपुर एपेक्स मार्केटिंग<br>कोऑपरेटिव सोसायटी                                      | Manipur Apex Marketing Cooperative Society   | 77-78 |
| 5135 | मध्य प्रदेश में आयकर<br>न्यायाधिकरण की बेंच  | Income-tax Tribunal Bench in M.P.  | 78-79 |
| 5136 | रूस से ट्रैक्टरों का आयात  | Import of Tractors from USSR   | 79    |
| 5137 | हरिजनों के साथ व्यवहार   | Treatment meted out to Harijans  | 79-80 |
| 5138 | विश्व बैंक के अध्यक्ष के<br>साथ कृषि के सम्बन्ध में<br>चर्चा                       | Discussions with the World Bank President on<br>Agriculture                        | 80    |



|  |   |       |
|--|---|-------|
| 5139 सस्ते तथा अधिक उत्पादकता हलों को इस्तेमाल में लाना                                      | Introduction of Cheaper and more Productive Plough                                | 80    |
| 5140 मधुबनी डाक घर (बिहार)   | Madhubani Post Office (Bihar)   | 80-81 |
| 5141 मजदूर संघों की सदस्यता  | Membership of Trade Unions  | 81    |
| 5142 भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का पुनर्गठन   | Revival of Indian Central Cotton Committee...                                     | 82    |
| 5143 कारखानों के मुख्य निरीक्षकों का सम्मेलन   | Conference of Chief Inspectors of Factories                                       | 82-83 |
| 5144 भिक्षावृत्ति का उन्मूलन   | Eradication of Beggary  | 83    |
| 5145 संवैधानिक उपबन्धों के निर्वचन पर पुनर्विलोकन करने के लिए (मशीनरी) व्यवस्थातंत्र का सृजन | Creation of a Machinery to review the Interpretation of constitutional provisions | 83-84 |
| 5146 पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी  | Unemployment in West Bengal   | 84    |
| 5147 पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाना  | Installation of tube wells in West Bengal   | 84-85 |
| 5148 पश्चिमी बंगाल को चीनी तथा खाण्डसारी का नियतन  | Allotment of Sugar and Khandsari to West Bengal                                   | 85    |
| 5149 उत्तर प्रदेश में खण्ड बीज फार्म   | Block seed Farms in U.P.  | 85    |
| 5150 उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र   | Automatic telephone Exchanges in U.P.   | 86    |
| 5151 उत्तर प्रदेश की चीनी की आवश्यकता  | U.Ps' Requirement for Sugar   | 86-87 |
| 5152 कांडला उर्वरक परियोजना के स्थापना स्थान का परिवर्तन                                     | Change of Location of Kandla Fertilizers Project                                  | 87    |

| प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/U. S. Q. Nos.                   | विषय<br>Subject   | पृष्ठ/Pages |
|--|---|-------------|
| 5153 दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के डिपो के अंशकालिक कर्मचारी  | Part time employees at Milk Depots of Delhi Milk Scheme       | 87-88       |
| 5154 दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं के कर्मचारियों के वेतन     | Salaries of Employees of Milk Depots of DMS                   | 88          |
| 5155 राजस्थान के लिये छोटी सिंचाई योजनाएं                    | Minor Irrigation Schemes for Rajasthan                        | 88-89       |
| 5156 राजस्थान में डाक तथा तार संसाधनों का विस्तार            | Expansion of means of Communications                          | 89-90       |
| 5157 सूरतगढ़ और जेतसर (राजस्थान कृषि फार्म)                  | Agricultural Farm Suratgarh and Jetar Rajasthan               | 90-91       |
| 5158 अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये बृहद योजना              | Master Plan for Grow More Food Campaign                       | 91          |
| 5159 एटा (उत्तर प्रदेश) में जमीन के प्लोटों के पट्टे         | Lease of plots in Etah (U.P.)                                 | 91          |
| 5160 हरियाणा में बूचडखाना खोलने के विरुद्ध प्रदर्शन          | Demonstration Against setting up a Slaughter House in Haryana | 91-92       |
| 5161 मिदनापुर पश्चिमी बंगाल के निर्वाचन में कांग्रेस अधिवेशन | Congress Elections Meetings in Madnapur West Bengal           | 92          |
| 5162 गांधी शताब्दी के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रम            | Social Welfare Programme during Gandhi Centenary              | 92          |
| 5163 मनुष्यों पर आलू के हानिकर प्रभाव                        | Harmful effects of Potatos on human beings                    | 93          |
| 5164 कृषि पर आधारित उद्योग                                   | Agro Based Industries   | 93          |
| 5165 मुगलसराय में टेलीफोन केन्द्र इमारत                      | Telephone Exchange Building at Mughal Sarai                   | 93-94       |
| 5166 गांवों तथा छोटे कस्बों में तार की सुविधायें             | Telegraph Facilities to villages and Small Towns              | 94          |

| क्र. संख्या/ U. S. Q. Nos.  | विषय  | Subject   | पृष्ठ/ Pages |
|---|---|---|--------------|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd. |   |   |              |
| 5167  | मुगलसराय के निकट तार और टेलीफोन सुविधायें   | Telegraph and Telephone Facilities near Mughal Sarai                                      | 94           |
| 5168  | समाज कल्याण सम्बन्धी अनौपचारिक समिति  | Informed consultative committees social Welfare   | 95           |
| 5169  | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों की समाप्ति        | Abolition of Regional Offices of Commissioner of Scheduled castes and Scheduled Tribes    | 95           |
| 5170  | भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जत नगर  | Indian Veterinary Research Institute Izatnagar  | 95-96        |
| 5171  | उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में आदिवासी युवतियों की निलामी            | Auction of young adivasi women in villages of Hilly regions in U.P.                       | 96           |
| 5172  | औद्योगिक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों  | Scheduled castes and Scheduled Tribes in training institutes                              | 96-97        |
| 5173  | बुलन्दशहर की कृषि उत्पाद विपणन समिति  | Agricultural produce marketing society, Bulandshahr                                       | 97           |
| 5174  | पंजाब में दुग्ध संयंत्र   | Milk Plants in Punjab   | 97           |
| 5175  | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्वदेश लौटे हुए लोगों को बसाने के लिये विकास निगम  | Development corporations for Rehabilitation of repatriates in Andaman and Nicobar Islands | 98           |
| 5176  | भारत के खाद्य निगम का अध्यक्ष   | Chairman of the food corporation of India   | 98           |
| 5177  | त्रिपुरा में भू सुधार कार्य   | Land reforms in Tripura   | 98-99        |
| 5178  | पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा श्रम अधिकारी को रजिस्टर दिखाने से इन्कार करना | Refusal by the Management of Patmohna colliery to show Registers to Labour Officers       | 99           |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| 5179 पाटमोहाना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा औद्योगिक संबंध विभाग के साथ असहयोग | Non-cooperative by the Management of Patmohana colliery with the Industrial Relations department | 99      |
| 5180 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां           | Scholarships to scheduled Caste/Scheduled Tribe Students   | 9 -100  |
| 5181 बिहार के मतदाता   | Voters in Bihar  | 100-101 |
| 5182 अधिक दूध देने वाले पशुओं का संरक्षण   | Preserve of High Yielding Milch Cattle   | 101     |
| 5183 पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र  | Panchayat Raj Training centres   | 101-102 |
| 5184 बिनौले के तेल के उत्पादन के लिए बिनौलों का प्रयोग                           | Utilisation of cotton seeds for production of cotton seeds oil                                   | 102     |
| 5185 भंजरपुर (बिहार) में खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोप                       | Allegations against Block Development Officer, Jhanjarpur (Bihar)                                | 102     |
| 5186 बिहार के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माइलो की काले बाजार में बिक्री           | Sale of Milo in Blackmarket by a Block Development Officer in Bihar                              | 103     |
| 5187 राजभाषा (विधायी) आयोग   | Official Languages (Legislative) Commission  | 103-104 |
| 5188 पौड़ी गढ़वाल में तारों और मनीआर्डरों के देर से पहुँचने के बारे में शिकायतें | Complaints regarding late delivery of Telegrams and Money Orders in Pauri Garhwal                | 104     |
| 5189 डेलचौड़ी, डाकघर पौड़ी गढ़वाल में डाक स्टेशनरी की कमी                        | Lack of postal stationery in Delchouri Post Office, Pauri Garhwal                                | 104-105 |
| 5190 डेलचौड़ी (पौड़ी गढ़वाल) शाखा डाकघर को उप-डाकघर बनाना                        | Conversion of delchouri (Pauri Garhwal) Branch Post Office into Sub-Post Office ...              | 105     |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 5191 दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आशु लिपि पाठ्यक्रम के लिये दाखिला  | Admission for stenographic course in Industrial Training Institutes, Delhi | 105     |
| 5192 आशु लिपि प्रशिक्षकों की पदोन्नति   | Promotion of stenography instructions                                      | 106     |
| 5193 दिल्ली के रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे गये स्टेनोग्राफरों के पद         | Vacancies of stenographers filled through Delhi Employment Exchanges       | 106-107 |
| 5194 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को दीर्घ-वकाश का लाभ                | Vacation benefit to teachers in the Industrial Training Institute          | 107     |
| 5195 नई दिल्ली स्थित कालकाजी बस्ती में कार्य करने के लिये भारत सेवक समाज को सविदा | Contract to Bharat Sewak Samaj for work in Kalkaji Colony, New Delhi       | 107-108 |
| 5196 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर            | Staff Quarters for Staff of Industrial Training Institute, Delhi           | 108     |
| 5196 केरल से पांडीचेरी में टेपियों का आयात  | Import of Tapioca into Pondichery from Kerala                              | 108-109 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना                                   | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance                    | 109     |
| पश्चिमी बंगाल में निर्वाचन सभाओं में गड़बड़                                       | Disturbances at election meetings in West Bengal                           | 109-113 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र   | Papers Laid on the Table   | 113-116 |
| अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक के बारे में राय                     | Opinions Re. All India Ayurvedic Medical Council Bill                      | 116     |
| याचिका समिति  | Committee on Petitions   | 116     |
| (एक) कार्यवाही सारांश   | (1) Minutes  | 116     |

| विषय   | Subject  | पृष्ठ/Pages |
|--|--|-------------|
| (दो) चौथा प्रतिवेदन  | Fourth Report  | 117         |
| (तीन) साक्ष्य  | Evidence   | 117         |
| राज्य सभा से संदेश   | Messages from Rajya Sabha  | 116         |
| प्राक्कलन समिति  | Estimates Committee  | 117         |
| 63 वां प्रतिवेदन   | Sixth-third Report   | 117         |
| रूस के शिष्ट मंडल की यात्रा के बारे में बक्तव्य  | Statement re visit of Soviet Delegation  | 117         |
| श्री फखरुद्दीन अली अहमद  | Shri F.A. Ahmed  | 117         |
| नियम 377 के अन्तर्गत मामला   | Matter under Rule 337  | 118         |
| सभा की कार्यवाही   | Proceedings of the House   | 118         |
| श्री ही. ना. मुकर्जी   | Shri H N. Mukerjee   | 118         |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण  | Shri Y.B. Chavan   | 119         |
| भारतीय बंड संहिता (संशोधन) विधेयक  | Indian Penal Code (Amendment) Bill..   | 120         |
| प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय बढ़ाना   | Extension of time for presentation of Report Select Committee                                    | 120         |
| महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में  | Re. Death of Mahatma Gandhi  | 120         |
| विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में  | Re Question of Privilege   | 121         |
| केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलो को वापिस लेने के सम्बन्ध में केरल सरकार के कथित निर्णय के बारे में | Re; Kerala Government's Reported Decision to withdraw cases against Central Government Employees | 121-123     |
| नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन)   | Legislative Assembly of Nagaland (Change in Representation) Bill                                 | 123         |
| विचार करने का प्रस्ताव   | Motion to consider   |             |
| श्री सुरेन्द्रपाल सिंह   | Shri Surendrapal Singh   |             |
| श्री रंगा  | Shri Ranga   |             |

|                              |                                |         |
|------------------------------|--------------------------------|---------|
| श्री रणधीर सिंह              | Shri Randhir Singh             |         |
| खंड 2 से 5 और 1              | Clauses 2 to 5 and 1           | 129     |
| पारित करने का प्रस्ताव       | Motion to Pass                 | 129     |
| श्री वी. कृष्णामूर्ति        | Shri V. Krishnamoorthy         | 129     |
| श्री ओंकार लाल बोहरा         | Shri Onkar Lal Bohra           | 129     |
| श्री कंवर लाल गुप्त          | Shri Kanwar Lal Gupta          | 130     |
| श्री रा. बरुआ                | Shri R. Barua                  | 130-131 |
| श्री एस. एम. जोशी            | Shri S.M. Joshi                | 131     |
| श्री चन्द्रजीत यादव          | Shri Chandra Jeet Yadav        | 131     |
| श्री एम. मेघचन्द्र           | Shri M. Meghachandra           | 131     |
| श्री शिव नारायण              | Shri Sheo Narain               | 132     |
| श्री क, लकप्पा               | Shri K. Lakkappa               | 132     |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री      | Shri Prakash Vir Shastri       | 132     |
| श्री सुरेन्द्र पाल सिंह      | Shri Surendra Pal Singh        | 132-134 |
| भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक | Indian Tariff (Amendment) Bill | 134     |
| विचार करने का प्रस्ताव       | Motion to consider             | 134     |
| श्री मुहम्मद शफी कुरेशी      | Shri Mohd. Shaffi Qureshi      | 134     |
| श्री लोबो प्रभु              | Shri Lobo Prabhu               | 136     |
| श्रीमती तारा सप्र            | Shrimati Tara Sapre            | 137     |
| श्री स. मो. बनर्जी           | Shri S.M. Banerjee             | 137     |
| श्री नरेन्द्र सिंह महीडा     | Shri Narendra Singh Mahida     | 138     |
| श्री श्रीचन्द गोयल           | Shri Shri Chand Goyal          | 138     |
| श्री राजा राम                | Shri Rajaram                   | 138     |
| श्री श्रीनिवास मिश्र         | Shri Srinibas Misra            | 139     |
| श्री चेंगलराया नायडू         | Shri Chengalraya Naidu         | 139     |

| विषय   | Subject  | पृष्ठ / Pages |
|--|--|---------------|
| श्री शिवचन्द्र झा  | Shri Shiva Chandra Jha   | 140           |
| छंड 2 और 1   | Clauses 2 and 1  | 143           |
| पारित करने का प्रस्ताव   | Motion to pass   | 143           |
| श्री श्रीनिवास मिश्र   | Shri Srinibas Misra  | 143           |
| सभा के कार्य के बारे में   | Business of the House  | 143           |
| बिहार के सम्बन्ध में उद्घोषणा जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प                  | Statutory Resolution re continuance in force of proclamation in relation to Bihar- Adopted | 144           |
| श्री यशवन्त राय चव्हाण   | Shri Y.B. Chavan   | 144           |
| श्री बेणी शंकर शर्मा   | Shri Beni Shanker Sharma   | 145           |
| श्री मृत्युञ्जय प्रसाद   | Shri Mrityunjay Prasad   | 146           |
| डा० सूर्य प्रकाश पुरी  | Dr. Surya Prakash Puri   | 147           |
| श्री फ. गो. सेन  | Shri P.G. Sen  | 148           |
| श्री सरजू पांडेय   | Shri Saroj Pandey  | 148           |
| श्री कार्तिक उरांव   | Shri Kartik Oraon  | 149-150       |
| श्री राम चरण   | Shri Ram Charan  | 150-151       |
| श्री शिवचंडिका प्रसाद  | Shri Shiva Chandika Prasad   | 151           |
| श्री कामेश्वर सिंह   | Shri Kameshwar Singh   | 152           |
| निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम रद्द करने के बारे में प्रस्ताव-अस्वीकृत हुआ | Motion re. annulment of conduct of elections (Second Amendment) Rules Negatived            | 154           |
| श्री श्रीनिवास मिश्र   | Shri Shrinibas Misra   | 154-155       |
| श्री गोविन्द मेनन  | Shri Govinda Menon   | 155-156       |
| श्री श्रीचन्द गोयल   | Shri Shri Chand Goyal  | 156           |
| नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा   | Discussion under Rule 193  | 157           |



| विषय  | Subject   | पृष्ठ/Page |
|---|---|------------|
| जांच समिति (इस्पात के सौदे)<br>का प्रतिवेदन | Report of Committee of Inquiry (Steel Transactions) |            |
| श्री मधु लिमये                              | Shri Madhu Limaye                                   | 157        |
| श्री श्री जी. मो. विस्वास                   | Shri J. M. Biswas                                   | 158-160    |
| श्री प्र. चं. सेठी                          | Shri P. C. Sethi                                    | 160        |
| श्री अब्दुल गनी दार                         | Shri Abdul Ghani Dar                                | 160        |
| श्री हरदयाल देवगुण                          | Shri Hardayal Devgun                                | 160        |

---

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)  
LOK-SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा  
LOK-SABHA

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1968/ 28 अग्रहायण, 1890 (शक)  
*Thursday, December 19, 1968/Agrahayana: 28, 1890 (Saka)*

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई  
*Lok-Sabha met at Eleven of the Clock*

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }  
{ Mr. Speaker in the Chair }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर  
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हरी खाद तथा उर्वरकों की मांग

+  
●841. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :  
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या खाद तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रत्येक वर्ष कितनी हरी खाद की मांग है और इस समय यह खासतौर पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त मांग को पूरा करने के लिए भावी कार्यक्रम क्या है ;

खाद, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रक्षित दिया गया है ।

### विवरण

देश में उगाये जाने वाली हरी खाद की फसलों में, ढेंचा और सनहम्प दो लोकप्रिय फसलें हैं। हरी खाद के और भी साधन हैं, जैसे गुआर, मूंग, उड़द और लोबिया आदि दो काम में आने वाली फसलों का उगाना और हरी पत्ती की खाद बनाना। किसी वर्ष विशेष में हरी खाद लगाने के लक्षित क्षेत्रों के ज्ञान से उस वर्ष के लिए हरी खाद की मांग का पता चलता है। हरी खाद के अन्तर्गत 1967-68 के दौरान अनुमानतः 220.6 लाख एकड़ भूमि आवृत्त की गई थी, तथा चालू वर्ष (1968-69) के लिए 253.8 लाख एकड़ तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1973-74) अनुमानित लक्ष्य लगभग 310 लाख एकड़ है। विभिन्न हरी खादों की वार्षिक आवश्यकता तथा उपलब्धता के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि किसानों के पास हरी खाद के कई अन्य साधन भी हैं।

अधिकांश राज्य अपनी हरी खाद के बीजों की आवश्यकता के विषय में आत्म निर्भर हैं। फिर भी, 1968 की खरीफ में बौने के लिए मैसूर, गोवा, अन्डेमान और निकोबार और नागालैंड राज्यों/ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों ने अपनी बीजों की कमी कमशः 3500 मेट्रिक टन, 30 मेट्रिक टन, 3 मेट्रिक टन, 0.1 मेट्रिक टन का अनुमान लगाया था।

किसान प्रायः अपनी हरी खाद के बीजों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रबन्ध अपने उत्पादन से, अपने साथी किसानों से और निजि व्यापार से, कर लेते हैं तथा राज्य सरकारें भी किसानों को अपने राज्य से तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से इन बीजों को प्राप्त कराने में सहायता देती हैं।

हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

- (1) राज्यों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 30 प्रतिशत ऋण तथा 20 प्रतिशत अनुदान तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।
- (2) कुछ राज्यों में हरी खाद की फसलें उगाने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- (3) कुछ राज्य किसानों को हरी खाद की फसलें उगाने के लिए बीज सहायता दरों पर देते हैं।
- (4) व्यावसायिक ग्रथबा अनाज की किसी फसल को हानि पहुँचाये बिना, खाद की हरी फसलें बौने का आयोजन करने के लिए उचित शस्य प्रणालियों का विकास किया गया है। शस्य चक्रों में शीम्बक फसलों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है।

**Shri Narain Swarup Sharma :** 62 percent of land in the country is in the hands of 10 percent big farmers. We cannot call them zamindars after the abolition of zamindari. The benefit of the fertilisers supplied by the Government is mostly reaped by the so-called zamindars only. I want to know what steps Government are going to take so that these fertilisers may reach the small farmers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न हरी खाद के बारे में है जिसका वितरण सरकार नहीं करती है। सभा पटल पर रखे गये विवरण में केवल वे ही उपाये बताए गये हैं जो राज्य तथा केन्द्र द्वारा छोटे तथा बड़े किसानों की अधिकाधिक हरी खाद इस्तेमाल करने में सहायता करने के लिये किये जा रहे हैं।

Shri Narain Swarup Sharma : According to the statement the position about green manure is not satisfactory. In such circumstances, Government should not reject offers of setting up fertiliser plants in the country. Will Government see to it that more such factories are opened ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Ram Gopal Shalwale : Government are importing fertilisers to meet internal requirement. Experts are of the opinion that imported fertiliser reduce the fertility of the soil after two years. Will Govt. take steps to step up the production of indigenous manures. Cows are butchered in this country. Cowdung can serve as a good manure. Have Government thought over the question of banning its consumption as a domestic fuel in the villages ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि अजैव खाद्य से भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कूड़ा-करकट और गोबर के रूप में जो स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें प्रयोग में न लाया जाये। परन्तु यह राय कि अजैव खाद्य से भूमि की उत्पादन शक्ति का ह्रास होता है बिल्कुल गलत है।

#### उत्तर प्रदेश सर्किल में टेलीफोन कनेक्शन

+

#843. श्री कंवरलाल गुप्त :

श्री ओंकार सिंह :

श्री शारदा नन्द :

श्री जि० ब० सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बहुत से आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सर्किल के टेलीफोन प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) उक्त सर्किल के गुड़गांव जिला के पुन्हाना तथा हसनपुर कस्बों के निवासियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) सरकार इन व्यक्तियों के अनुरोध कब तक स्वीकार कर लेगी ; और

(घ) क्या इन नये कनेक्शनों को देने के बाद हेडल एक्सचेंज में इन तीन कस्बों के लिये एक अलग ट्रंक बोर्ड लगाना सम्भव होगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) पुन्हाना में 7 और हसनपुर में 15 इस समय प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) इन आवेदकों को 6-8 महीने की अवधि में कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है।

(घ) इस समय होटल में अलग ट्रंक बोर्ड की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** There is great demand for telephone connections in the country. Telephone is a necessity now-a-days. I think Government have not got enough resources to provide connections early. I want to know what new scheme Government are proposing to introduce, what will be its benefits and when it will be implemented ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि टेलीफोन लगवाने में कठिनाई है क्योंकि टेलीफोनों की कमी है और टेलीफोन लगवाने वालों की सूची बड़ी लम्बी है। इस सम्बन्ध में हमारे रास्ते में कठिनाई धन का अभाव है। योजना आयोग बांड जारी करने के हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**श्री कंदरलाल गुप्त :** वह योजना क्या है ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** संक्षेप में योजना यह है कि बिजली बोर्डों की तरह डाक तथा तार विभाग को बाजार से धन प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और जिनके पास वे बांड होंगे उन्हें टेलीफोन दिये जायेंगे।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** What is the number of applications pending for telephone connections so far and how many applicants are proposed to be covered during the next plan ? It will be very gratifying if figure for Delhi are also given.

**श्री इ० कु० गुजराल :** इस समय देश में लगभग 11 लाख टेलीफोन है। लगभग 5-6 लाख व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में है। हमारा विचार है कि चौथी योजना में, यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो लगभग 15 लाख टेलीफोन और लगाए जाने चाहिये क्योंकि हमें आशा है कि उस समय प्रतीक्षा सूची काफी लम्बी हो जायेगी। दिल्ली में इस समय लगभग 70,000 टेलीफोन है और 50,000-60,000 की प्रतीक्षा सूची है। चौथी योजना में इनकी संख्या दुगुनी करने का विचार है बशर्तकि हमें धन उपलब्ध हो जाये।

**Shri Tulshi Das Jadhav :** According to the P. & T. circular Rs. 2500 have to be deposited for getting a telephone connection. It is a difficult proposition. Will Govt. take into consideration this difficulty of the persons desirous of getting new telephone connections ?

The persons making local trunk calls are issued receipts after 2-3 months. It is submitted in the form of bills. If anybody wants to make an inquiry about it, the local office says that they have no records and directs them to contact the head office. Will Government make arrangements for maintaining one copy thereof in local offices ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** महानगरों के मामले में यह राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। छोटे नगरों के लिए 2500 रुपये हैं। यह राशि "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत देनी पड़ती है। टेलीफोन कनेक्शनों के लिये तीन श्रेणियां बनी हुई हैं। एक "अपना टेलीफोन लगाओ" श्रेणी जिसके अन्तर्गत 2500 रुपये या 3000 रुपये जमा

कराने पड़ते हैं। दूसरी श्रेणी डाक्टरों आदि की विशेष श्रेणी है। इसके बाद तीसरी या साधारण श्रेणी है। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन दिये जाते हैं।

यदि ट्रंक काल सार्वजनिक ट्रंक काल कार्यालय से किया जाता है तो रसीद दी जाती है। यदि अपने टेलीफोन द्वारा किया जाये तो कोई रसीद नहीं दी जाती।

**श्री रमानी :** केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे भारत में प्रतीक्षा सूची में बहुत सारे आवेदनपत्र हैं। कोयम्बटूर नगर में पिछले तीन वर्षों से प्रतीक्षा सूची में 3000 से अधिक आवेदनपत्र हैं। लोक लेखा समिति में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि अधिकारियों ने हमें बताया कि पर्याप्त पुर्जे तथा कच्चा माल नहीं मिल रहा है। पुर्जे तथा कच्चा माल शीघ्रता से उपलब्ध करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि अधिक कनेक्शन दिये जा सकें।

**श्री इ० कु० गुजराल :** सारे देश की तस्वीर सामने रखी जाये तो भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं है। जहां तक टेलीफोन कनेक्शनों का सम्बन्ध है, धन की कमी के कारण चाहे कच्चा माल हो या पुर्जे हमें बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति आगामी कुछ वर्षों तक बनी रहेगी।

**Shri Bhola Nath Master :** It has been stated that there is difficulty in giving new telephone connections because of the delay in the schedule of setting up a telephone factory in Rajasthan. The position today is that telephones etc. are not being supplied to individuals and PCOs, for which sanctions have been given. Keeping this in view, will Govt. examine the question of setting up a new telephone factory ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक फ़ैक्टरी का सम्बन्ध है, हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि हम ट्रांसमिशन उपकरण बनाने के लिये एक दूसरी फ़ैक्टरी स्थापित करने जा रहे हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से पृथक टेलीफोन उपकरण बनाने के लिये एक और फ़ैक्टरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। फ़ैक्टरी कहां स्थापित की जायेगी, इस बारे में इस समय बताना सम्भव नहीं है। इसकी स्थापना से स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार तो अवश्य ही होगा।

**Shri Shiv Charan Lal :** What are the reasons for not providing the post offices with telephones when applications to that effect have been sent to the hon. Minister ? What are the conditions for providing telephones at the permanent residences of MPs. ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** संसद सदस्यों के बारे में स्थिति यह है कि उनके नई दिल्ली निवास पर एक टेलीफोन लगाया जाता है जिसकी लागत लोक-सभा या राज्य सभा द्वारा वहन की जाती है। सदस्य अपने निवास स्थान पर एक और टेलीफोन लगवा सकता है। परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा करना सम्भव हो।

**Shri Shiv Charan Lal :** My question has not been answered. In my village, Chaoli, there is a post office but the P. C. O. from there is at a distance of 5-6 miles. I have sent application twice for giving telephone connection there. What are the

reasons for not giving this connection ? I have also seen Dr. Ram Subhag Singh in this connection but no telephone has been provided so far.

**The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) :**  
We shall provide the hon. Member with a telephone.

**श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर गया है कि इंडियन टेलीफोन्स द्वारा एक नई प्रणाली निकाली गई है जिसके अनुसार एक ही एक्सचेंज पर लोग एक नए उपकरण तथा नए नम्बर द्वारा जो पहले नम्बर के साथ जुड़ा होगा टेलीफोन पर बात कर सकेंगे ? क्या सरकार इसे व्यवहार्य समझती है और यदि हां, तो इसे किन सर्किलों में लगाया जायेगा ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** सरकार का ध्यान इस ओर गया है। यह बहुत ही उपयोगी आविष्कार है। एक और आविष्कार के बारे में विचार किया जा रहा है जिससे एक केबल बोर्ड पर अधिक लाइनें, लगभग 20 लाइनें चालू की जा सकेंगी। हमने ऐसी एक प्रणाली के आयात के लिए आर्डर दे चुके हैं ताकि हम यह पता लगा सकें कि वह हमारे लिये उपयोगी होगी अथवा नहीं, और फिर उसे अपने यहां बनाना शुरू कर देंगे।

**श्री बी० शंकरानन्द :** इस समय तो टेलीफोन अमीर ही लगवा सकते हैं क्योंकि "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत काफी बड़ी रकम जमा करनी पड़ती है। पता नहीं सरकार "अपना टेलीफोन लगाओ" की सेवा गरीबों तथा मध्यम वर्ग को कब उपलब्ध करेगी। क्या सरकार नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन तथा स्थानीय टेलीफोन बूथों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** सरकार ने अब पहली बार, एक निर्णय कर लिया है और लोकल पब्लिक काल आफिसों के लिये एक विशेष प्रतिशतता निर्धारित कर दी है। हम पब्लिक काल आफिस खोलने के लिये कुल अधिष्ठापित क्षमता का पांच प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की अब कोशिश कर रहे हैं। हमारा अन्तिम लक्ष्य 10 प्रतिशत का है। मैं यह बता दूँ कि हम फार्म तथा कृषि क्षेत्रों को टेलीफोन देने की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि आधुनिक फार्म तैयार किये जा सकें।

#### टेलीफोन राजस्व सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति

**\*844. श्री स० चं० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में सितम्बर, 1968 में हुए टेलीफोन राजस्व सम्मेलन द्वारा बम्बई टेलीफोन केन्द्र में पांच अंकों के मीटर लगाने तथा मीटरों के फोटोग्राफ लेने के उपकरण लगाने के बारे में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कौनसे तथा कितने मूल्य के उपकरणों की आवश्यकता है; और

(ख) क्या कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा अन्य नगरों में भी ऐसे ही व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बम्बई टेलीफोन प्रणाली के लिये मौजूदा 4 अंकों के मीटरों के स्थान पर पांच अंकों के मीटरों के स्थापन के लिये लगभग 16.5 लाख रुपये की कीमत के 88 पांच अंक मीटर रेकों की आवश्यकता है जिनमें 94,500 उपभोक्ता मीटर लगे हुए हों। वहां से 4 अंकों के मीटरों का प्रयोग अन्य स्थानों पर किया जाएगा। उपभोक्ता मीटरों के आंकड़े (फोटोग्राफ) लेने के लिए फोटोग्राफ उपस्कर की कीमत जिसमें फिल्म दर्शी और सूक्ष्मदर्शी (ब्यूअर और स्केनर) लगे हों, लगभग 55,000 रुपये होगी।

(ख) जी, हां।

श्री स० चं सामन्त : क्या अतिरिक्त उपकरण आयात किया जायेगा या यहीं पर उसका निर्माण किया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक पांच अंकों के मीटरों का सम्बन्ध है, वे भारत में बनाए जायेंगे। जहां तक फिल्म दर्शी और मीटरों के फोटोग्राफ लेने वाले कैमरे का सम्बन्ध है शुरु में हम 4 मुख्य नगरों के लिये चार सेट आयात कर रहे हैं और बाद में यदि यह उपयोगी पाया गया और यदि इसे यहां बनाया जा सका तो हम उन्हें यहां बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री म० च० सामन्त : क्या सम्मेलन की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो निकट भविष्य में किन पर अमल किया जाने वाला है ?

श्री इ० कु० गुजराल : सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप मेरे सभापतित्व में एक समिति बनाई गई है जो सारे देश में बिल बनाने की प्रणाली का पुनर्विलोकन करेगी और 'टैंडर्ड बिलिंग सिस्टम' और प्रथाओं का सुझाव देगी। समिति काम कर रही है। यह ही मुख्य सिफारिश थी। दूसरे सम्मेलन का ध्यान विभिन्न नगरों में बकाया राशि की ओर दिलाया गया था। बकाया को खत्म करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सरकार ने राजस्थान तथा मैसूर सर्किलों में टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के विकेन्द्रीकरण तथा अन्यत्र ले जाने का फैसला किया है जबकि महाराष्ट्र, मद्रास, केरल, गुजरात, पंजाब तथा अन्य स्थानों पर आंशिक विकेन्द्रीकरण हुआ है। अन्य स्थानों में इसका विकेन्द्रीकरण न करने और कुछ स्थानों में आंशिक विकेन्द्रीकरण करने के क्या कारण हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : सरकार की नीति समूचे टेलीफोन राजस्व लेखे का विकेन्द्रीकरण करना है और धीरे-धीरे इस दिशा में प्रगति हो रही। यदि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं किया गया तो दूसरे चरण में ऐसा किया जायेगा।

#### Restrictions on Spending Money During Election by Ministers

\*845. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of Law be pleased to state:



(a) whether any restrictions have been imposed on spending money and on its distribution arbitrarily by the Ministers during Election days in view of the observations made by the Supreme Court in this regard; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of State Governments thereto ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Shri Jagannath Rao Joshi :** I am surprised to hear the reply from the hon. Minister because on a previous occasion, on the 1st August 1968 in reply to a question he stated:-

“The Government has taken note of the observations made by the Supreme Court and Election Commission.”

The Supreme Court had observed :

“The Commission desires that in the interest of fair and free elections, certain healthy conventions should be introduced and, if necessary, changes should also be made in the rules regulating the distribution of discretionary grants by Ministers.”

Keeping this in view the Centre had sought the opinion of all the State Governments. So many months have lapsed, it has not been made known yet as to what are the opinions of the State Government in this matter. Unless we set up healthy traditions, it is very difficult to have free and fair elections in this country. While dismissing the petition against Shri Sukhadia, the Rajasthan High Court observed

“The Rajasthan High Court in its judgment, while dismissing the election petition against Shri Sukhadia has held that the construction work of Nala in Baluchistan colony, Udaipur at a cost of Rs. 2,70,000 was started on 1.2.67 in contravention of the rules requiring prior budget allotment, administrative sanction, technical sanction under the influence of Shri Sukhadia.” In the Supreme Court judgment it has been observed. That perhaps it may not be a corrupt practice but it is an evil practice. Sir, when you were Chief Minister of Andhra Pradesh, you resigned from your office because of some strictures passed against you by the Andhra Pradesh High Court. You thus established a healthy tradition by your example.

Keeping in view the strictures passed against Shri Sukhadia, was some directive issued from the Centre asking him to resign from his office ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ । यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है और शायद मैंने पहले भी इसकी ओर निर्देश किया था ।

“चुनाव एक ऐसी चीज है जो निष्पक्ष रूप से होने चाहियें । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों के तुरन्त पहले धन व्यय करना, हालांकि वह जनता की भलाई के लिये हो, एक कुरीति है चाहे शायद यह भ्रष्टाचार न भी हो ।”

जब यह बात मुझे मालूम हुई, तो मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि क्या चुनाव नियमों के तदनुसार संशोधन करना सम्भव अथवा आवश्यक है । चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

यह थी कि अभी यही पर्याप्त होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि यह भ्रष्टाचार है तथा वह सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को परिपत्र जारी करेगे। तदनुसार सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को 25 जून, 1968 से एक परिपत्र जारी किया गया। मैं इस परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दूंगा। उसके बाद हमने गृह-कार्य मंत्रालय को लिखा और गृह-कार्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के विचारों का पता लगाया। सभी मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गये हैं कि चुनाव से तीन महीने पहले स्वविवेकीय निधि से कोई व्यय न किया जाये। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्वविवेकीय निधि के बारे में एक और नियम बनाना उचित होगा कि चुनाव के दौरान उससे व्यय न किया जाये।

**Shri Jagannath Rao Joshi :** This is the verdict of the Supreme Court that necessary rules should be framed in this connection. I would like to know whether a direction should not be issued for setting up healthy traditions and to see that such a thing is not done during and after the elections.

**श्री गोविन्द मेनन :** मैंने बताया है कि इस मामले में क्या किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की आशंकाएँ मुख्य चुनाव आयुक्त को बता दूंगा क्योंकि चुनाव उनके द्वारा कराये जाते हैं।

**Shri Sheo Narain :** I had suggested that every voter should be issued identity card. I would like to know action taken by Government in this connection ? The Government should see that more money is not spent in the elections and no conveyance is used for the voters.

**विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :** इसका मूल प्रश्न में कोई सम्बन्ध नहीं।

**Shri Rabi Ray :** I would like to know the grounds on which the Supreme Court had given a verdict against Shri Chenna Reddy and his election had been declared null and void.

A demand had been raised by the opposition parties that in the interest of healthy traditions and impartial elections, the Government should resign before the elections. This demand was not accepted then. Now non-Congress Government have also come into being after 1967 elections, and the opposition parties are prepared to accept such a tradition. I would like to know whether Government would accept this proposition now.

**श्री गोविन्द मेनन :** मैं सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये। श्री चेन्ना रेड्डी के बारे में प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति उपलब्ध हो सकती है। इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि विरोधी दल चुनाव से पहले त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं ?

**श्री गोविन्द मेनन :** यह नीति का प्रश्न है और यह मामला इससे भिन्न है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** प्रशासन धन के कुछ लोगों के पास एकत्र होने को रोक नहीं रहा है। क्या यह तथ्य नहीं कि नहीं कि केवल विवाह तथा चुनाव में ही कुछ लोगों को धन बाटा जाता है।

**श्री प० गोपालन :** चुनाव के दौरान धन व्यय करने तथा मनमाने ढंग से वितरण करने के अतिरिक्त कुछ मंत्री एक और प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों को अपने लिये सुरक्षित बना रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा में गृह-कार्य मंत्री श्री चव्हाण के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र करार निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर अनुचित ध्यान दे रहे हैं। प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी विभिन्न शिकायतें हैं, क्या सरकार मंत्रियों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र को अनुचित महत्व देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार है।

**श्री मु० यूनस सलीम :** निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि विशिष्ट राशियों के वितरण के मामले में मंत्रियों को राज्य के सामान्य हित को ध्यान में रखना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र नहीं चुना जाना चाहिये। यदि वह निर्वाचन क्षेत्र मंत्री का भी हो तो उसको अनुचित प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये।

**श्री चपलाकांत मट्टाचार्य :** निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव रखा था कि यह नियम समाप्त कर दिया जाना चाहिये कि उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय का हिसाब दें। इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या किया गया है।

**श्री गोविन्द मेनन :** मुझे ऐसे प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** आसाम राज्य में चाचगांव निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव में राज्य के परिवहन मंत्री ने प्राथमिक स्कूलों के लिए सरकारी धन का वितरण किया था जब कि यह उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। क्या सरकार इसे भ्रष्टाचार समझती है और यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

**श्री गोविन्द मेनन :** चुनाव में भ्रष्टाचार के प्रश्न न्यायालयों में निपटाये जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं।

**श्री हेम बरुआ :** मैंने एक विशिष्ट मामले के बारे में पूछा था।

**डा० राम सुभग सिंह :** यह गलत आरोप है।

**श्री हेम बरुआ :** यह गलत नहीं है और मेरे पास सभी कागज पत्र हैं।

**डा० राम सुभग सिंह :** वह जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री कार्तिक उरांव : चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार के अधिक मामले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के लिये परिवहन की व्यवस्था करने से सम्बन्धित होते हैं। क्या सरकार मतदाताओं के लिये चुनाव के स्थान पर जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था करेगी ताकि ऐसा भ्रष्ट प्रभाव कम किया जा सके।

श्री मु० यूनस सलीम : सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हुआ है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इस प्रश्न का सम्बन्ध आगामी चुनावों में मंत्रियों द्वारा सरकारी शक्ति के दुरुपयोग से है। कई आश्वासन दिये गये हैं परन्तु वे बातें क्रियान्वित नहीं की गई हैं, बल्कि उससे भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार उन पर विचार करेगी अथवा यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो क्या एक उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार किया जायेगा कि कम से कम नामनिर्देशन के पत्र दाखल करने की तीथि से मंत्री त्याग पत्र दे दें और वे चुनाव के दौरान काम चलाऊ मंत्री के रूप में काम करें।

श्री गोविन्द मेनन : सरकार इसके लिये तैयार नहीं है।

श्री अमृत नहाटा : क्या सरकार सार्वजनिक समवायों से दान लेने को भ्रष्टाचार मानने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री गोविन्द मेनन : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री रंगा : क्या सरकार कम से कम इस बात पर ध्यान देगी कि मंत्री चुनाव के समय अपने दलों के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य न करें और जब तक मंत्री रहें, विभिन्न व्यक्तियों अथवा समवायों के दान स्वीकार न करें और उसे अपने तथा अपने दलों के साथ अन्य उम्मीदवारों के चुनाव पर व्यय न करें।

श्री गोविन्द मेनन : कांग्रेस ने कुछ स्वस्थ नियम बनाये हैं और मुझे आशा है कि अन्य दल भी ऐसे नियम बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मंत्रियों का उल्लेख किया है। चाहे वे किसी दल के हों।

श्री गोविन्द मेनन : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Achal Singh : I would like to know whether Election Commission has suggested that security deposit for candidates to State Assemblies should be Rs. 750 and for Lok Sabha it should be Rs. 1500 only.

श्री मु० यूनस सलीम : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रियों के झूठे वचन न देने के लिये कहा जायेगा अथवा ऐसे वचनों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that while giving verdict on the case of Shri Chenna Reddi, Andhra High Court suggested that the Ministers should resign at least six months before the elections. The Supreme Court did not offer any comments on that which means that the decision of Andhra High Court was upheld. In view of that will the Government take a decision in the interest of democratic traditions so that the Ministers do not misuse their positions.

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मंत्रियों का चुनाव के समय त्यागपत्र देना जनतंत्रिक परम्परा है । यह ठीक है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ऐसा कहा है परन्तु अपील किये जाने पर उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कोई बात नहीं कही है ।

श्री जि० मो० विश्वास : यदि मंत्री चुनाव से पहले त्यागपत्र दें तो उनमें से कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Supreme Court has not reversed that decision.

#### सुपर बाजार, दिल्ली

+

- \*846. श्री भारत सिंह चौहान :  
श्री टी० पी० शाह :  
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सुपर बाजारों के कार्य संचालन में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में कोआपरेटिव स्टोर लि० के कार्यकरण के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियां सूचित की थीं । उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि प्रबन्ध समिति में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए और महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति खुली भर्ती अथवा सरकारी कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा होनी चाहिए ।

(ख) भारत सरकार ने प्रबन्ध समिति को पुनर्गठित किया है, जिसने लेखा-परीक्षा में निकाली गई कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही की है और सुधार के लिए उपाय किए हैं जिनमें प्रशासनिक तथा परिचालन व्ययों में बचत, स्टॉक स्तर का नवीन व्यवस्थाकरण, ऋय नीतियों का मानकीकरण, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना और व्यापार

का विस्तार करना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की सेवाएं स्टोर को उनके महा-प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिए सौंपी गई हैं। सहकारिता विभाग का एक अधिकारी भी प्रबन्ध समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेता है।

**Shri Bharat Singh Chauhan :** May I know whether it is a fact that Super Bazars in Delhi have been taken over by Central Government since the cooperatives have been a failure ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी :** सुपर बाजार सहकारी नियमों के अन्तर्गत चलाये जाते हैं। दिल्ली सुपर बाजार के लिये केन्द्रीय सरकार केवल प्रबन्धक समिति नियुक्त करती है और दिल्ली प्रशासन के माध्यम से धन देती है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक को बहुत अधिकार हैं।

**Shri Bharat Singh Chauhan :** I would like to know whether any selection board has been appointed to recruit staff in the Super Bazar-and whether their experience in commercial line is also taken into account.

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी :** भर्ती प्रबन्धक समिति द्वारा की जाती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं। भर्ती काम दिलाऊ दफ्तर तथा विज्ञापन द्वारा की जाती है।

**Shri Prem Chand Verma :** The balance sheet of Super Bazar shows that its total capital was Rs. 18,71,910 and a loss of Rs. 7,08,778 has been shown upto 30th June, 1966, which means a loss of 40 percent in one year. Whether it is also a fact that furniture and air conditioners worth Rs. 35,71,661 were purchased. I would like to know whether a plan was framed for furniture etc. in advance ? If not, the persons responsible for such a dwindling of capital. Whether any concrete steps are taken by the Government to prevent such bungling in the Super Bazar and whether Government will try to make good this loss in 1968-69 or 1969-70.

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी :** सरकार ने 58 लाख रुपये दिये थे और पहले वर्ष सुपर बाजार में 7,08,878 रुपये का घाटा हुआ था। यह आंकड़े काफी समय पहले सभा को बताये गये थे। आपात की स्थिति में सुपर बाजार शुरू किया गया था। रुपये के अवमूल्यन के बाद ऐसा किया गया था। तब इस बात की आवश्यकता समझी गई थी कि समूचे देश में विभागीय स्टोर खोले जायें। इस विचार से यहां सुपर बाजार खोला गया है, यह ठीक है कि सभी प्रयत्नों के बावजूद कुछ कमी रह गई है। कुछ अनुभव न होने के कारण तथा जल्दी में शुरू होने के कारण शुरू में कुछ हानि हुई है अब हमारा प्रयत्न यह है कि यथासम्भव इस घाटे को पूरा किया जाये। मुझे आशा है कि 1968-69 में स्थिति कुछ अच्छी होगी।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** The items of merchandise in Super Bazar are of poor quality and are sold at higher rates. I would like to know the measures adopted to bring revolutionary change in the administration of Super Bazars.

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी :** यह कहना ठीक नहीं है कि सभी सुपर बाजार घाटे में चल रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ सुपर बाजार घाटे पर चल रहे हैं। सभी सुपर बाजार

सहकारी विधियों के अन्तर्गत संगठित किये गये हैं । केन्द्रीय सरकार केवल वित्तीय सहायता दे रही है । राज्य सरकारों की भी सहकारी समितियां होने के नाते उनमें रुचि है । इसलिये सुपर बाजार के सभी दोषों के लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है । हम इस बात के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि सुपर बाजार ठीक तरह से काम करें और भविष्य में उनमें कोई हानि न हो ।

माननीय सदस्य को मंगलवार को, जब सुपर बाजार बन्द रहता है, शकर मार्केट में जा कर देखें कि क्या वहां सुपर बाजार से अधिक मूल्य हैं अथवा नहीं ।

श्री पें० बेंकटासुब्रय्या : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में चल रहे सुपर बाजारों को कुछ सुझाव देगी कि वे भी व्यापारियों की दक्षता तथा योग्यता का लाभ उठाएँ और उनका सहयोग प्राप्त करें ताकि वे भी ठीक रूप से कार्य कर सकें तथा नौकरशाही प्रवृत्ति वाले लोग वहां न रखे जायें ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : व्यापारी लोग सुपर बाजार से सहयोग नहीं करते । परन्तु जहां तक उपायों का सम्बन्ध है, हमने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से उन्हें सब विभागीय स्टोरों को भेज दिया गया है । प्रशासन तथा प्रबन्ध इत्यादि के बारे में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, I am talking about the Super Bazar in Delhi, especially the Super Bazar situated in Conaught Place. I occasionally go there and often go to the books counter. What I find there is that more English books are available and the number of Hindi books available there is very much less. Moreover serious books in Hindi like "Mare Kahani", "Vishwa Itihas Ki Jhalak", and "Dr. Rajendra Babu Ki Atam Katha" are not at all available there. Likewise the majority of English books that are available there are light books and serious books are not available there. The books published by Pallik and Fountara are not available there. I would like to know the reasons therefore from the hon. Minister ?

Secondly I would like to know whether the selection of books is made by any individual or a Committee has been constituted for that purpose ? I would like to know the names of the persons, who are responsible for the selection of books.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूँ । परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सुपर बाजार के लिये सब प्रकार की वस्तुओं की खरीद करने के लिये एक क्रय समिति है ।

Shri Shiv Chandra Jha : Who are the members of that Committee ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसका निर्णय मंत्री द्वारा नहीं किया जाता कि क्या वस्तुयें खरीदनी हैं और क्या नहीं । इसका निर्णय समिति करती है और ऐसा करते समय वह जनता की मांगों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखती है ।

श्री रवि राय : प्रश्न यह पूछा गया है कि क्रय समिति के सदस्य कौन हैं ?



## निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन

#847. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन करके ऐसा उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार हो कि वह किसी भी मतदाता से उस सुभिन्नक चिन्ह को दिखाने को कह सके जो उसने मत-पत्र पर लगाया है ;

(ख) क्या इससे गोपनीयता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री मु० यूनस सलीम ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या परिषद के चुनावों के लिये निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन किया गया है ताकि अशिक्षित मतदाता अपने साथ एक अन्य वयस्क को ले जा सके तथा क्या मंत्री महोदय के विचार में ऐसा करना गोपनीयता के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं है तथा क्या इससे भ्रष्टाचार पैदा नहीं होगा ?

श्री मु० यूनस सलीम : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता । इस सम्बन्ध में नियम हैं । नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्धा है अथवा किस अन्य कारण से मत नहीं डाल सकता तो वह अपने साथ एक व्यक्ति को ले जा सकता है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि नामंकन पत्रों के अवैध रूप से रद्द किये जाने पर चुनाव को अवैध करार दे दिया जाता है, चाहे इसमें चुनाव जीतने वाले व्यक्ति की कोई भी गलती न हो । क्या मन्त्री महोदय कानून में ऐसा संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जिससे नामंकन पत्रों के रद्द किये जाने के तुरन्त बाद अपील की जा सके ताकि उस पर थोड़े ही दिनों में निर्णय किया जा सके तथा वह व्यक्ति चुनाव में भी भाग ले सके और बाद में चुनाव को अवैध करार न दिया जाय ।

विधि मन्त्री ( श्री गोविन्द मेनन ) : यह एक सुझाव है ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just said that an amendment in the rules has been made for those who are blind or illiterate or otherwise unable to exercise their votes, they can take a person each with them. The effect of this will be that the voter will be taken by force and he will be compelled to say that he is unable to cast his vote. Thus it will be a breeding ground for corruption. The other effect of this will be that secrecy will not be observed. Keeping these things in view I want to know whether the hon. Minister is ready to withdraw this amendment ?

Shri M. Yunus Saleem : So far as the hon. Member's question is concerned, I have already submitted that this question does not arise out of the main question. If any suggestion is given by the hon. Members for preserving the secrecy that will be kept in mind.



**Shri Sarjoo Pandey ; Mr. Speaker,** the rule was there according to which a person can go to the Presiding Officer himself and can say that he is unable to cast his vote. Now what is the necessity of taking another person ? There is already a law for the Presiding Officer then what is the need for this amendment ?

**कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय :** शोर मचाने से कोई लाभ नहीं होगा । माननीय मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं । माननीय सदस्य सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

**श्री श्रद्धाकर सुपकार :** चुनाव चिन्हों की व्यवस्था इसलिये शुरू की गई थी, ताकि अशिक्षित मतदाता यह पता लगा सके कि वह किस उम्मीदवार को मत देना चाहता है । इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक अन्य नियम की जरूरत क्यों पड़ी । जिसके अनुसार अपने मन चाहे उम्मीदवार को मत देने के लिये अशिक्षित मतदाता अपने साथ एक सहायक ले जा सके ?

**श्री मु० घूनस सलीम :** ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल अशिक्षित मतदाता को ही अनुमति दी जाये ।

**श्री श्रीचन्द्र गोयल :** ऐसा नियम है । आप कैसे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है । यह मामला अधीनस्थ विधान समिति के सामने पेश किया गया था । क्या आपको मालूम नहीं कि नियमों में इस प्रकार का संशोधन किया गया है ? आप नियम की जानकारी के बगैर ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

**Shri Shiv Charan Lal :** These bearded persons do not give clear reply.

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस बात पर गम्भीर आपत्ति है । आप अपने शब्द अभी वापस लें अन्यथा आपको सभा से बाहर जाना होगा ।

**Shri Shiv Charan Lal :** I withdraw my remarks.

**श्री गोविन्द मेनन :** श्री गोयल ने जिन नियमों का उल्लेख किया है उनका सम्बन्ध राज्यों में विधान परिषदों के चुनावों से है । ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होते हैं । अतः मतदाता के लिये विभिन्न नामों के सामने 1,2,3,4 इत्यादि लिखने आवश्यक होते हैं । इन चुनावों में चिन्हों की पद्धति नहीं अपनाई गई है । इसलिये अन्धे मतदाताओं को यह छूट दी गई है कि वे अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1,2,3,4 इत्यादि के अंक लिखवाने के लिये अपने साथ एक साथी ले जा सकें । हाल में एक संशोधन करके यह छूट अशिक्षित मतदाताओं को भी दी गई है । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस मतदान पद्धति के कारण अशिक्षित मतदाताओं के लिये मत देना संभव नहीं होता ।

**Shri O. P. Tyagi :** The Spirit of democracy is that able, honest and gentle persons should be elected as Members of Parliament and Assemblies. But the fact is that the present system of elections is very costly and nobody can fight, the elections unless he has a jeep car and 10 to 12 thousand rupees to spend. Under the present circumstances no

poor person, who is able and honest can be elected as a member of parliament or Assembly and if in any case any such person is elected he is influenced by the rich people by giving him money and as such he is unable to express his independent opinion in the House to which he has been elected as a member. He cannot raise his independent voice, because he has become an agent of a few capitalis's. I want to know from the hon. Minister whether Government contemplates to make the election system cheaper so that poor people too who are able and honest are elected as Members of Parliament or Assemblies ?

श्री गोविन्द मेनन : क्या यह एक ऐसा सामान्य मामला नहीं है, जो मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

### अल्प सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTIONS

#### राजस्थान में अधिवक्ताओं का नामांकन

अ०सू०प्र० 15. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान विधिज्ञ परिषद् के उस विनिश्चय का पता है जिसके अनुसार प्रधानों, प्रमुखों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के अध्यक्षों का पद धारण करने वाले या वैसे ही अन्य व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित तथा विधि व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सु० यूनस सलीम) : (क) राजस्थान विधिज्ञ परिषद् ने प्रधानों, प्रमुखों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के अध्यक्षों का पद धारण करने वाले या वैसे ही अन्य व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित तथा विधि-व्यवसाय करने से विवर्जित करने का कोई विनिश्चय नहीं किया है । विधिज्ञ परिषद् ने जो किया है वह यह है कि उसने यह संकल्प पारित किया है कि सारवान् पारिश्रमिक और विस्तृत कार्यपालिक कृत्यों वाले पदों में नियोजित व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए और यदि वे पहले से नामांकित हों तो उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में विधि-व्यवसाय बन्द कर देना चाहिए और विधिज्ञ परिषद् को इसकी सूचना, यदि अभी तक न दी हो तो, दे देनी चाहिए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Naval Kishore Sharma : May I know whether according to the Resolution of Council the advocates entrolled under Bar Council shall be allowed to do practice and if not, whether the Law Minister proposes to frame some other rules in supersession of these rules ? May I know the views of the hon. Minister regarding this Resolution ?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** भारत के विधिज्ञ परिषद् ने विधि व्यवसाय के सम्मान हित में निम्नलिखित नियम पास किया है :

“एक अधिवक्ता जब तक वह विधि व्यवसाय करता है तब तक किसी व्यक्ति, सरकार, धर्म, निगम अथवा समवाय का पूर्णकालीन कर्मचारी न होगा तथा ऐसी कोई नौकरी प्राप्त करने पर वह उस विधिज्ञ परिषद् को सूचित करेगा, जिसमें उसका नाम दर्ज है तथा उसके बाद जब तक वह रोजगार में है, तब तक विधि व्यवसाय करना बन्द कर देगा।”

**Sbri Naval Kishore Sharma :** May I know whether the Chairman improvement Trust is covered under the definition of a full time employee ? This rule of the Bar Council is applicable to full time employees only. May I know whether those people also who are the heads of democratic institutions and get some allowances in their capacity as head of the institution and also discharge certain executive duties, are covered by this rule ? I personally feel that this decision will not only be a hinderance in the way of development of democratic institutions Rajasthan, but it will be blocking the way of development of democratic institutions throughout the whole country. It will be a bad precedent for any bar Council to block the way of intelligent and educated persons from entering into autonomous institutions. It means that this restriction can be extended to M. L. As. and M. Ps. in future. I would like to submit that the rule of the Bar Council of India just quoted by the hon. Minister is applicable to full time salaried employees only. Now whether this rule will be applicable to those persons also who are holding offices in autonomous institutions and getting some allowances for that ? My submission is that this question should be considered seriously and the hon. Minister should take some such decision in this matter or some such direction should be given to the Bar Council that their decision is not correct and it is set aside.

**श्री मु० यूनुस सलीम :** यह प्रश्न सबसे पहले महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् के सामने आया था। दो अधिवक्ताओं ने जिनमें से एक को 300 रुपये प्रतिमास तथा दूसरे को जो कि महाराष्ट्र जिला परिषद् तथा समिति अधिनियम के अन्तर्गत चयन बोर्ड का सदस्य था, 700 रुपये प्रतिमास पारिश्रमिक मिलता था, महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् में नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की थी। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् इस नतीजे पर पहुँची थी कि नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को जिसे इतना अधिक पारिश्रमिक मिलता हो तथा जिसके इतने विस्तृत कार्यपालिक कृत्य हों अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् के इस निर्णय का भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा भी अनुमोदन किया गया था। इस के बाद भारतीय विधिज्ञ परिषद् का यह निर्णय राज्यों की सब विधिज्ञ परिषदों के पास भेज दिया गया था। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के इस निर्णय को देखते हुये राजस्थान विधिज्ञ परिषद् ने यह संकल्प पारित किया था कि सारवान् पारिश्रमिक और विस्तृत कार्यपालिक कृत्यों वाले पदों में नियोजित व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिये और यदि वे पहले से नामांकित हों तो उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में विधि व्यवसाय बन्द कर देना चाहिये और विधिज्ञ परिषद् को इसकी सूचना, यदि अभी तक न दी गई हो तो, दे देनी चाहिये। इसलिये यदि कोई मामला इस संकल्प के अन्तर्गत आता है, तो उसे विधिज्ञ परिषद् की नामांकन समिति के पास जाना होगा तथा यदि वह विधिज्ञ परिषद् के निर्णय से असंतुष्ट रहता है तो इसके लिये अन्य रास्ते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न केवल परिश्रमिक प्राप्त करने का नहीं है अपितु विस्तृत कार्यपालिक कृत्यों वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय की अनुमति देना न्याय प्राप्त करने के रास्ते में एक रुकावट है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पटवारी, प्रधान अथवा प्रमुख के अधीन काम करता है। यदि वह प्रधान अथवा प्रमुख एक मामले में अधिवक्ता के रूप में पेश होता है तो उस पटवारी को उस मामले में उस प्रधान अथवा प्रमुख के विरुद्ध गवाही देना मुश्किल होगा जिसमें कि वह अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। संभव है कि महाराष्ट्र तथा राजस्थान में ऐसे संकल्प, जिनका माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कार्यपालिक शक्तियों के नाजायज इस्तेमाल की सम्भावना को दूर किये गये हों। महाराष्ट्र करने पारित विधिज्ञ परिषद् के संकल्प को देखते हुये तथा इस बात को देखते हुये कि उसका अनुमोदन भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितन-कितन अन्य राज्य विधिज्ञ परिषदों ने ऐसे संकल्प पारित किये हैं? इन संकल्पों की वांछनीयता के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री गोविन्द मेनन : इस मामले में सरकार का कोई विचार नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम की योजना इन विधिज्ञ परिषदों के स्वायत्तशासी संस्थायें बनाने की है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह केन्द्रिय विधिज्ञ परिषद को अपील कर सकता है। अब हम इस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। वास्तव में राज्य सभा द्वारा इसे हाल में पारित किया गया है। उस संशोधन के द्वारा सरकार द्वारा विधिज्ञ परिषदों को निदेश देने की व्यवस्था की जायेगी। जब तक यह कानून बनता है, तब तक यदि मैं माननीय सदस्य के तर्क से सहमत भी हूँ, तो भी कुछ नहीं कर सकता।

Shri Onkar Lal Bohra : Mr. Speaker, Sir, the conception of our Panchayati Raj is to develop democratic institutions and give them an honoured place in society. That is why from Panchayat Samiti level up to district level we are trying to have democratic institutions. So in order to make them successful it becomes necessary for the intelligent section of society like advocates to get training in them. We should not try to deprive the practising advocates from taking part in such institutions. In Rajasthan a Panchayat Pardhan gets Rs. 150/- and a Jilla Parmukh gets Rs. 250/- So it is all the more necessary that we should not deprive them of their profession, only because we are giving them Rs. 150/- or Rs. 250/- so far as the resolution passed by Rajasthan Bar Council is concerned, my submission is, that we should see that atleast people upto the level of the Pardhans of Panchayat Samitis and Parmukhs of Jilla Parishads are not deprived of their professions.

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न को ही दोहराया गया है। इसलिये इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं।

श्री स० कुन्डू : मैं उस भावना से सहमत हूँ जिससे यह विशेष नियम बनाया गया है। अधिवक्ता व्यवसाय की स्वच्छता को बनाये रखने यह नियम बनाया गया है। नियम के अनुसार कोई अधिवक्ता किसी निगम अथवा सरकारी निकाय का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होना चाहिये तथा पूर्णकालिक कर्मचारी होने पर उसे विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद के नियम के अनुसार वे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होने चाहिये। अब वे कहते हैं कि उन्हें सारवान् परिश्रमिक नहीं मिलना चाहिये। इससे

काफी भ्रम पैदा हो जायेगा। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है विधान सभा सदस्य तथा संसद् सदस्य भी इस नियम के अन्तर्गत आ जायेंगे। अतः उन्हें विधि व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया जायेगा। मुझे मालूम है कि विधिज्ञ परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय है तथा विधि मंत्रालय का इस मामले में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है। परन्तु मंत्रालय राजस्थान विधिज्ञ परिषद् से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ कर सकता है कि क्या सारवान् परिश्रमिक पाने वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय करने से वंचित रखना विधिज्ञ परिषद् अधिनियम के उस नियम के विरुद्ध नहीं होगा जिसमें कहा गया है कि उन अधिवक्ताओं को जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ?

**श्री मु० युनुस सलीम :** शायद माननीय सदस्य इस संकल्प की भावना को पूर्णतया समझने में असफल रहे हैं। मानदण्ड केवल परिश्रमिक की प्राप्ति ही नहीं, अपितु विस्तृत कार्यपालिक शक्तियों का होना है। यदि कोई व्यक्ति केवल परिश्रमिक प्राप्त करता है तथा उसके पास कार्यपालिक शक्तियां नहीं है तो उसका मामला इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता।

**Shri Randhir Singh :** The villagers most of whom are not familiar with the laws, are confused because there are numerous Acts pertaining to Panchayats, Block Samitis and Jilla Parishads and as such many irregularities are being committed by them. It has been seen that all cases of revisions and appeals are accepted in Appellate Courts without exception. So it is necessary that the lawyers should go there, so that the villagers may get justice. If that is done the villagers will become familiar with the laws and a national cause will be served.

Secondly a lawyer can be a Solicitor General or Advocates General and can draw fat salary from the Government. He can be elected as a member of Parliament or that of a Legislative Assembly. Under these circumstances how the resolution passed by Rajasthan Bar Council can become operative ? Will the Minister recommend to the Rajasthan Bar Council that their resolution is in operative in the light of the resolution passed by the Bar Council of India ?

**Shri M. Yunus Saleem :** Only remuneration is not enough. If any Advocate General or Solicitor General or Government pleader get remuneration, he performs his professional duties for that. Therefore the criterion is a person who is receiving honorarium as remuneration and also enjoying wide executive powers.

**Shri Meetha Lal Meena :** The Pardhans of Gram Panchayats and the Pramukhs of Jilla Parishads are administrative officers. The M. Ps. and M. L. As. have got no such administrative powers. If the Pramukhs of Jilla Parishads and the Pardhans of Jilla Samitis are allowed to practise as advocates and also to perform administrative functions then it will beadanger to justice. So it is good that this rule has been framed. I want to know whether it will be made legally valid by passing an Act ?

**Shri M. Yunus Saleem :** The Council is authorised to frame rules under the Act and the Bar Council will frame rules as it deems fit, keeping in view the spirit of the Act.

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरिजनों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शीघ्र विकास के लिए योजना

\*842 : श्री ए० श्री धरन : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने और उनके लिये जीवन निर्वाह का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण क्या सरकार का विचार देश में किसी अन्य वर्ग के लोगों को कोई अतिरिक्त सुविधा देने से पूर्व इन वर्गों का तेजी से विकास करने लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विकास योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अनुसार उक्त दलित वर्गों के लिये कब तक जीवन की न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) से (ग) : एक ऐसे देश में जो स्वयं ही अधोविकसित है समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक--आर्थिक परिस्थितियों में बड़े परिवर्तन लाने की समस्या ऐसी है जिसके शीघ्र अथवा आमूल उपचार नहीं हो सकते । 1950 से किये जा रहे उपायों के यथेष्ट परिणाम निकले हैं, तथा इन उपायों को कुछ समय तक जारी रखना पड़ेगा ।

चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता

\*848 : श्री रा० की० श्रीमती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के निर्यात पर सरकार अब भी राज सहायता देती है; और

(ख) इस निर्यात के लिये उससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से अधिक राशि की राज सहायता देने की नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) : जी नहीं । चालू वर्ष 1968 में सरकार निर्यात के लिये कोई राज सहायता नहीं दे रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

\*849 : श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड के कार्यकरण का किसी समय कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या इनकी कार्य-प्रणाली में व्याप्त रुचियों का पता लगाने तथा उसमें सुधार करने के लिये सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। कम्पनी निरन्तर उन्नति कर रही है, एवं कम्पनी के कार्य संचालन के विषय में सामान्य मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। कम्पनी ने 1967-68 के लिये 10 प्रतिशत के लाभांश (डिविडेण्ड) की घोषणा की है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

#### Allotment of Plots to Displaced persons from East Pakistan in Kalkaji, New Delhi

\*850. Shri Ranjit Singh : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about three thousand plots of land had been allotted to the displaced persons from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that these plots have not so far been made available to them; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) 1365 plots have already been allotted by lottery out of 2117 plots formed in the colony.

(b) and (c): After a plot of land was offered to an applicant, he was required to make a deposit of 20% of the estimated amount of premium payable for the plot. Thereafter, plots were allotted by draw of lots. After that, the allottees have been asked to pay the first out of seven instalments by which they have to pay the balance of the premium. Some of the allottees have asked for extension of time and others numbering 1103 have paid the first instalment. The latter are being asked to execute the necessary agreement. So far nine persons only have executed agreements and seven out of them have been given authority to take possession of their plots from the Officer posted at the site in the Colony for this purpose.

#### Panchayat Elections in U. P.

\*851. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Panchayat Elections have not been held in Uttar Pradesh for a period of more than six years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government for holding elections for the Panchayats in Uttar Pradesh forthwith ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : Yes, Sir.

(b) and (c): Gram Panchayat elections had to be postponed, to begin with, on account of the then Emergency. Subsequently these elections, as well as fresh elections to Kshetra Samitis and Zila Parishads, have remained held up as the State Government have been wanting to amend the relevant laws with a view to affecting needed improvements. Meanwhile, the State Assembly stands dissolved. The State Government now propose to hold fresh elections to the Panchayati Raj bodies, at different levels, after the forthcoming mid-term poll in the State.

### कोयला खनन उद्योग द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

\*852. श्री रवि राय : क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि कोयले के केन्द्रीय सरकार के मुख्य खरीदार केवल उन कोयला खान के टेन्डरों को ही, जिन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है, स्वीकार करेंगे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कोयला खानों में, विशेष रूप से महंगाई भत्ते के बारे में, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) उसका व्यौरा क्या है ?

भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि रेलवेज, इस्पात कारखानों तथा विद्युत उपकरणों जैसे मुख्य सरकारी क्रेताओं को केवल उन्हीं कोयला खानों/प्रबन्धकों से कोयले की सप्लाई के टेन्डर स्वीकार करने चाहिए, जो अपने क्षेत्र के प्रादेशिक भ्रम आयुक्त से प्राप्त यह प्रमाण-पत्र पेश करें कि उन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है।

(ख) और (ग): इस विषय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के ध्यान में केवल वही मामले आते हैं, जिनमें औद्योगिक विवाद उठाए जाते हैं।

### अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लोक सभा/विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण की अवधि का बढ़ाया जाना

\*853. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?



समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० धीमती) फूलेंगु गुह : (क) तथा (ख) सविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन इस समय की गई अवधि केवल वर्ष 1970 में समाप्त होगी, इसलिए इतना शीघ्र इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता।

### सुपर फास्फेट का उत्पादन और आयात

\*854. श्री म० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर फास्फेट के कुछ कारखानों ने कम मांग होने के कारण उत्पादन बन्द कर दिया है; और

(ख) क्या सुपर फास्फेट का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी तथा कितने मूल्य की सुपर फास्फेट का आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुशल विपणन संगठनों की कमी और प्रोत्साहन सम्बन्धी उपायों की अनुपस्थिति में मुख्यतः सुपर-फास्फेट के स्टॉक इकट्ठा हो जाने के कारण 1968 की अवधि में कुछ सुपर फास्फेट के कारखानों ने विभिन्न अवधियों के लिये उत्पादन बन्द कर दिया था।

(ख) पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेतों में खाद देने के लिये सुपर-फास्फेट का कोई आयात नहीं किया गया है। फिर भी डाय-अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और एन० पी० के० जैसे कोम्पलैक्स उर्वरकों को आयात किया गया था जिनमें फास्फोरिक ऐसिड होता है।

### उपस्थिति बोनस योजना

\*855. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने कोयला खान बोनस योजना के समान एक 'उपस्थिति बोनस योजना' बनाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों के विचार मालूम किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या मत व्यक्त किये हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसी योजना बनाने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभ्रक, मैंगनीज और कच्चा-लोहा खानों के श्रमिकों के लिये कोयला खान बोनस योजना के आधार पर हाजिरी बोनस योजना बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग): सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। उनमें से कुछ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि अन्य सरकारों ने उसका विरोध किया है।

(घ) और (ङ): इस विषय पर गैर-कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 7 नवम्बर, 1968 को हुए पांचवे अधिवेशन में विचार किया गया। उसमें यह तय किया गया कि इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों के विचार जान लेने चाहिए। आगे कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।

#### Retrenchment in Jute Mills in West Bengal

\*856. Shri Ramavatar Shastri :  
Shri B. K. Modak :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that a large number of Labourers have been retrenched in the various jute mills in West Bengal during the last few months;
- (b) if so, the number with the names of mills;
- (c) whether it is also a fact that Bengal Jute Workers Union has urged the Government of India to interveine in the matter and to stop the illegal retrenchment;
- (d) if so, the reaction of Government thereto;
- (e) whether it is also a fact that several suggestions have been offered by the Union to avert the crisis in jute mills; and
- (f) if so, the details regarding the suggestions and action proposed to be taken by Government to stop the retrenchment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (f): According to the information received from the Government of West Bengal only 7 workers belonging to the regular working force were retrenched during the last six months—four from New Central Jute Mills Company Ltd., Budge-Budge, 24-Parganas; one from Kamarhati Co. Ltd., Kamarhati, 24-Parganas; and two from Howrah Mills Co. Ltd., Sibpur, Howrah. The problem of surplus labour is being tackled by the mills by taking steps to superannuate workers who are near the retiring age on payment of suitable compensation. Leave facilities are being liberalised and surplus workers deployed in carpet backing sections, where possible. These measures have created vacancies for many worker who would have otherwise become redundant.

2. There is no union by the name of Bengal Jute Workers' Union. However, the Bengal Chatkal Mazdoor Union has asked for an early meeting of the Industrial Committee on Jute to discuss the problems arising out of sealing of looms in some mills and has made the following suggestions ;--

- ( i ) Maintenance of status quo in jute mills as it existed on the 20th October, 1968;
- ( ii ) Reduction of working hours to 45 hours a week;
- ( iii ) Introduction of State Trading in procuring raw jute.

A meeting of the Industrial Committee on Jute had been called on the 28th December, 1968 but had to be postponed as this date did not suit one of the Unions. The Committee will be called to meet as early as possible.

#### मत पेड़ियों का निर्माण

\*857. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों का निर्माण करने के लिए मैसर्स खेतान ब्रदर्स 4, कवीन पार्क, बालीगंज, कलकत्ता को ठेका दिया गया था; और यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा मैसर्स खेतान ब्रदर्स के बीच कोई लिखित करार हुआ था;

(ख) करार के अनुसार उन्होंने कितनी मत पेटियों का निर्माण करना था और इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कुल कितना इस्पात दिया था;

(ग) कितनी मत पेटियों का वास्तव में निर्माण किया गया और निर्माताओं के पास कितना ऐसा इस्पात बचा था जिसका प्रयोग नहीं किया गया था और क्या वह सरकार को लौटा दिया गया था; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मैसर्स खेतान ब्रदर्स द्वारा बनाई गई मत पेटियों को इस कारण रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस फर्म के एक कर्मचारी से यह सूचना मिली थी कि पेटियों का डिजाइन किसी एक विशेष राजनीतिक दल को पहले ही दिखा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों के निर्माण के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों का कोई निर्माण नहीं किया गया था ।

#### Slaughtering of Cows in U.P.

\*858. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that cows in large numbers are being brought from Rajasthan and Haryana and slaughtered in U.P.

(b) if so, whether it is a fact that cow slaughter is banned in U.P.;

(c) if so, whether Government propose to issue directions to U.P. Government for the strict enforcement of the law in order to check the slaughtering of bovine cattle; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasabib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) No Sir. The Act is being enforced by the U.P. Government. No direction from the Government of India appears called for.

#### Slaughtering of Bovine Cattle in District Rampur (U.P.)

\*859 Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Standing Committee of the Municipal Corporation of Delhi has written a detailed letter to Government after his tour of the district of Rampur, U.P. about the slaughtering of 50,000 bovine animals in that District and urged upon them to stop that; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh.

#### Exodus of Cattle from Rajasthan

\*860. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the exodus of cattle in large numbers from Jaisalmer, Barmer, Bikaner, Jodhpur Districts of Rajasthan due to serious famine conditions;

(b) whether it is a fact that a large number of cattle heads are being transported to Uttar Pradesh with a view to slaughter them as a result of the aforesaid famine conditions in Rajasthan;

(c) whether Government propose to transport the said cattle heads on Government level with a view to prevent slaughter of the said cattle heads; and

(d) if not, why ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Government of Rajasthan is already providing facilities for transport of cattle from these districts to other districts of the State or to such places where fodder and water is available so that cattle could be preserved till the next monsoon season.

(d) Does not arise.

#### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

\*861. श्री स० मो० बनर्जी : क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मंत्रालय ने पहले यह मत व्यक्त किया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक उद्योग है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब अपना मत बदलने के क्या कारण हैं ?

भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ। अप्रैल 1966 में।

(ख) वर्तमान मत मद्रास जिमखाना क्लब और क्रिकेट क्लब आफ इण्डिया, बम्बई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों पर आधारित है।

## Industrial Unrest in Public Sector Undertakings

\*862. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether a memorandum was submitted by the Hindustan Steel Ltd. to the National Commission on Labour to the effect that the cause of industrial unrest in public sector undertakings was due to influence of the political parties on Trade Unions;

(b) whether it is a fact that loss to the tune of crores of rupees had to be suffered in the Durgapur Steel Plant from March to July, 1967 due to labour unrest and failure of workers to work according to the code of discipline;

(c) if so, the number of cases of gheraos in Durgapur, during this period; and

(d) whether such gheraos are due to the fact that the State Governments do not effectively apply the code of discipline ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :** (a) In its replies to the Commission's questionnaire, prefaced by a short memorandum, a reference has been made to this and other causes of industrial unrest;

(b) According to the memorandum, the loss in the Durgapur Steel Plant was of the order of Rs. 12.70 crores.

(c) Ninetyfive during March to September 1967.

(d) A number of factors have caused "gheraos" in the country, of which the failure of employers and workers to implement the Code of Discipline is only one.

## दिल्ली में राशन की दुकानों से चावल की सप्लाई

\*863. **श्री अदिचन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन की दुकानों से चावल की अनियमित सप्लाई के क्या कारण हैं;

(ख) गत कुछ महीनों से इन दुकानों से घटिया किस्म के चावल सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बासमती तथा अच्छी किस्म के चावल के न दिये जाने के क्या कारण हैं, विशेषकर जबकि खुले बाजार में चावल का मूल्य बहुत अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): दिल्ली को चावल और गेहूँ के उत्तरी क्षेत्र में सम्मिलित करने से वहाँ सांविधिक राशन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। खुले बाजार में भारी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं और अधिकांश उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुले बाजार से ही करते हैं। तथापि दिल्ली में चावल और गेहूँ का निर्गम निर्धारित मूल्यों पर उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से हो रहा है। उचित मूल्यों की दुकानों से दिए गए चावल की किस्म घटिया नहीं है परन्तु यह पौष्टिक कारणों से पालिश करने पर प्रतिबन्ध होने से खुले बाजार में उपलब्ध चावल से हल्ली दिखाई देती है।

(ग) कुछ समय के लिए स्टॉक की कमी के कारण बासमती चावल देना बन्द कर दिया गया था परन्तु अन्य किस्मों के चावल पूरी मात्रा में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थे। 4 दिसम्बर, 1968 से बासमती चावल फिर से दिया जा रहा है।

**आसनसोल तथा दुर्गापुर में भूमि का घंसना**

\*864. श्री मुहम्मद इस्माइल :  
श्री भगवान दास :

क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में आसनसोल तथा दुर्गापुर सब डिवीजनों में बड़ी संख्या में ग्राम, कस्बे तथा बाजार घंस गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका कारण कोयला खानों के मालिकों द्वारा अवैध खनन है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। रानीगंज कस्बे, बाराकार कस्बे, केन्दुआ बाजार और कुल्टी में भूमि घंसने की थोड़ी सी घटनायें हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आसनसोल में भूमि घंसना**

\*865. श्री गरेश घोष : क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज आसनसोल क्षेत्र में कई ग्रामों तथा कस्बों को रिहायश के सम्बन्ध में खतरनाक घोषित कर दिया गया है;

(ख) कुल कितने ग्रामों को अयोग्य घोषित किया गया है और कुल कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं, यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई प्रतिबन्ध नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक 23 गांव खतरनाक घोषित किये गये हैं। यह मालूम नहीं है कि इसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ा।

(ग) और (घ) इन मामलों पर पश्चिमी बंगाल की सरकार विचार कर रही है।

**Grants in Aid To States**

\*866. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the names of the states which have been furnishing the details of expenditure before the end of February each year in regard to the grants-in-aid given to them for their

development works according to the provisions of Article 275 (1) of the Constitution and the Ministry of Home Affairs letter No. 74/4251-Lok dated the 17th November, 1961 addressed to all the Part 'A' States, except Uttar Pradesh and to all the Part 'B' States (except Jammu and Kashmir and Pepsu); and

(b) the details of the amount sanctioned finally by the Central Government, spent and surrendered by the State Governments, item wise and year-wise during the last five years ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phu'renu Guha)  
(a) The procedure prescribed in the letter under reference was applicable in the pre-Plan-period. Also, thereunder only the details of schemes were required to be furnished. The question of furnishing the details of expenditure in accordance with that letter, therefore, does not arise.

(b) The amount sanctioned finally by the Central Government is based on the actual expenditure figures. The details for the last five years are as under :

| Year                  | (Rs. in lakhs) |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | State Sector   | Central Sector |
| 1964-65               | 472.80         | 572.97         |
| 1965-66               | 367.11         | 756.06         |
| 1966-67               | 297.12         | 979.26         |
| 1967-68 (Anticipated) | 195.51         | 559.82         |
| 1968-69 (-do-)        | 223.83         | 681.79         |

### चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि

#867. श्री हिम्मत सिंह का : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी की उत्पादन लागत जो अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत की तुलना में भारत में पहले ही बहुत अधिक है, में किसी वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : चीनी की उत्पादन लागत के मुख्य तत्व ये हैं (1) गन्ने की लागत, (2) सरकारी कर और (3) बनाने की लागत जिसमें लगी पूंजी पर लाभ भी शामिल है। चीनी तैयार करने की लागत का प्रश्न टैरिफ आयोग को भेजा गया है। गन्ने की लागत में वृद्धि को प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर और गन्ने में चीनी तत्व की बढ़ोतरी कर रोक जा सकता है। चीनी कारखानों को गन्ने की उपलब्धि बढ़ाकर और उसकी किस्म में सुधार कर चीनी तैयार करने की लागत में कमी करना भी सम्भव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीनी तैयार करने वाले प्रमुख राज्यों की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे चीनी कारखानों के इर्द-गिर्द सघन विकास क्षेत्र बनाए और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता के आधार को उदार कर दिया गया है।

### अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति

#868. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



(क) क्या इस बात को देखते हुए, कि देश में मतदाताओं की संख्या जो वर्ष 1952 में 17 करोड़ 60 लाख थी बढ़ कर वर्ष 1967 में 20 करोड़ हो गई है, सरकार ने और अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने की वांछनीयता पर विचार किया है जैसा कि सविधान में अनुच्छेद 324 में प्रकल्पित है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने मात्र से अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

#### कपास का उत्पादन

\*869. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

श्री लोबो प्रभु :

श्री सीताराम केसरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में कपास के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने तथा उस की किस्मों को सुधारने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ;

(ख) इन विकास कार्यक्रमों पर कितना धन खर्च किया गया तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61 और 1967-68 के मौसमों में कुल कितना भूमि पर कपास की खेती की गई थी और इन वर्षों में की गई कपास की खेती वाली भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि में सिंचाई होती थी ; और

(घ) लम्बे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन कितना-कितना हुआ है और पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों की समाप्ति पर तथा अन्तिम फसली वर्ष में हुए कपास के कुल उत्पादन का यह कितने प्रतिशत था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रायों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे पैकेज कार्यक्रम के आधार पर समन्वित कपास विकास योजनाओं और कपास की सघन खेती के अतिरिक्त, कपास उत्पादन और अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये कपास के उत्पादन और उस की फसल की किस्म में सुधार करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें शुरू की गई हैं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) एक विवरण समा पटल पर रख दिया गया है (विवरण 1) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2780/68]



(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण 2) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2780/68]

### विकलांगों के सुयोग्य नियोजक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

\*870. श्री चैलराया नायडू : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के सुयोग्य नियोजकों और अत्यन्त कुशल विकलांग कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणुगुह : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) प्रथम पुरस्कार मार्च 1969 में दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) तीन पुरस्कार, जिनमें एक वाचन-पत्र, एक शील्ड तथा कांग्रेस का एक पदक शामिल होंगे, विकलांग व्यक्तियों के सुयोग्य नियोजकों को दिए जाने का प्रस्ताव है । इतने ही पुरस्कार, जिन में से प्रत्येक में एक वाचन-पत्र तथा 500 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल होंगे । अत्यन्त कुशल विकलांग कर्मचारियों को दिए जाने का प्रस्ताव है ।

### वन संसाधनों का पूंजी नियोजन-पूर्व सर्वेक्षण

5056. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 13 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधनों का पूंजी विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : यद्यपि विश्व खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली वन साधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण परियोजना 31-10-68 को समाप्त हो गयी है, किन्तु चतुर्थ योजना की स्कीमों में से एक से रूप में वन साधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण का कार्य जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

### राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा सफाई करने वाले कर्मचारियों के काम की तथा सेवा की शर्तों का अध्ययन

5057. श्री सिद्धया : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफाई करने वाले कर्मचारियों की काम की तथा सेवा की शर्तों का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। सरकार को मातूम हुआ है कि समिति द्वारा की गई सिफारिशें आयोग के विचाराधीन हैं।

#### Low-Income Group Scholarships to Students in Madhya Pradesh

5058. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of students in Madhya Pradesh who were granted low-income group scholarships by the Central Government during 1967-68 ;

(b) the total amount thereof ;

(c) the income group of guardians of students who were granted such scholarships ; and

(d) the income-limit stressed by Madhya Pradesh Government ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)

(a) 1152.

(b) Rs. 5,60,177.

(c) and (d) Below Rs. 2000 per annum.

#### Sugar Mills in Madhya Pradesh

5059. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the annual production of Sugar in each Sugar Mill in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the quantity of sugar supplied by the Madhya Pradesh Government to the Centre and to each state during the said period ; and

(c) the quantity of sugar consumed in Madhya Pradesh each year during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The annual production of sugar by each sugar mill in Madhya Pradesh during the last 3 years was as under :-

| Location of factory | Sugar produced during the season (October to September)<br>(figures in tonnes) |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|
|                     | 1965-66  | 1966-67    | 1967-68    |
| Dabra               | 10,960   | 2,051      | 936        |
| Dalauda             | 4,871  | 1,679      | Not worked |
| Jaora               | 6,026  | 1,926      | 1,860      |
| Mehidpur            | 3,687  | Not worked | Not worked |
| Sehore              | 10,352   | 1,851      | 803        |

(b) Control over release of sugar from factories in Madhya Pradesh and other States is exercised by the Central Government and not by the State Governments. The

sugar produced by the factories in Madhya Pradesh was supplied to various other States as under :-

|                                      | (In tonnes) |             |       |       |           | Total |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-------|
|                                      | Gujarat     | Maharashtra | U. P. | Delhi | Rajasthan |       |
| 1965-66                              | Nil         | Nil         | Nil   | Nil   | Nil       | Nil   |
| 1966-67                              | 174         | 765         | 196   | 186   | Nil       | 1321  |
| 1967-68<br>(including free<br>sugar) | 51          | 591         | 180   | 115   | 66        | 1003  |

(c) The quantity of sugar consumed in Madhya Pradesh during each of the last 3 years was as under :—

| [Lakh tonnes] |     |      |
|---------------|-----|------|
| 1965-66       | ... | 1.57 |
| 1966-67       | ... | 1.42 |
| 1967-68       |     | 0.99 |

### रतलाम में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

5060. श्री स० मो० बनर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम, मध्य प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को निरंतर तथा जानबूझकर दंडित करने तथा तंग करने की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तविक बीमारी के आधार पर भी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या इन मामलों में कानून और नियमों के विरुद्ध अन्धाधुन्ध तथा गैर कानूनी दण्ड दिये गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन गैर-कानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध विभागीय पत्र-व्यवहार करने तथा अभ्यावेदन देने अथवा अपील करने की अनुमति नहीं है और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में, विशेषतः उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं, इसके विपरीत जनता तथा वफादार कर्मचारियों दोनों से हड़ताल में सक्रिय भाग लेने वाले कुछ कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) तथा (ग): जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ): जी नहीं । लेकिन एक मिसाल ध्यान में आई है जहां याचिका अपने तत्काल उच्च अधिकारी के उचित माध्यम द्वारा न भेजकर सीधे ही उच्च प्राधिकारी को भेज दी गई थी और तत्काल उच्च अधिकारी ने याचिका को गलतफहमी के कारण अग्रसारित नहीं किया कि उच्च प्राधिकारी उनको सीधी भेजी गई प्रति पर कार्रवाही करेंगे । उनको इस संबंध

में उचित अनुदेश दे दिये गये हैं। याचिकाओं की प्राप्ति स्वीकार करने का कोई नियम नहीं है।

### रतलाम के डाक तथा तार कर्मचारी

**5061. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम के डाक तथा तार विभाग के कई कर्मचारियों को हाल ही में हुई ट्रेड यूनियन के आन्दोलनों में भाग लेने के कारण दण्ड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पदावनति, सेवासमाप्ति, स्थानान्तरण तथा निलम्बन आदि के अलग-अलग मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कानून तथा नियमों के विरुद्ध गैर हड़ताली कर्मचारियों को भी दण्ड दिया गया ; और

(ङ) कर्मचारियों में फिर से विश्वास तथा प्रतिष्ठा की भावना पैदा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं, जो भी कार्रवाई की गई वह 19-9-68 को हुई गैर-कानूनी हड़ताल तथा उसके बाद के आन्दोलन में भाग लेने और उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए की गई थी।

(ख) पदावनति के मामलों की संख्या—कुछ नहीं

अस्थायी कर्मचारियों की सेवा

समाप्ति के मामलों की संख्या — 22

स्थानान्तरण के मामलों की संख्या — 4

निलम्बन के मामलों की संख्या — 33

(ग) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई थी। कर्मचारियों का निलम्बन या तो गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप या विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के उपक्रम के बतौर किया गया था। उनके स्थानान्तरण प्रशासनिक सुविधा के हित में किये गये।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उक्त परिस्थितियों में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित कालाकजी बस्ती में पूर्वो पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

**5062. श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के आवास भू-खंडों का अधिकार मकान के अलाटियों को कब तक दिया जायेगा ;

(ख) बस्ती का वर्तमान विकास विशेषकर पानी, बिजली और सड़कों के निर्माण की दिशा में कहां तक हुआ है ; और

(ग) मकानों में अलाटी कब तक अपने मकानों का निर्माण आरम्भ करेंगे ?

धम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पुनर्वास विभाग द्वारा अलाटियों को पत्र जारी किये जा रहे हैं जिनमें कहा गया है कि आवश्यक करार कर दें और प्लॉटों का कब्जा ले लें।

(ख) बस्ती का आन्तरिक विकास, जिसमें सड़कों, नालियों, मल-व्यवस्था तथा सम्प (चौबच्चा), ऊपरी टंकी तथा जल संभरण के लिये पाइप लाइनों का निर्माण सम्मिलित है प्रायः पूर्ण हो चुका है। मकानों के निर्माण के लिये आवश्यक जल-संभरण की त्वरित व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम की पाइप लाइनों में जल संभरण की वृद्धि करने के उद्देश्य से तलकूप खोदने, पम्प-गृह के निर्माण तथा पम्प स्थापित करने आदि का कार्य प्रगति पर है ताकि निगम बस्ती में जल संभरण की स्थायी व्यवस्था कर सके। दिल्ली नगर निगम की पुरानी कालकाजी बस्ती में स्थित लाइनों में मल का निकास करने के लिये निगम द्वारा एक सम्पर्क लाइन स्थापित की जा रही है, कार्य 8 से 10 मास की अवधि में पूर्ण होने की संभावना है। जैसे ही प्लॉटों के मालिक अपने मकानों का निर्माण कार्य आरंभ करेंगे सड़कों की रोशनी का कार्य पूर्ण हो सकेगा और रहने वालों के मकानों को बिजली दी जा सकेगी।

(ग) क्या सरकार से प्लॉटों का कब्जा लेने के उपरान्त, अलाटी अपने मकानों के निर्माण की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

#### Post Offices in Gram Panchayats of Madhya Pradesh

5063. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Post Offices have not been set up in each Gram Panchayat area in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of Gram Panchayat areas where Post Offices have been set up and the number of those Gram Panchayat areas where no post office exists at present ; and

(c) the time by which Government propose to achieve the target of opening a post office for every 2000 persons ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b): 5, 168 post offices are functioning in villages which are headquarters of Gram Panchayats. All villages in Gram Panchayat areas are covered by the existing post offices 11,383 villages, which are headquarters of Gram Panchayats, have not been provided with post offices.

(c) Does not arise as no such policy has been decided upon.

## P and T Offices, Telephone Exchanges etc. in Madhya Pradesh

5064. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the target fixed in respect of introducing new telephone lines, branch offices, sub-Post offices and telephone exchanges in Hoshangabad and Eastern Nimad districts of Madhya Pradesh during the current year ;

(b) whether it is a fact that there is generally too much delay in setting up new post offices, sub-Post offices and telephone exchanges ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that these are set up according to schedule ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral.) : (a) One telephone trunk line between Khandwa and Kharagone is likely to be commissioned during the current year.

One P. C. O. in Hoshangabad is expected to be opened during the year.

No new telephone exchanges are proposed to be set up in these districts during 68-69.

4 Branch offices, 2 each in Hoshangabad and East Nimad district are proposed to be set up during the year. 7 Branch offices (2 in Hoshangabad district and 5 in East Nimad district) are expected to be up,graded into sub-offices.

(d) No.

(e) Does not arise.

## राज्यों को उर्वरकों का नियतन और उसकी खपत

5065. श्री सुरजभान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1964, 1965 और 1966 में विभिन्न नाइट्रोजन्स फीसकेटिक तथा अनेक प्रकार के उर्वरकों का राज्य-वार कितना नियतन किया गया तथा उनकी कितनी खपत हुई ; और

(ख) क्या उक्त अवधि में राज्य-वार तथा वर्षवार प्रत्येक प्रकार के उर्वरकों की कोई कमी / अधिकता थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाले विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1 तथा 2) । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2781/68]

(ख) राज्यों से व्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और मिलते ही समा पटल पर रख दिया जायेगा ।

## भारतीय खाद्य निगम को अनाज की सप्लाई के लिये भुगतान रोक लेना

5066. श्री अंकार लाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अनाज के टेन्डरों पर सप्लाई किये गये अनाज के मूल्य का 95 प्रतिशत खाद्यानों की सप्लाई होने के समय और शेष दो महीनों के अन्दर किए परीक्षण की रिपोर्ट मिलने पर करता है ;

(ख) क्या कुछ परिस्थितियों में अनाज की सप्लाई के पूरे के पूरे भुगतान को रोकने का अधिकार भारतीय खाद्य निगम को है, और यदि हां, तो उन परिस्थितियों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मैसूर तिलक राज धर्मपाल, लुधियाना द्वारा पिछले चार महीनों में जिला मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना को सप्लाई किये गये समस्त अनाज के मूल्य के भुगतान को रोक लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या इस बात की सूचना सप्लाई करने वालों को दे दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, केवल शेष 5 प्रतिशत का भुगतान जो लेबोरेट्री विश्लेषण रिपोर्ट मिलने पर किया जाता है को छोड़कर और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

#### माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड

5067. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गत तीन महीनों में बम्बई, अहमदाबाद, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में नगर-वार कितनी तथा कितने मूल्य की डबल रोटी की बिक्री की गई ;

(ख) इन्वेत डबल रोटी में कौन-कौन से पोष्टिक तत्व मिलाये जाते हैं और विभिन्न नगरों में प्रत्येक 'लोफ' का भार तथा मूल्य कितना है ;

(ग) प्रत्येक एकक द्वारा उस की स्थापना से ले कर अब तक नगर-वार तथा वर्ष-वार कितना मुनाफा कमाया गया ;

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न एकको में अब तक वास्तव में कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ङ) बेकरियों में कितने तथा कौन-कौन से विदेशी विशेषज्ञ अथवा अधिकारी काम कर रहे हैं तथा एकक-वार उन के पदनाम क्या हैं तथा उनको कितना वार्षिक वेतन दिया जाता है ; और

(च) उनको कितने समय के निये नियुक्त किया जायेगा, और उनको प्रतिवर्ष कितनी राशि अथवा वेतन का कितने प्रतिशत भाग अपने देश भेजने की अनुमति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिव शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2782/68]

(ख) ये तत्व इस प्रकार हैं :—

- (1) विटामिन 'ए'
- (2) थिया-माइन
- (3) रिबोफ्लाविन
- (4) नियासीन
- (5) आयरन
- (6) लाइसिन
- (7) दुग्ध चूर्ण और
- (8) माल्ट-सत

सभा के पटल पर रखे गए विवरण में विभिन्न शहरों में डबलरोटी की कीमत और वजन बताया गया है।

(ग) क्योंकि माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड के पहले यूनिट ने केवल जनवरी, 1968 में उत्पादन शुरू किया था और मार्च, 1968 तक उत्पादन का एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) कम्पनी को 65 लाख रुपये के ऋण के अतिरिक्त सरकार ने कुल एक करोड़ रुपये लगाए हैं। यह पूंजी यूनिट वार नहीं लगायी गई है।

(ङ) शून्य।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

**जम्मू-कश्मीर के रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध कूट रचना और साक्ष्य गढ़ने के आरोप**

**5068. श्री बाबू राव पटेल :**

**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अर्जों में जिस रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध शपथभंग, कूट रचना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए अभियोजन के आदेश दिये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन आफिसरों द्वारा किए गए अपराधों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर किन धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाए गए हैं;



(ग) इन आफिसरों के अपराधों से विधान सभा के जिन अम्यर्थियों को लाम पहुँचा है उनके नाम क्या हैं तथा वे किस राजनैतिक दल के हैं;

(घ) क्या इन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) रिटनिंग आफिसर और सहायक रिटनिंग आफिसर के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री अशोक कुमार, (आई० ए० एस०), सहायक आयुक्त (नं० 2), अनन्तनाग (राजपुरा सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर) और

(2) श्री सफाया, सहायक निदेशक, पर्यटन, श्रीनगर (राजपुरा सभा निर्वाचन क्षेत्र का सहायक रिटनिंग आफिसर) ।

(ख) आफिसरों को आरोप पत्र नहीं दिए गए हैं । उच्च न्यायालय ने इन आफिसरों से केवल यह कहा है कि वे बतायें कि शपथभंग और कूट रचना आदि के लिए उन पर अभियोग क्यों न चलाया जाये ।

(ग) उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आफिसरों ने यह अनियमिततायें राजपुरा सभा निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर विधान सभा के सदस्य के रूप में श्री गुलाम मोहम्मद राजपुरी के अविरोध निर्वाचन को सुकर बनाने के लिए की थीं । श्री राजपुरी इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए अम्यर्थी थे ।

(घ) और (ङ): जी नहीं । आफिसरों ने उच्च न्यायालय द्वारा उनको दिए गए नोटिसों के विरुद्ध अपने लिखित कथन भेज दिये हैं और मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित है । राज्य सरकार यह समझती है कि इस प्रक्रम पर इन आफिसरों को निलम्बित करना उचित नहीं होगा ।

### मरुस्थल में खेती कराने का कार्यक्रम

5069. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के मरुस्थल में खेती करने का कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस का व्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल कितना धन व्यय किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग): केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड ने 15 मई, 1968 को हुई अपनी

दूसरी बैठक में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के महस्थल क्षेत्रों में चरागार विकास, भूमि संरक्षण, वनरोपण, कृषि विकास आदि की योजनाओं के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 करोड़ रुपये के व्यय का सुझाव दिया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले व्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मह क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य की विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय और उनके लक्ष्यों का निर्धारण धन के अन्तिम नियतन पर निर्भर करेगा। राज्यवार नियतन का प्रश्न केवल उसके उपरान्त ही उत्पन्न होगा।

### विदेशों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी

5070. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गुजरात से कितने विद्यार्थी विदेश गये हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं; और

(ख) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख): विदेश-छात्रवृत्तियों की सामान्य परियोजना के अन्तर्गत गुजरात से 1968-69 के दौरान 4 विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेश गए। उनमें अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों का एक विद्यार्थी था।

विदेश छात्रवृत्तियों की विशेष परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आठ अभ्यार्थी चुने गये थे, किन्तु उनमें गुजरात का कोई नहीं था। गुण-आधार पर वे चुने जाते हैं; राज्यवार यथांश (कोटा) नहीं है।

### गुजरात को ट्रैक्टरों की सप्लाई

5071. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को प्रति वर्ष कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है और वर्ष 1968 में उसको कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गये;

(ख) क्या ये ट्रैक्टर सरकारी अभिकरणों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा सप्लाई किये गये थे; और

(ग) क्या गुजरात राज्य ने 1969 में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कोटे के कोई प्रस्ताव दिये हैं-?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : देश में निर्मित ट्रैक्टरों के वितरण पर सरकार किसी प्रकार का

नियन्त्रण नहीं रखती। शायद प्रश्न का सम्बन्ध आयातित ट्रैक्टरों से है। सन् 1968-69 में गुजरात राज्य को लगभग 1100 ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। इसके मुकाबले में इसे 200 ट्रैक्टर पहले ही अलाट किये जा चुके हैं और बाकी शीघ्र ही अलाट कर दिए जायेंगे जिससे राज्य की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाएगी। ये ट्रैक्टर सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा वितरित किये जायेंगे।

(ग) जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार ने 1969-70 के लिये 600 ट्रैक्टरों की आवश्यकता की सूचना दी है। उस साल के लिए अलाटमेंट करते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

### मद्रास सरकार को गेहूँ और चीनी का नियतन

5072. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने गेहूँ तथा चीनी के अधिक नियतन के बारे में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तथा कितने गेहूँ और चीनी का नियतन किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1968 में मद्रास सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए गेहूँ का कोटा प्रति मास 10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 15,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार का अनुरोध मान लिया गया था। इसके बाद मद्रास सरकार से गेहूँ और चीनी के और आवंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

### सेन चीनी जांच आयोग

5073. श्री नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन चीनी जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सिफारिशों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार तथा क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) सभी सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : चीनी जांच आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न सम्बन्धित हितों के परामर्श से सावधानी विचार, स्वीकार तथा उन पर जहां व्यवहार्य समझा गया, कार्यवाही की गई जबकि अन्य की जांच और उन्हें ध्यान में रखा गया।

(ग) चीनी जांच आयोग की सिफारिशों से प्रतीत होता है कि चीनी उद्योग के बारे में कोई दीर्घ कालीन नीति तैयार करना कठिन है क्योंकि गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में घट-बढ़ होने और गन्ने की फसल की स्थिति जोकि मुख्यतः मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, के कारण प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों में भारी अन्तर पड़ जाता है। कमी की अवधि में इस घट-बढ़ से गुड़ और खंडसारी के मूल्य में वृद्धि और गन्ना चीनी बनाने की बजाए खंडसारी में लगाने से सम्बन्धित समस्याये पैदा होती हैं। अतः वर्ष विशेष के लिये नीति तैयार करते समय प्रत्येक वर्ष में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह विभिन्न हितों अर्थात् चीनी उद्योग, राज्य सरकारों आदि के परामर्श से किया जा रहा है।

#### निजाम शूगर फैक्टरी, आंध्र प्रदेश

5074. श्री नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम शूगर फैक्टरी लिमिटेड, शक्कर नगर बोधन, आंध्र प्रदेश, के बारे में 1959-60, 1960-61 तथा 1961-62 के वर्षों के लिये मूल्य लगाने के सूत्र के अन्तर्गत गन्ने के अतिरिक्त मूल्यों की धन राशि निर्धारित कर ली गई है।

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में कितना अतिरिक्त मूल्य बताया है ;

(ग) यदि अतिरिक्त मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मूल्य की किस तारीख तक घोषणा कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1959-60 के लिए अतिरिक्त मूल्य घोषित कर दिया गया है। जहां तक 1960-61 और 1961-62 के वर्षों का सम्बन्ध है, मामला विचारधीन है।

(ख) 1959-60 के सीजन का अतिरिक्त देय मूल्य 21.65 लाख रुपये था जिसमें से 9.27 लाख रुपये उनके अपने फार्म और 12.37 लाख उत्पादकों को दिये जाने थे। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार फैक्टरी ने उत्पादकों को 7.78 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है।

(ग) और (घ) : 1960-61 और 1961-62 के वर्षों के आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं और उन पर विचार हो रहा है। मूल्य का निर्धारण शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

#### चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए 'जोन'

5075. श्री नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चीनी के मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कितने - 'जोन' बनाये हुए हैं और प्रत्येक जोन में आने वाले क्षेत्रों तथा कारखानों का गौरा क्या है ;

(ख) चीनी जांच आयोग द्वारा कितने 'जोन' बनाने की सिफारिश की गई है उसको स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) समय-समय पर विशेष 'जोन' अथवा 'जोन' के बनाने की कसौटी क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में सरकार द्वारा अधिगृहीत लेवी चीनी के निकासी मूल्य चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित 5 जोनों के आधार पर निर्धारित किए गए थे। 1968-69 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य भी उसी आधार पर निर्धारित किए गए हैं। चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित जोनों को और प्रत्येक जोन के अन्तर्गत आये क्षेत्रों और कारखानों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी. 2783/68]

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

### गन्ने की खेती की लागत

5076. श्री नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश के उष्ण कटिबंधीय तथा उप-उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गन्ने की खेती की प्रति एकड़ लागत के बारे में पता है ; और यदि हां तो उनको यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से गन्ने की खेती पर प्रति एकड़ कितनी लागत आई ; और

(ग) क्या सरकार ने इस लागत का पता लगाने के लिए कोई जांच अथवा सर्वेक्षण कराया है और यदि नहीं तो, इनके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सन् 1955-63 के दौरान पुरानी भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्यों में गन्ने के उत्पादन की कीमतों का अध्ययन किया गया था। अध्ययन की अवधियां तथा विभिन्न राज्यों में प्रति एकड़ अनुमानित उत्पादन व्यय दिखाने वाली तालिका निम्नलिखित है :-

| राज्य          | उप-गर्म जलवायु वाले क्षेत्र | अवधि    | अनुमानित लागत रुपयों में प्रति एकड़ |
|----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|
| पंजाब (पुराना) |                             | 1955-58 | 372.87                              |
| उत्तर प्रदेश   |                             | 1955-58 | 334.46                              |
| बिहार          |                             | 1955-58 | 367.64                              |

| गरम जलवायु वाले क्षेत्र |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| ग्राम्भ्र प्रदेश        | 1955-58 | 663.72  |
| मैसूर                   | 1960-63 | 1007.27 |
| महाराष्ट्र              | 1956-59 | 1338.05 |

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कृषि निर्विष्टों के मूल्यों का विवरण इस बात का संकेत करता है कि इस अवधि के दौरान गन्ने के उत्पादन की लागत तत्कालीन स्तर से काफी बढ़ गई होती ।

निरन्तर रूप से देश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के उत्पादन व्यय का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाने का निश्चय किया है । इस योजना के अन्तर्गत गन्ने के उत्पादन व्यय सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी ।

### सफाई के काम में जागीरदारी पद्धति का उन्मूलन

5077. श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुछ राज्यों में सफाई के काम में जागीरदारी पद्धति का उन्मूलन करने में कोई प्रगति हुई है ,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) : जागीरदारी अथवा जित-जजमानी व्यवस्था देश के कुछ उत्तरी राज्यों में विद्यमान है, परन्तु इसे कानून द्वारा रद्दित अधिकार नहीं माना जाता है । यह समस्या स्थानीय प्रकार की है तथा सफाई के काम को नगर पालिकाओं के अधीन लिए जाने से इसका मुख्यतया हल किया जा सकता है । इसके लिए अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता होगी और इसलिए यह चतुर्थ योजना में किए गए आंशिक पर आधारित होगा ।

### अन-अधिसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रियायतें

5078. श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों में अन-अधिसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को क्या विभिन्न रियायतें दी गई हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त राज्यों में अन-अधिसूचित आदिम जातियों को विधान सभा तथा लोक सभा में स्थानों के आरक्षण के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं दी गई हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : मैसूर तथा महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों में अन-अधिसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा समाज

कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों में, जिन की प्रतियां प्रतिवर्ष सभा पटल पर रखी जाती हैं, दिया गया है। अनुसूचित आदिम जातियां उन विभिन्न सुरक्षाओं की भी हकदार हैं, जिन की उनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, अर्थात् विधान मंडलों में जगहों का आरक्षण तथा सेवाओं में पदों का आरक्षण, इत्यादि। अन-अधिसूचित आदिम जातियों के लिए विधान सभा तथा लोक सभा में जगहों का आरक्षण नहीं किया गया है।

### कोयला खानों द्वारा आदर्श स्थायी आदेश अपनाना

5079. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री कोयला खानों द्वारा आदर्श स्थायी आदेश अपनाने के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों वर्गों की कोयला खानों के नामों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

### कृषि उद्योग निगम

5080. श्री एन०शिवप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-उद्योग निगमों के उद्देश्य तथा कार्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन निगमों अथवा इनके द्वारा नियुक्त की गई एवेंसियों द्वारा अध्याभूति (गारंटी) की अधि में नौ ट्रैक्टरों की निःशुल्क मरम्मत आदि नहीं की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इन निगमों द्वारा बेचे गये ट्रैक्टरों की ठीक प्रकार से मरम्मत आदि सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने फालतू पुर्जों के लिये कई लाख रुपये की कीमत के आयात लाइसेंस जारी किये हैं और यदि हां, तो क्या इन लाइसेंसों के आधार पर आर्डर दे दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि-उद्योग निगमों के मुख्य उद्देश्य तथा कार्य कलाप संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार हैं :-

(1) उत्पादन, परिक्षण तथा खाद्य सम्भरण को प्रभावित करने वाले उद्योगों की उन्नति तथा क्रियान्विति करना :



- (2) कृषि तथा उससे सम्बन्धित धन्धों में व्यस्त व्यक्तियों को अपने क्रिया-कलाओं के आधुनिकीकरण करने में सहयोग देना ।
- (3) कृषि मशीनरी और औजारों तथा प्रक्रिया, डेगी, कुक्कुट, मात्स्यकी तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य उद्योगों के उपकरणों का वितरण ।
- (4) कृषि के लिए आदानों के कुशल वितरण में सहायता करना, और
- (5) कृषकों तथा कृषि उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों को तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध करना जिससे कि उनके इस उत्साहपूर्ण कार्य में कुशलता लाई जा सके ।
- (ख) जी नहीं । कृषि उद्योग निगमों तथा उनके नियुक्त एजेंटों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टरों की गारंटी अवधि में निःशुल्क सर्विसिंग की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को तदर्थ आधार पर ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए 104.29 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा नियुक्त की गई है जिससे कि वे किसानों को उचित मूल्य पर फालतू पुर्जे सप्लाय कर सकें । इसके मुकाबले में 42 लाख रुपये की राशि के आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं । सम्बन्धित कृषि उद्योग निगमों द्वारा विदेशी सम्भरण कर्त्ताओं की लगभग 35 लाख रुपए तक के आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं और शेष 7 लाख रुपये के सम्भरण की शर्तों के बारे में समझौता किया जा रहा है । 62 लाख रुपए तक के आयात लाइसेंस शीघ्र ही जारी हो जाने की सम्भावना है ।

#### Unemployment in Jhansi Division of U. P.

5081. **Shri Jageshwar Yalav :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a acute unemployment in Jhansi Division, particularly in hilly areas of Banda district in Uttar Pradesh, because of lack of employment opportunities in Jhansi, Jalaun, Hamirpur and Banda ;

(b) whether it is also a fact that large number of boys who have passed High School Intermediate and B. A. examinations in the Jhansi Division are facing acute problem of unemployment ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to ease the employment position in Jhansi Division ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) :** (a) Precise information is not available. However the number of employment seekers on the Live Register of the four Employment Exchanges as on 30th June, 1968 and the number of vacancies notified to these Employment Exchanges during the period July, '67 to June' 68 was as under :

| Name of Exchange | No. on Live Register as on 30. 6. 1968 | Vacancies notified during July, 67 to June, 68 |
|------------------|--|--|
| Banda            | 2,021                                  | 904  |
| Hamirpur         | 1,977                                  | 880  |
| Jhansi           | 8,203                                  | 3,057  |
| Jalaun           | 2,889                                  | 885  |
| <b>Total :</b>   | <b>15,090</b>                          | <b>5,786</b>                                   |



(b) The number of educated applicants (Matriculates and above) on the Live Register of Employment Exchanges as on 30th June, 68 in the Jhansi Division was as under :

|   |              |
|---|--------------|
| Matriculates  | 3,684        |
| Higher Secondary (including Intermediate under-graduates) | 1,730        |
| Graduates (including Post-graduates)                      | 629          |
| Total :   | <u>6,043</u> |

(c) Various development programmes proposed to be undertaken in the 4th Plan are designed to provide increasing number of employment opportunities for unemployed including the educated persons.

### वर्ष 1968-69 में आसाम में आदिवासियों के कल्याण कार्यों पर व्यय

5082. श्री कार्तिक उरांव : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 में आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के कल्याण कार्यों पर किये जाने वाले खर्च का व्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

|             |      |                         |
|-------------|------|-------------------------|
| पहाड़ी जिले | —    | 61.35 लाख रुपये         |
| मैदानी जिले | —    | 47.90 लाख रुपये         |
|             | जोड़ | <u>109.25 लाख रुपये</u> |

### मैसूर राज्य को उपहार के गेहूं का तथा खाद्य पदार्थों की सप्लाई

5083. श्री क० लक्ष्मा :  
श्री ए० श्रीधरन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य को 1967-68 में उपहार के रूप में दिए गए अमरीकी गेहूं तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की मात्रा क्या है ; और

(ख) मैसूर सरकार द्वारा इन वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं को बांटा गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में भारत केयर करार, 1950 और भारत अमरीका करार, 1951 के अन्तर्गत आयात की गई गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की निम्नलिखित मात्रा मैसूर को सप्लाई की गई थी :

| वस्तु                                    | भारत केयर करार के अधीन आयातित मात्रा (मी० टन०) | भारत अमेरीका करार के अधीन आयातित मात्रा (मी०टन०) | जोड़ (मी०टन०) |
|--|--|--|---------------|
| सलाद तेल                                 | 1499.3   | 460.0  | 1959.3        |
| गेहूँ (बुलगर गेहूँ सहित)                 | 3597.3   | 5645.0   | 9242.3        |
| सी०एस० एम० (कार्ना-सोय मिलक फूड मिश्रित) | 7665.8   | 965.0  | 8630.8        |
| कार्ना मील                               | 910.4  | -  | 910.4         |
| दुग्ध चूर्ण                              | 428.1  | 354.4  | 782.5         |
| पी० बीन्स                                | -  | 130.0  | 130.0         |

(ख) भारत अमेरीका करार के अधीन आयात की गई उपहार वस्तुएं करार की शर्तों के अनुसार स्वीकृत सहायता एजेंसियों को वितरण के लिए सप्लाई की गई थीं जबकि भारत केयर करार के अधीन प्राप्त वस्तुएं राज्य सरकार द्वारा दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अधीन वितरित की गई थीं। इससे फायदा उठाने वाले बच्चों की संख्या 897422 प्राथमिक स्कूल के बच्चे और 367483 स्कूल न जाने वाले बच्चे थी। उपर्युक्त वस्तुओं के वितरण आदि में राज्य सरकार द्वारा कुल खर्च की गई राशि 39.6 लाख रुपये थी जिसका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

|                                   | (लाख रुपये में) |
|-----------------------------------|-----------------|
| (1) सम्भालने / निकासी सहित परिवहन | 21 00           |
| (2) केयर प्रशासन                  | 9.6             |
| (3) स्थापन                        | 9.0             |
| <b>जोड़</b>                       | <b>39.6</b>     |

### धातु से बनाये गये गोदाम

5084. श्री कामेश्वर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या किसानों में धातु से बनाये गये अनाज जमा रखने के गोदामों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में मुंघेर जिले के खमरिया और बेगूसराय उप मंडलों को सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : फिलहाल धातु से बने गोदामों की लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम

कोसी विकास परियोजना क्षेत्र तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में बिनों की उपयुक्तता का पता लग जाने के बाद इस कार्यक्रम का विस्तार धीरे-धीरे बिहार के अन्य जिलों में भी किया जाएगा।

#### Use of Animal Blood as Manure

5085. Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Narain Swarup Sharma :  
Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of vegetables and fruits for which the blood of animals is used as manure ;

(b) whether it is proposed to ban the use of such manures for the fruit or vegetables, which are used for worshipping or taken on religious fasts ; and

(c) whether the blood of cow is prohibited for such use ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There are no specific fruits or vegetables for which animal blood is used as a manure but where it is available it may be used as manure for orchards.

(b) No.

(c) No.

#### Effect of Increase of Postal Charges on Small Newspapers.

5086. Shri Atal Bihari Vajpayee :  
Shri Narain Swarup Sharma :  
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the effect of the increase in postal charges on the financial position and circulation of small Newspapers ; and

(b) whether Government propose to provide some relief to the small Newspapers ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Government have no specific information.

(b) The rates policy in respect of newspapers is under review.

#### उड़ीसा को पम्पिंग सैटों की सप्लाई

5087. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सहाय तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये पम्पिंग सैटों की सप्लाई के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

### मछली पालन संसाधनों का विकास

5088. श्री ए० श्रीधरन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि मंडल के एक क्षेत्रीय निकाय, हिन्द महासागर मछली आयोग के रोम में हाल ही में हुए अधिवेशन में मछली पालन संसाधनों के विकास के लिये एक तीन-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम में भारतीय योगदान कितना है, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित की जाने वाली भारतीय तटों पर मछली पालने की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत में मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । तीन-सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित है :-

- 1 ) मात्स्यकी सांख्यिकी का सुधार
- 2 ) बुरी तरह शोषित भंडारों का प्रबन्ध और
- 3 ) हिन्द महासागर के सर्वेक्षण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(ख) कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नलिखित रूपसे निश्चित किया जायेगा :-

- 1 ) सांख्यिकी एकत्रित करने की वर्तमान राष्ट्रीय प्रणालियों का और विशेषज्ञ दल द्वारा उन के मानकीकरण सम्बन्धी कार्यों पर की गई सिफारिशों का अध्ययन ।
- 2 ) विशेषज्ञों के दलों द्वारा हिन्द महासागर की खाड़ी में ट्यूना और श्रीम्प मच्छलियों के भंडारों के शोषण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन ।
- 3 ) विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये अध्ययन । इस कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से सहायता मिलने की आशा है ।

(ग) और (घ) : भारत के इस विकास कार्यक्रम में भाग लेने की सीमा को तथा मछली-उत्पादन में होने वाली वृद्धि की मात्रा को केवल प्राथमिक अध्ययन पूरा होने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है ।

## मछली उद्योग का विकास

5089. श्री ए० श्रीधरन :

श्री श्रीकार लाल बैरवा :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछली उद्योग के विकास कार्य में सहायता करने के लिये हाल ही में भारत और नार्वे के बीच एक ऋण सम्बन्धी करार को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इस करार के अन्तर्गत गहरे समुन्द्र में से मछली पकड़ने की योजना बनाई जायेगी ; जिन में कुछ परियोजनाएँ बेरल की सम्मिलित होंगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) करार की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल. टी. 2784/68 ]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

## होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन का स्थगन

5090. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या विधि मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 5080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन क्यों स्थगित कर दिया गया ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : पंजाब राज्य के बारे में 23 अगस्त, 1968 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप परिवर्तित परिस्थितियों में, निर्वाचन आयोग ने यह अनुभव किया कि अक्टूबर, 1968 में होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उपनिर्वाचन करने से, जैसा कि पहले अनुमोदित किया गया था, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण और राज्य में मध्यावधि साधारण निर्वाचन के संचालन के लिए अन्य इन्तजामों में बाधा पड़ेगी । निर्वाचन आयोग ने तदनुसार होशियारपुर निर्वाचन-क्षेत्र में उप-निर्वाचन को स्थगित करने और उसे पंजाब राज्य में मध्यावधि साधारण निर्वाचन के साथ-साथ कराने का विनिश्चय किया ।

## Direct Dialling System

5091. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that direct dialling system has been introduced between Delhi and Jaipur and also between Jaipur and Ajmer; and

(b) if so, the reasons for not introducing that system between Jaipur and Kotah and also between Ajmer and Kota ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Direct dialling has been introduced between Delhi and Jaipur, while it has not been introduced between Jaipur and Ajmer.

(b) Ajmer and Kota telephone system are at present manual exchanges. Direct dialling facilities can be introduced only between automatic exchanges and therefore it is not possible to provide this facility between Jaipur and Ajmer, Jaipur and Kota and Ajmer and Kota.

### चुनाव कार्य के लिये सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस लेना

5092. श्री रा० की० प्रमीन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनावों की तीन सप्ताहों की अवधि के दौरान सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चुनावों से तीन सप्ताह की अवधि में उन जीपों का प्रयोग चुनावों के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था;

(ग) क्या सरकार चुनावों से कम से कम तीन महीने पहले इन जीपों को वापस लेने का विचार करेगी; और

(घ) उप-चुनावों तथा मध्यावधि चुनावों में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि चुनाव अवधि में जीपें नामांकन की तारीख से लेकर मतदान की तारीख तक खण्डों से वापस ले लेनी चाहिए और जिला समाहर्ताओं के नियंत्रण में उनके द्वारा केवल चुनाव कार्य हेतु प्रयोग में लाने के लिए रखी जानी चाहिए ।

(ख) और (ग): चुनाव अवधि में उपरोक्तानुसार जीपें वापस लेने से पहले उनका उपयोग खण्डों के सामान्य विकास कार्य के लिए किया जाना है, उन्हें पहले वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनावों के दौरान खण्डों से जीपें वापस लेने का यह प्रबन्ध उप-चुनावों तथा मध्यावधि चुनावों के दौरान भी उतनी ही अवधि के लिए लागू होता है ।

### हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

5093. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड कम्पनी किस वर्ष स्थापित की गई थी उस समय इसके निदेशक मण्डल के सदस्य कौन-कौन थे तथा वही निदेशक मण्डल कितनी देर चलता रहा; और

(ख) इसके वर्तमान निदेशक मण्डल के सदस्यों, अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किन-किन तरीकों को की गई थी और उनका कार्य-काल कितना है तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1785/68]

### हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड

5094. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) अनियमितताओं (दो) चोरी (तीन) माल की कमी हो जाने (चार) भाग लगने अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड को इसकी स्थापना से लेकर अब तक कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ख) क्या इन मामलों की जांच कराई गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड का चोरी के कारण हुई हानि लगभग 2,610 रुपये है। कम्पनी को अनियमितताओं, स्टाक की कमी और आग लगने की घटनाओं, आदि के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) जी हां। कम्पनी के प्रबन्धक-वर्ग ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की है और सुरक्षा के उपायों को भी, जहां कहीं आवश्यक समझा गया और अधिक कड़ा कर दिया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड

5095. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड के ऋय ठेकों तथा विक्रय से सम्बन्धित कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपयों से अधिक मासिक वेतन वाले पदों के लिये) के नियम बना रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन नियमों का ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजगल) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड द्वारा, 500/- रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन वाले पदों के भर्ती के नियम बना लिये गये हैं तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। खरीद के ठेकों तथा बिक्री के विषय में कम्पनी द्वारा स्पष्ट नियम तथा शर्तें तय कर दी गई हैं। इन सभी को सामान्य वाणिज्यिक पैराये पर तैयार किया गया है।

### केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड

5096. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना करने के उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या कारखानों की स्थापना और उनके उत्पादन और विकास के लक्ष्य परियोजनाओं के प्रतिवेदनों के अनुसार प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निगम की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग शामिल था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या थे, सहयोग की शर्तें क्या थीं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(घ) कम्पनी इस समय किस चीज का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा कितना उत्पादन किया गया, कितनी बिक्री हुई तथा इस उत्पादन में से कितने उत्पादन का निर्यात किया गया; और

(च) क्या कम्पनी को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का विचार कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमि० की स्थापना 29 नवम्बर, 1965 में की थी। इसका मुख्य ध्येय था कि यह मछलियों को अधिप्राप्त कर उनके संरक्षण परिवहन और भंडारण तथा भारत उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने की सुनिश्चितता तथा भारत के किसी भी भाग में विशेषकर कलकत्ता में उपभोक्ताओं को मछली उचित मूल्यों पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना।

(ख) एककों की स्थापना की कोई सूचना नहीं थी। कार्य के दौरान विकास के लिए पानी के अनेक क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया गया था। विकास के फलस्वरूप उत्पादन के लक्ष्यों में होने वाली वृद्धि विवरण में संकेतित है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2786/68]।

गुजरात का मयूराक्षी जलाशय, 1967 में और उत्तर प्रदेश की मिंवारी झील 1968-69 में ही अधिग्रहण की गई हैं। सन् 1967-68 के दौरान क्षमोदर घाटी निगम के जलाशयों



से वास्तविक उत्पादन 59000 किलोग्राम के अनुमानित उत्पादन के विपरीत 53000 किलोग्राम था।

(ग) निगम में किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं है।

(घ) अब निगम का कार्य केवल मछली के अधिप्राप्त करने तथा विक्रय तक ही सीमित है किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाती। निगम आजकल किसी भी प्रकार के मछली-उत्पाद का उत्पादन नहीं करता।

(ङ) विभिन्न साधनों द्वारा अधिप्राप्त मछली की मात्राएं भिन्न-भिन्न साधनों के द्वारा कलकत्ता सहित, विभिन्न केन्द्रों पर बेची गई मछली की मात्राएं निम्न प्रकार है :-

| वर्ष   | मात्रा             |
|--|--------------------|
| 1965-66 (3-12-1965 निगम के कार्य करना आरम्भ करने की तिथि से) | 4,31,000 किलोग्राम |
| 1966-67  | 14,41,000 ,,       |
| 1967-68  | 11,08,000 ,,       |

निगम ने मछली का निर्यात नहीं किया।

(च) निगम अभी निर्माणत्मक अवस्था में है। इसे मछली अधिप्राप्त करने में भली प्रकार स्थापित तथा प्राप्ति और संभरण के परम्परागत केन्द्रों से संबन्धित गैर-सरकारी प्रतियोगितों व्यापारियों से मुकाबला करना पड़ता है। आजकल मछली की काफी मात्रा व्यापारियों से प्रतियोगिता में ही अधिप्राप्त की जाती है। प्रतियोगिता बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए निगम ने पहले ही निरन्तर संभरण के साधन बनाने के लिए पानी के क्षेत्रों के अधिग्रहण एवं विकास की नीति अपना ली है। विभिन्न राज्यों में कुछ जलाशयों का अधिग्रहण कर लिया गया है और उन पर विकास कार्य जारी है।

### सहकारी समितियों का विकास

5097. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रकार की सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं तथा उन सदस्यों की संख्या सहित उनकी राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों में ऋणों, अनुदानों इत्यादि के खर्च में कुल कितनी सरकारी पूंजी लगी हुई है;

(ग) क्या कुछ विशिष्ट प्रकार की सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सहकारी समितियों को मोटे तौर पर साख समितियों तथा साखेतर समितियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले वाली समितियों में राज्य। केन्द्रीय बैंक प्राथमिक कृषि साख तथा कृष्येतर साख समितियां, केन्द्रीय। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, आदि शामिल हैं। बाद वाली समितियों में मुख्य रूप से विपणन, विधायन, खेती, श्रमिक निर्माण, डेरी, औद्योगिक, गृह निर्माण सहकारी समितियां आदि शामिल हैं। इनकी संख्या तथा सदस्यता के बारे में इन ही उपलब्ध आधुनिकतम राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2787/68]

(ख) अब तक सरकार ने सहकारी समितियों में कच्चे तौर पर 110.94 करोड़ रुपए ऋण के रूप में 88.30 करोड़ रुपए अंश पूंजी अंशदान के रूप में और 32.36 करोड़ रुपए अनुदानों तथा उपदानों के रूप में लगाए हैं।

(ग) और (घ): सरकार आर्थिक जीवन की बहुत सी शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग, कृषि उपज के विपणन तथा विधायन, उत्पादन आदानों तथा अत्यावश्यक उपभोज्य वस्तुओं के वितरण तथा सम्मरण के क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहित करती रही है।

#### Wheat Supply to flour Mills

5098. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of wheat supplied to the flour mills so far during the current financial year as also the terms on which supplied and the quantity of indigenous and imported wheat separately likely to be supplied to them by the end of the year ; and

(b) the number of mills working along with their capacities and the number of mills which are lying closed along with their capacities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The total quantity of wheat supplied to the flour mills during the period April to October, 1968 was about 11.65 lakh tonnes. 3.74 lakh tonnes were allotted for November and December, 1968. It is not possible at this stage to indicate the quantity that will be supplied to the roller flour mills during the period January to March, 1969. A copy of the terms and conditions on which wheat is supplied to the roller flour mills is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. L. T. 2788/68] No separate account is kept of indigenous or imported, wheat Supplied to any recipient as all wheat, after reaching the Central depots, lose their identity except for quality, i. e. whether it is red wheat or white wheat or superior wheat.

(b) 182 roller flour mills with a total monthly capacity of about 3.4 lakh tonnes are working and 9 roller flour mills with a total monthly capacity of 7709 tonnes are lying closed at present.

#### Construction of Warehouses

5099. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the time by which the programme formulated out by Government for the construction of warehouses for foodgrains in the producing areas would be completed and the progress made so far in this respect ; and

(b) the quantity of foodgrains likely to arrive in mandis in each State after the end of the Fourth Five Year Plan and the storage capacity of warehouses proposed to be built in the said States ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Government have approved a total construction of 9.65 lakh tonnes capacity godowns, most of which are in the producing areas. These are expected to be completed during 1969-70. Godowns of 25,000 tonnes capacity have already been completed.

(b) As the Fourth Five Year Plan has not yet been finalized, it is not possible, at this stage, to estimate either the quantity of foodgrains likely to arrive in mandis after this period or the storage capacity for which funds will be provided in the plan.

#### Modern Bakery Madras

**5100. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bread produced in the Modern Bakery in Madras, which has been set up with Australian assistance, is not selling and that production in the factory is much less than its capacity because of different food habits of the people there ; and

(b) if so, the measures being adopted by Government in that connection ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) The bread produced by the Government Company is selling in Madras City but the volume is not very large. Therefore, the production has not yet reached capacity level

(b) The Company has undertaken intensive publicity on the nutritional value of the Modern Bread and the sale has also been extended to cover larger areas.

#### टेलीफोन के बारे में शिकायतें

**5101. श्री जार्ज फरनेन्डोज :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें श्री सी० बी० एल० मटनागर, 23 वैंली बिल्डिंग, सर पी० ए० रोड, बम्बई से टेलीफोन नम्बर 254626 के बारे में तारीख 7 सितम्बर, 1968 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन्होंने अभ्यावेदन में लगाये गये गम्भीर आरोपों की कोई जांच की है ; और

(ग) बम्बई टेलीफोन कार्यालय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी हाँ ।

(ख) बम्बई टेलीफोन परिमंडल ने इस शिकायत की जांच की थी। 24 अक्टूबर, 1968 को टेलीफोन प्रयोक्ता को जांच के परिणामों से अवगत कराया गया था। बिलों की रकम की शीघ्र अदायगी के लिए उनसे सहयोग करने के लिए कहा गया था ताकि टेलीफोनों का कनेक्शन न काटा जाए। इसके बाद 28 अक्टूबर, 1968 को प्रयोक्ता से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। पार्टी ने जाब्ता दीवानी की धारा 80 के अन्तर्गत 23 नवम्बर, 1968 को महाप्रबन्धक, टेलीफोन, बम्बई टेलिफोन परिमण्डल, बम्बई को एक नोटिस भी भेजा है।

(ग) अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सके।

### मुख्य डाक घर बम्बई में चौकीदारों के लिये ड्यूटी के लम्बे घंटे

5102. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई मुख्य डाक घर कार्यालय के चौकीदारों को लगातार 12 घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मजदूरों के कार्य घंटों के विनियमन कानून के विरुद्ध नहीं है ;

(ग) क्या मजदूरों ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रति दिन के काम के घंटों को घटा कर आठ घंटे करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है ; हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यह लगातार हो।

(ख) से (घ) : जी हां, इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और चौकीदारों के दैनिक कार्य-समय को 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करने का प्रश्न विचाराधीन है।

### Unemployed Engineers and Diploma Holders

5103. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of unemployed engineers and diploma holders in the country at present on the basis of the information available with Government ; and

(b) the number of unemployed engineers given employment by Government through the employment exchanges during the last four months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) Precise information is not available. However, the number of engineering graduates and diploma holders on the Live Register of Employment Exchanges as on 30-6-1968 was 7,848 and 29,871 respectively.

(b) The number of engineers placed in employment during January to June, 1968 was 1,529.

#### Withdrawal of Recognition of P & T Employees Unions

5104. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the names of the Unions of Posts and Telegraphs Employees whose recognition has been withdrawn by Government as a result of their participation in the recent strike ; and

(b) the respective dates when recognition was accorded to them and the number of the members of each one of them at present ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) The recognition of the following Unions has been withdrawn on 21-9-68 consequent upon their sponsoring and participation in the illegal strike on 19-9-68.

1. National Federation of P & T Employees.
2. All India Postal Employees Union (Class III)
3. All India Postal Employees Union (Postmen & Class IV)
4. All India RMS Employees Union (Class III)
5. All India RMS Employees Union (Mailguards & Class IV)
6. All India Telegraph Engineering Employees Union (Class III)
7. All India Telegraphs Engineering Employees Union (Linestaf. and Class IV)
8. All India Telegraph Traffic Employees Union (Class III)
9. All India Telegraph Traffic Employees Union (Class IV)
10. All India (P&T) Administrative Offices Employees Association (Class III & IV).

(b) These Unions had originally been recognised in 1954, when the realignment Scheme for the Unions of non-gazetted staff in the P&T Department was introduced. Their recognition was withdrawn in July, 1960 for organising an illegal strike but it was restored on 23-9-1961.

Information is not available regarding the correct membership of these Unions either before or at present.

#### Production of Pure Ghee

5105. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6374 on the 29th August, 1968 and state :

(a) whether information in regard to production of pure ghee in 1967 has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasab Shinde) : (a) and (b) : Certain data has been collected but

needs further clarification before fulfilling the Assurance given in reply to Unstarred Question No. 6374 on 29th August, 1968.

#### Milk Procurement By D. M. S.

**5106. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of standard milk brought in to Delhi from outside places during August and September, 1968 ;

(b) whether it is a fact that milk collected for Delhi from outside places during the corresponding months last year was much more than the quantity this year ; and

(c) if so, the reasons for the less collection by the DMS of milk during these months ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Standard milk is prepared in the DMS and not brought from outside. The quantity of raw milk procured in August 1968 was 44,03,757 litres and in September, 1968 was 40,99,319 litres.

(b) Yes, Sir. 46,45,135 litres of milk was procured in August, 1967 and 47,89,202 litres during September, 1967.

(c) (i) Diversion of milk for khoa manufacture and other milk products during August, 1968, after the expiry of the Delhi Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 196 .

(ii) Festivals like Dussehra and Navratri which fell during September, this year where as these festivals had fallen in October, last year.

(iii) Fall in production in dry areas of Haryana and Bikaner in Rajasthan.

#### Emoluments of Panchayat Secretaries in U. P.

**5107. Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Secretaries of Panchayats in Uttar Pradesh get only Rs. 50 p. m. as remuneration without any allowances such as dearness allowance, conveyance allowance, travelling allowance etc ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to fix adequate pay and allowances of Panchayat Secretaries ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :** (a) Panchayat Secretaries in Uttar Pradesh are employed in the scale of Rs. 50-2-60-EB-3-75. They are paid dearness allowance and travelling allowance at the monthly rate of Rs. 12.50 and Rs. 5.00 respectively. Besides, an allowance of Rs. 2/-per month is also payable to every Panchayat Secretary by each Gaon Sabha in his circle.

(b) The question does not arise.

(c) On account of constraint of resources the State Government cannot at present provide funds for higher pay scales and allowances to Panchayat Secretaries. The Gaon

Panchayats are also not now in a position to shoulder any extra financial burden. The State Government are, however, exploring ways and means of augmenting the resources if possible.

#### **Scheduled Castes and Scheduled Tribe Students in Engineering and Medical Colleges**

**5108. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the total number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in Medical and Engineering Colleges in the country at present ;

(b) whether the number of these children in these colleges conforms to the ratio fixed by Government in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :** (a) to (c) : The details are being collected from the State Governments/Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the Sabha when received.

#### **Introduction of Automation in Sorting of Mail**

**5109. Shri Raghuvir Singh Shastri :**

**Shri D. C. Sharma :**

**Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the Government propose to introduce automation in sorting of mail ;

(b) if so, the cost involved thereon and the foreign exchange element therein ;

(c) the number of employees likely to be rendered surplus thereby ; and

(d) the steps being taken to provide alternative employment to them ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) This is under examination.

(b) to (d) : Do not arise.

#### **जिला बुलन्द शहर में भूमि को बेचा जाना**

**5110. श्री राम चरण :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम मामुरा परगना दादरी, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के प्रधान ने मई, 1965 में कुछ व्यक्तियों को 81 बीघा भूमि 10 रुपये प्रति बीघे की मामूली दर पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति से बेची थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से दो अलाटियों से उक्त भूमि को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति से मार्च, 1966 में किसी अन्य व्यक्ति को ईंटों के भट्टे बनाने के लिये 200 रुपये प्रति बीघे की दर से बेचा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान ने जनवरी-फरवरी, 1967 में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति से कुछ और व्यक्तियों को 90 बीघा भूमि पुरानी दरों पर फिर बेची ;



(घ) क्या यह भी सच है कि प्रधान ने उक्त भूमि को उन व्यक्तियों को अलाट किया था जिनके नाम में या जिनके पिता के नाम में भूमि थी और भूमिहीन कृषि श्रमिकों, हरिजनों आदि को भूमि अलाट नहीं की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रधान के विरुद्ध तथा पट्टे के रद्द करने और इस भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों और हरिजनों को अलाट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जिला सिकन्दराबाद की दाद्री तहसील के मथुरा परगना गांव की गांव सभा की भूमि-प्रबन्ध-समिति ने 6 अलग-अलग पट्टों के द्वारा 6 व्यक्तियों को 10 रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से 30 बीघा 4 बिस्वे पक्की भूमि पट्टे पर दी थी। इसके लिए उपमंडल अधिकारी की स्वीकृति न तो आवश्यक ही थी और न ही प्राप्त की गई थी।

(ख) ऊपर कही गई भूमि में से, 3 पट्टों में 3 विभिन्न व्यक्तियों को (लगभग) 600 रुपये प्रति पक्का बीघा की दर से 13 बीघे 4 बिस्वे भूमि हस्तान्तरित कर दी थी, जिसके लिए उपमंडल अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। जिस प्रयोग के लिए भूमि बेची गयी थी उसका सेल डीड में कोई विशेष वर्णन नहीं था।

(ग) भूमि प्रबन्ध समिति ने 29 बीघे, 19 बिस्वे, 3 बिस्वासी भूमि अन्य चार व्यक्तियों को भूमि पर लागू होने वाली पुस्तनी दरों से दस गुनी दरों पर पट्टे पर दी। इन मामलों में उपमंडल मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी परन्तु राजस्व न्यायालय के रूप में नामान्तरण आदेश उनके द्वारा ही किये गये थे।

(घ) यह सच है कि भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा पट्टे पर दी गई ऊपर वाली भूमि जिन व्यक्तियों को दी गई थी उनमें से अधिकतर व्यक्तियों के पास जमीनें उनके अपने नाम या उनके पिता के नाम में हैं। उपर्युक्त भूमि में से कोई भी भूमि भूमिहीन श्रमिकों या हरिजनों को पट्टे पर नहीं दी गई है।

(ङ) जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों की धाराओं के विरुद्ध पट्टे पर दी गयी जमीन के पट्टों को रद्द करने के लिए उपमंडल अधिकारी ने स्वयं ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह कार्यवाही अभी अपूर्ण है। भूमि प्रबन्ध समिति के प्रधान के विरुद्ध अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है तथा उन्हें आरोप पत्र भी दे दिया गया है। रद्द करने की कार्यवाही कानूनी होती है और इन पट्टेदारों से कानूनी साधनों से खाली कराने पर ही भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के उपबन्धों की धारा 198(2) तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार नियम-1952 के नियम 174 (ए) के अनुसार फिर से भूमि नये पट्टे पर दी जाएगी।

#### P & T Consultative Committees in States

5111. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Communications be pleased to state :



- (a) whether it is a fact that Government have formed posts and telegraphs Consultative Committees in all States ;
- (b) whether such a Committee has been formed in Bihar Circle also ;
- (c) if so, whether Government have prescribed the frequency of the meetings of the said Committees ;
- (d) whether it is also a fact that on meeting of the Posts and Telegraphs Consultative Committee of Bihar Circle has been held after the 9th February, 1968 and that a member of the Committee has complained to him in writing in this regard ; and
- (e) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) Regional Posts and Telegraphs Advisory Committees, and not Consultative Committees, have been set up in all the Posts and Telegraphs Circles, not in all the States.

(b) and (c) : Yes,

(d) and (e) : A meeting of the Regional P & T Advisory Committee of Bihar Circle was held on the 6th December, 1968. In this connection a complaint was received from a Member of Parliament and he has been apprised of the position.

#### Difficulties in Getting Telephone Connections

**5112. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the difficulties faced by common people in getting telephone connections have increased as a result of reserving fifty per cent telephones under 'Own Your Telephone' scheme out of the quota allotted by Government for installation of telephones in various big cities ;
- (b) if so, whether the Telephone Consultative Committee of Patna has in one of its meetings unanimously adopted a resolution requesting Government to change the aforesaid rule and provide facilities to the common people ;
- (c) whether it is also a fact that Government have brought about a change in the said rule ; and
- (d) if so, the details thereof and the time by which Government propose to enforce it ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) 'Own Your Telephone' scheme initially introduced in 1949 was further extended to all stations having an equipped capacity of one thousand line and above with effect from 1-1-1968 and 50% connections were reserved for being provided under the OYT scheme at all new stations. This has resulted in a reduction of the quota reserved for 'General' category.

(b) No.

(c) and (d) : The position was reviewed in July, 1968 taking into account the response to the scheme at the new stations and the representations and suggestions received from various quarters including some of the Telephone Advisory Committees. It was decided that if at any station the OYT waiting list is current and it is likely to remain current for a period of three months, the Heads of Circles, on their own authority, can

release the capacity to non-OYT applicants. The revised instructions have come in to force with effect from 5-9-1968.

### पश्चिम बंगाल में अनाज का उत्पादन तथा समाहार

5113. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में पश्चिम बंगाल में खाद्यान उत्पादन का पुनरीक्षित अनुमान क्या था और कुल उत्पादन में चावल का अंश कितने मीट्रिक टन था ;

(ख) 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल में खाद्यान (रबी और खरीफ दोनों फसलों में) का अनुमानित उत्पादन कितना है और कुल उत्पादन में चावल का अंश कितनी मीट्रिक टन होगा ;

(ग) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में देश में कितने मीट्रिक टन चावल खरीदा जायेगा ;

(घ) क्या सरकार ने भारत के खाद्य निगम के द्वारा पश्चिम बंगाल में बड़े उत्पादकों के समूचे फालतू स्टॉक को खरीदने की कोई योजना बनाई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) 1969-70 के लिये सरकार की पश्चिम बंगाल में खाद्यान की खरीद के बारे में क्या नीति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) अद्यतन अनुमान इस प्रकार हैं :—

अनाज ..... 53.75 लाख मीटरी टन

चावल ..... 52.08 लाख मीटरी टन

(ख) अभी इस प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) खरीफ मौसम 1968-69 में चावल की अधिप्राप्ति अभी शुरू हुई है और 30-11-68 तक चावल के हिसाब से धान सहित लगभग 33,800 मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया है । फसल वर्ष 1969-70 के लिए कोई आंकड़े बताना अभी सम्भव नहीं है ।

(घ) और (ङ) : फसल मौसम 1968-69 के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नई अधिप्राप्ति नीति के अन्तर्गत उत्पादकों पर क्रमिक लेवी (ग्रेडेड लेवी) है और लेवी की राशि में वृद्धि जोत के आकार में वृद्धि के साथ-साथ होती जाती है ।

(च) फसल वर्ष 1969-70 के लिए अधिप्राप्ति विषयक नीति 1969 के अन्त में बनाई जाएगी ।

**मेहसाना (गुजरात) की दूध सागर डेरी द्वारा दिल्ली को दूध की सप्लाई**

**5114. श्री रा० कृ० अमीन :**

**श्री म० ला० सौधी :**

**क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में मेहसाना की दूध सागर डेरी का इरादा दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे उन व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिये किस सीमा तक सहायता मिलेगी जिन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के टोकन लेने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) मेहसाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दिल्ली दुग्ध योजना को इस समय प्रति दिन 30,000 लिटर और आगामी कुछ समय में प्रतिदिन 80,000 से 1,00,000 लिटर पूर्ण-दुग्ध सम्मरण करने का प्रस्ताव रखा है । विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) इससे प्रतीक्षा-सूची को निपटाने में अवश्य ही सहायता मिलेगी, परन्तु केवल प्रबन्ध पूरे हो जाने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी ।

**Panchayat Raj Schemes in Chhota Nagpur**

**5115. Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Panchayat Raj Scheme has proved a failure in the Adivasi area of Chhota Nagpur ;

(b) whether old Panchayats are still working there ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :** (a) to (c) In all the five districts of Chhota Nagpur Division, namely, Ranchi, Hazaribagh, Dhanbad, Singhbhum and Palamau, Gram Panchayats have been established under the Bihar Panchayat Raj Act, 1947. The Full-fledged three tier Panchayati Raj system has recently been introduced in the two districts of Ranchi and Dhanbad. Within their limitations, the Statutory Panchayats, which have held the field longer, have given a satisfactory enough account of themselves; their performance is reported to be in no way inferior to Panchayats elsewhere in the non-tribal areas. Their contribution particularly during the last famine and drought has been good. As for the higher-tier bodies in the two districts, their experience, in the view of the State Government, already justifies extension of the set up throughout the State. This, the State Government propose to do, including general elections to the Panchayats also, last constituted in 1965, after the coming mid-term poll in the State.

**आदिवासियों के लिये ऋण की सुविधाएं**

**5116. श्री अ० सि० सहगल :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आदिवासियों को ऋण देने की सुविधा के लिए केवल 1 लाख रुपये की राशि मन्जूर की गई है न कि 2 लाख रुपये की जिसका उल्लेख संसद में किया गया था; और

(ख) शेष 1 लाख रुपये की राशि कब दे दी जायेगी ?

**समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :** (क) और (ख) : 22 जुलाई, 1968 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर की ओर ध्यान आमन्त्रित किया जाता है।

**Wheat Procurement in Bulandshahr**

**5117. Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

a) whether it is a fact that the purchase of wheat at Governmental level was stopped in Bulandshahr on the 30th June, 1968 by the Government of Uttar Pradesh and the Food Corporation of India :

(b) whether it is also a fact that over 4,000 transport bills worth about Rs. 5 lakhs of Purchase Agencies appointed by Government in Bulandshahr have not been paid so far ; and

(c) if so, the reasons for deferring and payments ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b) : No, Sir,

(c) Does not arise.

**Distribution of Cows among the Flood Affected People of Jalpaiguri**

**5118. Shri Sharda Nand :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of milch cattle had died in Jalpaiguri as a result of the recent floods there ; and

(b) if so, the number of cows supplied by the Central Government during the months of August and September, 1968 for free distribution among the people of Jalpaiguri ?

**The Minister of State in the Ministry of food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Yes, Sir,

(b) No cow was supplied by the Central Government free of cost to the people of Jalpaiguri during the months of August and September, 1968.

**Non-delivery of a Money Order in Hindi**

**5119. Shri Hukam Chand Kachwal :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news-item published in Daily Swadesh dated the 10th November, 1968 to the effect that a Money Order sent to Barabati Raffle, Orissa from Nagda village of Madhya Pradesh was returned to the sender only because it was written in Hindi ;

(b) whether it is also a fact that it was also written to the sender that further action be taken in English otherwise correspondence done in Hindi would be thrown into Waste-Paper basket ;

(c) if so, the reaction of Government in this regard; and

(d) the action proposed to be taken by Government in the matter ?

**The Minister of State in the Development of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) to (d): The matter is being looked into.

**Postal Stamps issued in the Map of India Series.**

**5120. Shri Sharda Nand ;  
Shri Shri Chand Goyal :**

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Andaman, Nicobar Laccadive Islands were shown only in some of the fourteen postal stamps with Indian map issued by Government in 1957 ;

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government against the officers responsible for this lapse; and

(c) if no action is proposed to be taken, reasons therefor ?

**The Minister of State in the Development of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) Yes.

(b) The Map of India was only symbolically reproduced on these stamps. The printing of these stamps has however, since been discontinued.

(c) Does not arise.

**सैटलमेंट अफसर की मृत्यु**

**5121. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** क्या भ्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1968 में चीफ सैटलमेंट कमिश्नर के कार्यालय के सैटलमेंट अफसर, श्री जे० एन० वली की असामायिक मृत्यु के बारे में घटनास्थल पर कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो उनकी मृत्यु के समय उनके साथ थे;

(ग) क्या यह सच है कि वे सब व्यक्ति मुख्यालय छोड़ने के लिये आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना ही दिल्ली से बाहर चले गये ;

(घ) जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(च) इनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उ३-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :  
(क) श्री जे० एन० वली की मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी ।

(ख) अधिकारी की मृत्यु सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में हुई थी । उसकी मृत्यु के समय जो व्यक्ति उसके पास उपस्थित थे, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री जे० एन० वली, 9 मार्च, 1968 को नई दिल्ली से 6 व्यक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में जमना खस नामक स्थान के लिये रवाना हुये थे ।

इन 6 व्यक्तियों में से पांच कार्य पर लगे सरकारी, पदाधिकारी हैं और छठा व्यक्ति सेवा निवृत्त हुआ पदाधिकारी है । उनमें से चार ने 9 तथा 10 मार्च, 1968 की छुट्टियों के अन्तर्गत मुख्यालय छोड़ने की आवश्यक आज्ञा ले ली थी ।

(घ) मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुई है और इसमें कोई धोखा नहीं हुआ है ।

(ङ) और (च) : प्रश्न नहीं उठता ।

### त्रिपुरा में प्लाईवुड का कारखाना

5122. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार त्रिपुरा में प्लाईवुड कारखाने का पुनरीक्षित करार का प्रारूप त्रिपुरा प्रशासन के इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित करार तथा सम्बन्धित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा उसके अन्तर्गत बनाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का कितना-कितना उत्पादन हो सकेगा; और

(ग) क्या प्रारूप करार को अन्तिम रूप देने के लिये आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) संक्षेप में, परिशोधित करार त्रिपुरा संघ क्षेत्र के उदमपुर, बेलोनिया और सबरूम नागरिक उप-प्रभागों के सरकारी वनों से 31 वर्ष तक एक निश्चित घेरे से ऊपर की 23 विभिन्न विशिष्ट इमारती किस्म के 8495 घन मीटर प्लाई के कुन्दों की प्रति वर्ष निकासी के अधिकार के लिये हैं। विभिन्न कोटि की इमारती लकड़ियों के लिये विभिन्न स्वामित्व प्रस्तावित किये गये हैं, जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि इन दरों को प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त पट्टादाता की इच्छा पर संशोधित किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक संशोधन के समय इन दरों को पूर्व संशोधित दर से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। पट्टादाता की दृष्टि में यदि पट्टेदार ने पूर्व करार की शर्तों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किया हो तो पट्टादाता की इच्छा पर पट्टे को आगामी अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकता है।

पट्टेदार प्लाईवुड संयंत्र और आरे की मिल की स्थापना के लिये यन्त्रों की व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि के 12 मास के अन्दर करेगा।

(ग) परिशोधित करार का प्रारूप 27 नवम्बर, 1968 को ही प्राप्त हुआ है और वह भारत सरकार के विचाराधीन है।

#### Payment for the Construction of Election Booths in U. P. During General Elections, 1967

5123. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the District-wise, Tehsil wise and Circle-wise number of Lekhpals who have been paid the expenditure incurred on constructing the booths in U. P. during the General Elections in 1967 and the number of Lekhpals who have not so far been paid this amount ; and

(b) the date by which payment would be made to such of those Lekhpals who have not so far been paid this amount ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) and (b): The information is being collected.

#### दिल्ली में महिलाओं का अनैतिक पण्य

5124. डा० सुशीला नायर : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सिद्दीपुरा थाने के निकट सराय रोहिल्ला, लोका-शेड क्वार्टरों में महिलाओं का अनैतिक पण्य किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कार्य कुछ पुलिस अधिकारियों (सिद्दीपुरा) की सांठगांठ से किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है !



समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेखु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

### चौथी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों की वृद्धि

5125. श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों, उद्योगपतियों तथा वाणिज्य संघ द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में क्रियान्विति के लिये उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों के संवर्धन के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत अनेक पैकेज प्रोग्राम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पैकेज प्रोग्रामों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू और नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें विभिन्न राज्यों के सर्वाधिक ससाधनों वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि निर्यात/आयात एवजी के लिये इनकी अधिक मात्रा उपलब्ध हो सके ।

(ख) कार्यक्रमों की विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही है ।

### Agricultural Produce Market Committee, Bulandshahr

5126. Shri Ram Gopal Shalwale :

Shri Yashpal Singh :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Agricultural Produce Market Committee Act, 1964 provides for the representation of Kacha Arhatis on Agricultural Produce Market Committees ;

(b) whether it is also a fact that Kacha Arhatis have not been given due representation in Bulandshahr Agricultural produce Market Committee ;

(c) whether it is a also fact that Kacha Arhati Sangh has demanded the removal of the person who has been nominated as their representative and to nominate two other representatives ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes.

(b) No.



(c) The Secretary, Kacha Arhati Sangh, Bulandshahr in his letter of November 30, 1968 has requested for accepting the resignation of the person representing the commission agents, and not for his 'removal'. No proposal has been received from the Kacha Arhati Sangh for nomination of two other representatives. The Kacha Arhati Sangh has, however, requested for nomination of any other suitable person as their representative.

(d) Necessary enquiries are being made in the matter by the State Government and appropriate action will be taken by them in accordance with the provisions of the Adhiniyam.

#### Sale of Maize by Farmers in U.P.

5127. Shri Yashpal Singh :  
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U.P. Government have imposed restrictions on the sale of maize by the farmers in the open market in Bulandshahr District ;

(b) whether it is also a fact that Government themselves are also not purchasing maize from them ; and

(c) if so, the reasons for which restrictions have been imposed on the sale of maize by the farmers in the open market when Government are not making any purchases from them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It has been reported by the U.P. Government that no such restriction has been imposed.

(b) Both the State Government and the Food Corporation of India entered in U.P. Markets including Bulandshahr to make purchases of maize. While the purchase operations of F.C.I. is continuing the State Government have recently withdrawn themselves from the market.

(c) Does not arise.

#### रुई विकास परिषद्, बम्बई

5128. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :  
श्री लोबो प्रभु :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में रुई विकास परिषद् की स्थापना कब की गयी थी, इस पर कितना व्यय किया गया और इसकी अब तक की क्या उपलब्धियां हैं ;

(ख) भारतीय केन्द्रीय रुई समिति के समाप्त किये जाने के बाद वाणिज्यिक पैमाने पर रुई की किन-किन नई किस्मों का विकास किया गया है और इन्हें देश के किन-किन भागों में उगाया जा रहा है ;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में रुई सम्बन्धी अनुसन्धान और विकास पर कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) क्या आगामी वर्षों में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार की कोई विशेष योजनाएं हैं ताकि देश की विदेशी रुई पर निर्भरता को कम किया जा सके और, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कपास विकास परिषद् की स्थापना 19 मई, 1966 को की गयी थी। इस पर अभी तक 19,953 रुपये व्यय किये जा चुके हैं। परिषद् एक परामर्श-दात्री संस्था है और इसने कपास की मूल्य नीति सहित इसके विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कई लाभदायक सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

(ख) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के उपरान्त जो कि केवल ढाई वर्ष पूर्व ही समाप्त हुई थी वाणिज्यिक स्तर पर किसी भी नई किस्म को विकसित नहीं किया गया है; किन्तु निम्न नई किस्मों को जो पहले ही विकसित की गयीं थी, अब सामान्य खेती करने के लिये निमुक्त कर दी गई है :-

| नई किस्म का नाम             | राज्य जिसमें खेती करने के लिये निमुक्त कर दिया गया है। |
|-----------------------------|--|
| (1) एम सी यू-4              | मद्रास (ग्रीष्म कालीन कम्बोडिया ट्रैक्ट)               |
| (2) एम सी यू-5              | मद्रास (शरद कालीन कम्बोडिया ट्रैक्ट)                   |
| (3) सुजाता (को-पूसा-एजिपशन) | मद्रास   |
| (4) विजय                    | मैसूर (घटाप्रभा परियोजना क्षेत्र)                      |
| (5) हैम्पी                  | मैसूर (तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र)                     |
| (6) जगदीश (बी० 1007)        | महाराष्ट्र (विद्रभ क्षेत्र)                            |
| (7) जे० 34                  | पंजाब  |

(ग) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र समा पत्र पर स्थानीय जायेगी।

(घ) जी हां। इसमें निम्न योजनाएँ सम्मिलित हैं :-

- (1) पैकेज कार्यक्रमों के आधार पर कपास की सघन कृषि,
- (2) न्यूक्लियस और ग्राम्मरभूत बीजों का उत्पादन,
- (3) बड़े पैमाने पर पौध संरक्षण आन्दोलन का संगठन,
- (4) विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन भूखण्डों का संगठन
- (5) पौध संरक्षण उपायों के प्रदर्शन का संगठन और
- (6) राष्ट्रीय प्रदर्शनों का संगठन इनके अतिरिक्त, कपास के उत्पादन करने वाले सभी प्रमुख राज्य कपास विकास की समन्वित योजनाओं को कार्य रूप दे रहे हैं।

### अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता का रद्द किया जाना

5129. श्री रा० कृ० सिंह : क्या भ्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता को रद्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस प्रकार की कार्यवाही कर्मचारियों के अधिकारियों के विरुद्ध होगी ; और

(ग) यदि हां, तो मान्यता रद्द किये जाने की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

भ्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) जीवन बीमा निगम ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता को रद्द कर दिया है।

(ख) और (ग) : इस संस्था को अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता दी गई थी और इस संस्था द्वारा संहिता के कुछ उल्लंघन किए जाने के कारण संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई।

### गिर शेरों की संख्या में कमी

5130. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिर शेरों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है और हाल की गणना में इनकी संख्या 177 पाई गयी थी जबकि पांच वर्ष पूर्व इनकी संख्या 290 थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गिर शेरों की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि गिर शेरों की संख्या में कमी हुई है। शेरों की संख्या जून, 1968 की गणना के अनुसार 177 है जबकि इसकी तुलना में 1955 में (पांच वर्ष पूर्व नहीं) उनकी संख्या 290 थी फिर भी, यह बतलाया जाता है कि पहली शेर गणना अप्रत्यक्ष गणना-उपाय अर्थात् उनके पग चिन्ह के द्वारा की गई थी जिसको बड़ा कच्चा और मोटा (लगभग) उपाय समझा गया है, जबकि वर्तमान गणना प्रत्यक्ष गिनने के उपाय से अर्थात् शिकारों पर एकत्रित हुये शेरों की वास्तविक गणना से की गयी है, जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है।

(ख) प्राकृतिक कारणों के द्वारा हुई मृत्युओं की वजह से संख्या में कमी के अतिरिक्त 1963-68 के दौरान निम्न वर्णित विभिन्न कारणों की वजह से 27 शेरों की कमी हुई :-

| चिड़ियाघरों को बाहर भेजे गये या राज्य से बाहर भेजे गये | दुर्घटना से मृत्यु | विष दिये या गोली से मारे हुये | कुल कमी |
|--|--------------------|-------------------------------|---------|
| 12   | 4                  | 11                            | 27      |

(ग) गिरशेरों की संख्या को बनाये रखने के लिये गुजरात सरकार ने अधोलिखित उपाय अपनाये हैं :-

- (1) 18-9-1965 से अपने गिर वनों का 1265.01 वर्ग किलो-मीटर (488.42 वर्ग मील) का क्षेत्र एक वन्य प्राणि शरण स्थान में निर्मित कर दिया है।
- (2) शेरों की संख्या में किसी भी बाधा को रोकने के लिये शरण-स्थान के क्षेत्रों में समस्त नस्लों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
- (3) जब शेर लोगों के पशुओं का मार देते हैं तो उन पशु-स्वामियों को बदले की भावना से शेरों को विष देने से रोकने के लिये, राज्य सरकार ने उनको नगद रूप में क्षति पूर्ति देने के लिए एक उपबन्ध बनाया है।
- (4) गिर-शरण स्थान के विकास के लिये राज्य सरकार समस्त सम्भव वित्तीय सहायता देती है। इस शरण-स्थान के विकास के लिये, जिसमें जीवजन्तुओं के कल्याण के लिए जल सुविधायें प्रदान करना, सड़कों की मरम्मत आदि उपबन्ध सम्मिलित हैं, 1968-69 वर्ष के दौरान 1,90,000 रुपये की धन राशि मंजूर की गई है।

**भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्वाचन लड़ने के लिए अभ्यर्थियों को विवर्जित करना**

5131. श्री डी० एन० पाटोदिया : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय में भ्रष्ट आचरणों के साबित हो जाने के आधार पर अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से विवर्जित करने के लिए निर्वाचन विधि में कोई कालावधि विहित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई विधान पुरःस्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सु० यूनुस सलोम) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क में अधिकथित है कि जो व्यक्ति धारा 99 के अधीन किसी

आदेश द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया है वह उस तारीख से, जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छः वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**विदेशों से आयातित उर्वरकों का बिहार में बिना बिके पड़ा रहना**

5132. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय खाद्य निदेशक द्वारा अमरीका, रूस, फ्रांस और पोलैंड से आयातित 3.50 करोड़ रुपये के मूल्य का रसायनिक उर्वरक बिहार के विभिन्न गोदामों में एक वर्ष से अधिक समय से बिना बिके पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार के 156 डिपुओं में 7 लाख से अधिक उर्वरक के बोरे बिना बिके तथा उपेक्षित हालत में पड़े हैं और केवल पटना जिले में ही एक लाख से अधिक बोरे बिना बिके पड़े हैं ;

(ग) उर्वरक के आयात के क्या कारण हैं और इतने बोरे न बेचने के क्या कारण हैं और सरकार को कितनी राशि की हानि की संभावना है ;

(घ) उर्वरकों की बेचने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक बिक जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) : बिहार राज्य से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही समा पटल पर रख दी जायेगी।

**विशाखापटनम की पहाड़ियों में काफी बागान के लिए भूमि**

5133. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम की चिस्तापल्लि तथा पाडेरु पहाड़ियों को काफी बागानों के लिये नियत कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार यह भूमि काफी बागानों के लिये गिरीजनो को देने का है जो कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक गिरीजन को कितने एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाह्रिब शिन्डे) : (क) काफी विकास के लिए विशाखापटनम में 5,600 एकड़ क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर दिया जाना है।

(ख) से (घ) : राज्य सरकार द्वारा कबीलों को पट्टे पर देने के लिए उपयुक्त क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा। 25 एकड़ क्षेत्र से अधिक रोपण के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर कबीले-मजदूर लगाए जाएंगे। एक एकड़ तक की पट्टे वाली भूमि रखने वाले को सिन्थोरिटी डिपोजिट की अदायगी की छूट होगी।

### मनीपुर एपेक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी

5131. श्री एन० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर एपेक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने व्यक्तियों और समितियों को सोसायटी के लिये धान की खरीद तथा सप्लाई के लिये कई वर्षों तक अग्रिम धन दिया और बहुत से व्यक्तियों ने जिन्होंने इस प्रकार धन लिया था, न तो धन वापिस दिया और न ही किसी अन्य रूप से उसे चुकाया ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और समितियों की सूची क्या है जिन पर बह राशि बाकी है और प्रत्येक को कितना-कितना धन देना है ; और

(ग) बकाया धन को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1961-62 से 1964-65 तक की अवधि में मनीपुर एपेक्स कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० ने व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों, जो मनीपुर एपेक्स कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी की सदस्य हैं को एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी के लिए धान तथा चावल की खरीद तथा सप्लाई करने हेतु 2,83,588 13 रु० (दो लाख तिरासी हजार पांच सौ अठासी रु० तथा तेरह पैसे) की कुल धन राशि दी। अधिकांश सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों, जिन्हें अग्रिम धन दिया गया था, ने उन्हें दिए गए अग्रिम धन के बदले में एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी को धान तथा चावल सप्लाई किए, किन्तु 11 समितियों तथा 7 व्यक्तियों के कुछ थोड़े से मामलों में कुछ धन अभी बकाया रहता है।

(ख) व्यक्ति सदस्यों तथा सहकारी समितियों, जो एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी की सदस्य हैं, की सूची उनसे बकाया राशियों सहित नीचे दी गई है।

| समितियाँ                                     | रु० पै० |
|--|---------|
| (1) हेरोक पाट-1 सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि० | 76.66   |
| (2) लंगथाबल सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि०     | 864.23  |
| (3) थाउबल लाज साइज्ड कोआपरेटिव सोसायटी लि०   | 1838.67 |
| (4) लम्लाई सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि०      | 63.82   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| (5) मोयरंग लार्ज साइज्ड कोआपरेटिव सोसायटी लि०        | 3194.39         |
| (6) मोयरंग प्राइमरी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि० | 1843.45         |
| (7) मायांग इम्फाल पेडी हस्कर्स सोसायटी लि०           | 2843.45         |
| (8) फाउगाकचाव इखाई सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि०      | 676.97          |
| (9) लम्शांग लार्ज साइज्ड कोआपरेटिव सोसायटी लि०       | 1623.46         |
| (10) टेन्था खुनाउ कोआपरेटिव सोसायटी लि०              | 500.00          |
| (11) टेन्था कोआपरेटिव सोसायटी लि०                    | 1000.00         |
| योग  | <u>14525.10</u> |

## व्यक्ति

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. श्री डब्ल्यू खोमे सिंह, कोंगखाम | 361.70 |
| 2. श्री ठा० घोमचा सिंह, केशमपत     | 979.25 |
| 3. श्री ए० ब्राकचंद सिंह           | 276.15 |
| 4. श्री ए० टोम्बा सिंह             | 500.00 |
| 5. श्री एल इबोचा सिंह              | 66.17  |
| 6. श्री कुलचंद्र सिंह              | 72.42  |
| 7. श्री एम० इबोम्बा सिंह           | 8.57   |

योग 2264.26

कुल योग 16,789.36

(ग) चूक करने वालों के विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही मांग नोटिस आदि जारी करके आरम्भ की गई थी। उचित कानूनी कार्यवाही जिसमें पंच निर्णय भी शामिल है, के बारे में विचार किया जा रहा है।

## Income-tax Tribunal Bench in M P.

5135. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no bench of Income-tax Tribunal in Madhya Pradesh though it is a big State ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to set up a bench of Income-tax Tribunal there and if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) There is no Bench of the Income-tax Appellate Tribunal in Madhya Pradesh.

(b) It is not that every State has a Bench of the Tribunal. At present all appeals and applications from the Rewa Division of Madhya Pradesh are heard and determined by the Allahabad Bench, those from the Gwalior Division by the De'hi Benches and those from the remaining areas by the Bombay Benches of the Tribunal.

(c) A proposal in this regard is under active consideration and a decision in the matter will be taken as early as possible.

### रूस से ट्रैक्टरों का आयात

5136. श्री बृजराज सिंह कोटा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालय के बीच मतभेद होने के कारण सोवियत संघ से ट्रैक्टरों का आयात नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद अब भी ट्रैक्टरों का आयात क्यों नहीं किया जा रहा है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) रूस से ट्रैक्टर आयात करने के बारे में बातचीत रूसी सप्लायरों के साथ काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है । ठेका किये जाने के पश्चात् कुछ ही महीनों में आयात शुरू होने की आशा है ।

### हरिजनों के साथ व्यवहार

5137. श्री बाबूराव पटेल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबन्दर में सबर्ग हिन्दुओं तथा हरिजनों के लिये पानी के पृथक-पृथक नल हैं ;

(ख) यदि हां, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बावजूद इन नलों को अलग-अलग बनाये रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रतलाम मध्य प्रदेश में हरिजनों को अपनी मूर्छे ऊपर की ओर कर के रखने की अनुमति नहीं दी जाती ; और

(घ) हरिजनों की सामाजिक स्थिति तथा उनके साथ व्यवहार में कोई प्रशंसनीय सुधार किये बिना कब तक उनका उत्पीड़न केवल राजनीतिक प्रचार के लिये ही किया जाता रहेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री ( डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह ) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।



- (ग) पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है।  
 (घ) आक्षेप अनुचित अथवा न्याय विरुद्ध है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ कृषि के सम्बन्ध में चर्चा

5138. श्री शिव चन्द्र भा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मेकनामारा ने अपने हाल ही के नई दिल्ली के दौरे के दौरान उन से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो कृषि के विकास के दृष्टिकोण से क्या बातचीत हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

सस्ते तथा अधिक उत्पादकता हलों को इस्तेमाल में लाना

5139. श्री शिव चन्द्र भा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में प्रयोग में लाये जाने वाले लकड़ी के वर्तमान हल से अधिक उत्पादन नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सस्ते और अधिक उपज देने वाले हल को प्रयोग में लाने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां, लकड़ी के हल को 'मोडलड-बोर्ड' हल के समान क्षमतापूर्ण नहीं माना जाता है।

(ख) और (ग) : बहुत से देसी औजार निर्माताओं द्वारा निर्मित लोहे के सस्ते और अच्छे हल बाजार में पहले से ही उपलब्ध हैं। अनुमान है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में इस प्रकार के लगभग 25 लाख हल पहले ही प्रयोग किये जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के हलों का काफी अधिक संख्या में प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

मधुबनी डाक घर (बिहार)

5140. श्री शिव चन्द्र भा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या यह सच है कि मधुबनी डाकघर का वर्तमान भवन काफी बड़ा नहीं है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि डाक विभाग ने इसके लिये दो प्लॉटों का पहले ही अर्जन कर लिया है ; और
- (ग) यदि हां, तो उन में से किसी एक प्लॉट पर नया भवन कब बनाया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री ( श्री इ० कु० गुजराल ) : ( क ) :  
जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन भूखंडों में से एक पर इमारत के निर्माण के लिए कार्यवाही चल रही है । इस परियोजना की मंजूरी दी जा चुकी है और शेष औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद निर्माण-कार्य शुरू किये जाने की संभावना है ।

### मजदूर संघों की सदस्यता

5141. श्री शिव चन्द्र भ्सा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी०, एच० आई० एम० एम०, एम० एम० पी० तथा यू० पी० यू० सी० के पृथक पृथक कितने सदस्य हैं ;

(ख) क्या गत दो वर्षों में इनकी संख्या में कोई वृद्धि या कमी हुई है ; इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त प्रत्येक मजदूर संघ संगठन के प्रधान को प्रतिमास कितना वेतन तथा भत्ते मिलते हैं ; और

(घ) यदि इन को किसी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कोई विदेशी आर्थिक सहायता मिलती है तो उसकी वार्षिक राशि क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री ( श्री हाथी ) : (क) 31 दिसम्बर, 1966 को उपलब्ध अंतिम प्रमाणित सदस्य-संख्या नीचे दी गई है :-

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस          | 1,405,465 |
| अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस | 432,852   |
| हिन्द मजदूर सभा                   | 433,015   |
| संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस     | 93,454    |

एच० एम० पी० की सदस्य संख्या मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या की जांच नहीं की गई है ।

(ख) चूंकि 31 दिसम्बर, 1966 के बाद की ग्रवधि की जांच नहीं की गई है, अतएव सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

### भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का पुनर्गठन

5142. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का कब, क्यों और किस की सलाह पर विघटन किया गया था ;

(ख) जो विकास कार्य भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा किये जा रहे थे उनको अब कौन सा निकाय कर रहा है और उसे अब तक कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का पुनः गठन करने का जिससे कपास के विकास की और विशेष तथा सकेन्द्रित ध्यान दिया जा सके जैसा कि पहले दिया जाया करता था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) द्वितीय भारतीय अमरीकी दल की सिफारिशों पर भारतीय सरकार ने निश्चय किया कि जिन समितियों को जिनमें भारतीय केन्द्रीय कपास समिति भी सम्मिलित है समाप्त कर देना चाहिये और समितियों द्वारा किये जाने वाला अनुसन्धान कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के कार्य में सम्मिलित कर देना चाहिये, जिसे समुचितरूप से पुनर्गठित एवं शक्तिशाली बनाना चाहिये, जिससे की देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे एक राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान कार्य क्रम के विकास करने तथा उसके प्रशासन करने के योग्य बना दिया जाये। तदनुसार भारतीय केन्द्रीय कपास समिति को 31 मार्च, 1968 को समाप्त कर दिया गया था।

(ख) भारत सरकार ने कपास के विकास एवं विपणन के लिए उसे परामर्श देने हेतु भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की समाप्ति पर भारतीय कपास विकास परिषद की स्थापना की है। परिषद के परामर्श पर भारत सरकार ने देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये विशेषतः लम्बे तन्तु वाली किस्मों के लिये निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ कर दी हैं :

(i) सघन उपायों के द्वारा क्षमतापरक क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये (कपास का पकड़ कार्यक्रम) आश्वसित जल सप्लाई वाले क्षेत्रों में कपास के अधिकतम उत्पादन के लिये योजना ;

(ii) कपास के न्यूक्लियस और आधारभूत बीज के उत्पादन के लिये योजना ;

(ii) समुद्र-द्वीपीय कपास के विकास के लिये योजना।

(ग) जी नहीं।

### कारखानों के मुख्य निरीक्षकों का सम्मेलन

5143. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री सीताराम केसरी :

क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों के मुख्य निरीक्षकों के हाल ही में हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखानों के मुख्य निरीक्षकों द्वारा की गई सिफारिश की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : शायद आशय मई 1958 में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा बुलाये गये कारखानों के मुख्य निरीक्षकों के सम्मेलन की रिपोर्ट से है। सिफारिशें आयोग के पास की गई हैं, सरकार के पास नहीं। वे मुख्यतः कारखाना निरीक्षकों के संगठन, कार्य करने की स्थितियों, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारणों, उनकी संख्या कम करने के उपायों और निरीक्षणों आदि के बारे में हैं। आयोग ने इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के विचार जानने के लिए इन सिफारिशों को प्रकाशित किया है।

(ग) यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग यथा समय इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा। तब तक सम्मेलन द्वारा आयोग को की गई सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

#### भिक्षावृत्ति का उन्मूलन

5144. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृद्ध जन सम्मान समिति नामक कल्याण संस्था ने देश में भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री ( डा० ( श्रीमती ) फूलरेणु गुहा ) : ( क ) नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

संवैधानिक उपबन्धों के निर्वचन के पुनर्विचार के लिए ( मजिस्ट्री ) व्यवस्थापक का सृजन

5145. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन सोसाइटी आफ इन्टरनेशनल बार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के विभिन्न उपबन्धों के समय-समय पर किये गये निर्वचनों के पुनर्विचार के लिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में महासभा द्वारा किये

गए पुनर्विलोकन के आधार पर संविधान में आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए स्थायी मशीनरी बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुय्यनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार किया जाएगा ।

#### पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी

5146. श्री जुगल मंडल : क्या धम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

धम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) इस विषय में जो सूचना उपलब्ध है वह पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में है जोकि 31.10 1968 को 4,35,192 थी ।

(ख) पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक रोजगार अवसर प्राप्त होने की संभावना है ।

#### पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाना

5147. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) 1968-69 में नलकूप लगाने के लिये कुल कितने घन की व्यवस्था की गई है तथा नलकूप लगाने के लिये किसानों को व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं का व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1,000

गहरे नलकूपों, 20,000 कम गहरे नलकूपों और 30,000 फिल्टर पाइंटों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उपरोक्त लक्ष्यों की सिफारिश खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय कार्यकारी दल ने की है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में गहरे नलकूपों का योजना के लिये 175.00 लाख रुपये और कम गहरे व फिल्टर पाइंटों के लिये 50.00 लाख रुपये का बजट में उपबन्ध किया गया है और कृषकों को फिल्टर पाइंटों की खुदाई के लिये 1500 रुपये तक ऋण दिया जाता है।

### पश्चिमी बंगाल की चीनी तथा खण्डसारी का नियतन

5148. श्री जुगल मण्डल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से नवम्बर, 1968 तक पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास चीनी तथा खण्डसारी का कितना कोटा अलाट किया गया ; और

(ख) पश्चिम बंगाल को जनवरी से दिसम्बर 1967 तक दिये गये मासिक चीनी के कोटे की तुलना में यह कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अन्ना-साहिब शिन्दे ) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल को जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक और जनवरी, 1968 से नवम्बर, 1968 तक आवंटित चीनी का मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2789/68 ] 1967 और 1968 के वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल अथवा अन्य किसी राज्य को खण्डसारी चीनी का कोई मासिक कोटा आवंटित नहीं किया था।

### उत्तर प्रदेश में खण्ड बीज फार्म

5149. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अब तक कितने खण्ड बीज फार्म स्थापित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक जिले के किन-किन खण्डों में ऐसे फार्म खोले गये हैं ; और

(ग) इस प्रकार स्थापित किये गये प्रत्येक फार्म में, जिलावार कुल कितने एकड़ भूमि में फसल पैदा की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अन्ना-साहिब शिन्दे ) : (क) से (ग) : पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2790/68 ]

### उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

5150. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ; और  
(ख) वर्ष 1968-69 में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है तथा वे कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 175 इसमें 1968-69 में अब तक खोले गए 6 स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल हैं ।

(ख) 1968-69 के क्षेप भाग के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 16 और स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किये जाने की सम्भावना है :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. बुलन्दशहर    | 9. कोरा      |
| 2. चर्चा        | 10. नकुर     |
| 3. चरखारी       | 11. पिसवाह   |
| 4. देहरादून     | 12. पोवायां  |
| 5. डल्ला        | 13. पुन्हाना |
| 6. गंज डुंडवारा | 14. रीना     |
| 7. हमीरपुर      | 15. सदाबाद   |
| 8. जहानाबाद     | 16. सिद्धौली |

### उत्तर प्रदेश की चीनी की आवश्यकता

5151. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर 1968 के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी चीनी मांगी थी तथा केन्द्रीय सरकार ने इन महीनों के लिये उत्तर प्रदेश का कितना कोटा निर्धारित किया था ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त महीनों में वास्तव में कुल कितनी चीनी की सप्लाई की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री अन्ना-साहिब शिन्दे ) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1968 में अपने 10,603 मीटरी टन के मासिक कोटे के स्थान पर 21,000 मीटरी टन लेवी चीनी के मासिक कोटों के लिए कहा था । उनकी इस मांग को लेवी चीनी की सीमित उपलब्धि के कारण नहीं माना जा सका । जून से नवम्बर तक के महीनों में उत्तर प्रदेश को चीनी का आवंटन इस प्रकार किया गया था :

|               | ( मीटरी टन ) |
|---------------|--------------|
| जून, 1968     | 10,739 (क)   |
| जुलाई, 1968   | 10,739 (क)   |
| अगस्त, 1968   | 17,719.4 (ख) |
| सितम्बर, 1968 | 10,739 (क)   |
| अक्तूबर, 1968 | 10,739 (क)   |
| नवम्बर, 1968  | 10,739 (क)   |

(क) 136 मीटरी टन भेषजीय यूनिटों को आवंटन के लिए शामिल है।

(ख) 6,980.4 मीटरी टन त्यौहारों के लिए और 136 मीटरी टन भेषजीय यूनिटों को आवंटन के लिए शामिल हैं।

#### कांडला उर्वरक परियोजना के स्थापना स्थान का परिवर्तन

5152. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला के बदले अहमदाबाद में उर्वरक परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त निर्णय इस आधार पर किया गया है कि वहां इस परियोजना के लिए पर्याप्त नैफ्था नहीं है और कारखाने की शोधन शाला को गैस पर ही आश्रित रहना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय किस प्रकार अन्य उर्वरक कारखानों के विकास को प्रभावित करेगा जो कि नैफ्था पर आधारित किए जाने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी ) : (क) से (ग) : अभी कुछ दिन पहले, सकेत मिले हैं कि कलोल । नावागाम क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस, जिसका उर्वरकों के विनिर्माण के लिए लाभदायक रूप से उपयोग किया जा सकता है, उपलब्ध है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या कांडला के प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र को नैफ्था अथवा प्राकृतिक गैस पर आधारित किया जाना चाहिए और क्या परियोजना के एक भाग को गैस क्षेत्रों के निकट ले जाना चाहिए।

#### Part-Time Employees at Milk Depots of Delhi Milk Scheme

5153. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees working in the Milk depots of Delhi Milk Scheme put in only  $1\frac{1}{2}$  hours work daily;

(b) if so, whether it is also a fact that these employees have to devote half an hour extra for accounts work; and



(c) whether Government propose to fix full two hours' duty for these employees and if not, the reasons therefor ?

**Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b) The staff at Milk Depots of D.M.S. are required to work for 2½ hours including 1½ hours for distribution of milk and 1 hour for preparation of accounts and deposit of cash.

(c) Does not arise.

### दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं के कर्मचारियों के वेतन

**5154. श्री निहाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दूध डिपुओं के कर्मचारियों को गत दस वर्षों से वही वेतन मिल रहा है जबकि महंगाई मत्ता शतप्रतिशत बढ़ गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके वेतन बढ़ाने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना की दरें अन्य प्रमुख योजनाओं की दरों की तुलना में अधिक अच्छी हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

|                | दिल्ली | बम्बई | कलकत्ता |
|----------------|--------|-------|---------|
| डिपो मैनेजर    | 50)    | 40)   | 40)     |
| डिपो असिस्टेंट | 25)    | 30)   | 20)     |

### Minor Irrigation Schemes for Rajasthan

**5155. Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

whether Government have made special allocations during 1968-69 for the minor irrigation schemes in Rajasthan in view of the continuous famine and drought conditions there;

(b) whether the State Government have asked for any special allocation for implementing their minor irrigation schemes; and

(c) if so, the details thereof and whether the request has been met in full and if not the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) to (c) The Planning Commission has approved an outlay of Rs. 225.0 lakhs for the Minor Irrigation Programme of Rajasthan Government for 1968-69. The State Government has, however, budgetted an amount of Rs. 199.0 lakhs which is expected to be fully utilised.

No specific request has been received from the Government of Rajasthan for any special allocation during the current financial year for the minor irrigation schemes. However, on the basis of the recommendations of the Central Team of officers which visited Rajasthan during October 1968 to assess the situation created by drought, the Government of India has decided to adopt a ceiling of expenditure of Rs. 640.0 lakhs for 'Relief' items and Rs. 256.0 lakhs for 'Loan' item for purposes of Central assistance during 1968-69. The above amounts include inter-alia Rs. 15.0 lakhs for deepening of existing wells under 'Relief' and the following items under 'Loan' which fall under the purview of 'Minor Irrigation' programme.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ( i ) Cost of sinking 60 tubewells   | Rs. 85.00 lakhs         |
| ( ii ) Electrification of 32 tubewells within one mile of existing lines.                    | Rs. 6.0 ,,              |
| ( iii ) Construction of Balancing reservoirs near existing tubewells and dug-cum-bore wells. | Rs. 15.0 ,,             |
| <b>Total</b>   | <b>Rs. 106.00 lakhs</b> |

#### Expansion of means of Communications

5156. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to make good the shortage of the means of Communications in Rajasthan, to open Post Offices; to provide telephone lines and to open Public Call Offices in hilly and desert areas of the said State so as to enable the residents of these backward areas to benefit from these means of communications; and

(b) the proposals being considered by Government to be taken up next year to bring about improvement in the means of Communications in Rajasthan ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b): Care is taken to see that all areas of Rajasthan are covered in the schemes for expansion of postal facilities. Special attention is paid to areas relatively lacking in postal facilities such as Jodhpur, Barmer, Jaisalmer, Jalore, Nagaur, Bikaner, Churu, Sriganganagar, Jhunjhunu and Sikar districts of Rajasthan State:

Barmer district, Jaisalmer district and Taranagar and Dangargah tehsils of Churu district have been treated as 'very backward' by the Post and Telegraph Deptt. for the expansion of postal facilities. Under this policy post offices can be opened up to a loss of Rs. 1,000/- per annum per office and in exceptional cases even up to an enhanced limit of loss of Rs. 2,500/-per annum per office.

As part of normal expansion of postal facilities in the country, 903 post offices were added in these areas during the period from 1-4-61, to 30-11-68. During the same period 1,193 villages were given the facility of delivery of mails daily and 356 villages, which were receiving delivery of mails at an interval of more than a week were given better frequency of delivery.

Telecommunications schemes are normally sanctioned only if they are remunerative. But, however, with a view to progressively providing facilities in remote areas, the Department provides Public Call Offices and combined offices. (Telegraph Offices) at certain categories of stations based on administrative importance, population project importance, proximity to the border and remote areas, on limited loss basis subject to certain ceilings. Hilly and desert areas, as such, do not qualify for provision of telecommunication facilities on loss basis unless the stations in such areas fit in the present policy outlined above.

Subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds and stores, it is proposed to open 134 post offices, 45 Public Call Offices and Telegraph Offices and one Telephone Exchange with a capacity of 600 lines during the next year in Rajasthan. It is also proposed to expand the capacity of existing telephone exchanges by 4,000 lines during the same period in Rajasthan.

Coaxial cable schemes for Beawar to Jodhpur, Jodhpur to Bikaner via Nagaur and microwave link between New Delhi and Jaipur via Alwar are under execution. Jodhpur is expected to be linked through the coaxial system very soon.

#### Agricultural Farm Suratgarh and Jetsar Rajasthan

**5157. Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the amount invested so far in Government Agricultural Farms at Suratgarh and Jetsar in Rajasthan and the number of Officers and Employees working there; and
- (b) the commodities produced there and the annual income therefrom separately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The amount invested by Government in the Suratgarh and Jetsar Farms up to 30.6.1967 is as follows:

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| Suratgarh | - | Rs. 4,95,48,933 |
| Jetsar    | - | Rs. 99,26,315   |

The number of employees at the two farms is as follows:

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Class I   | - | 9   |
| Class II  | - | 8   |
| Class III | - | 432 |
| Class IV  | - | 178 |

(b) The figures of income and expenditure are not maintained commodity-wise at the farms. However, the yearly income of the two farms ever since they started is as follows:

| Year    | Suratgarh<br>( in rupees ) | Jetsar |
|---------|----------------------------|--------|
| 1956-57 | 4,27,523                   | -      |
| 1957-58 | 4,51,084                   | -      |
| 1958-59 | 26,12,929                  | -      |
| 1959-60 | 31,83,371                  | -      |
| 1960-61 | 41,42,827                  | -      |
| 1961-62 | 40,78,884                  | -      |

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 1962-63 | 46,86,181   | -         |
| 1963-64 | 46,65,098   | -         |
| 1964-65 | 50,87,761   | 2,82,279  |
| 1965-66 | 30,68,461   | 2,68,710  |
| 1966-67 | 76,99,651   | 6,68,638  |
| Total   | 4,04,03,770 | 12,19,627 |

Accounts for the year 1967-68 have not yet been finalised.

#### Master Plan for 'Grow More Food' Campaign

5158. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Food, and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government propose to prepare a Master Plan to lay stress on the implementation of 'grow more food' campaign on a wider scale; and

(b) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b): A new Strategy of Agricultural Development has been adopted since 1966-67 for achieving self-sufficiency in foodgrains. The main steps taken under the New Strategy are: High Yielding Varieties Programme, Multiple Cropping, Minor Irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilisers and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance, farmer's education and training and intensification of research. The new Strategy has been adopted by all the States in the country to the extent feasible in the conditions and resources of each. The efforts for raising foodgrains production are proposed to be further intensified under the Fourth Five Year Plan.

#### Lease of Plots in Etah (U. P.)

5159. Shri M. A. Khan : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the lease of plots of lands Nos.501,506 and 304 in Village Mahadpur, Katra Pargana Sauron, District Etah, Uttar Pradesh, which was in the name of Rao Mahendra Man Singh has been cancelled by the Court.

(b) whether it is also a fact that in spite of the lease having been cancelled by the Court, Rao Mahendra Man Singh is organising Anemati fair on the said plots which is resulting in a loss of lakhs of rupees to the Gram Samaj; and

(c) whether it is also a fact that the information to the said effect has been sent through a telegram and a representation to the District Magistrate and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

#### हरियाणा में बूचड़खाना खोलने के विरुद्ध प्रदर्शन

5160. श्री अर्जुन सिंह मदीरिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुंडली गांव के बूचड़खाने के विरुद्ध आन्दोलन के बारे में हरियाणा सरकार की रिपोर्ट सभापटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को उनके द्वारा लिखे गये पत्रों के बावजूद हरियाणा सरकार की रिपोर्ट नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्डे) : (क) 14 मार्च 1968 को दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुये हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी की एक प्रतिलिपि 30 अगस्त 1968 को सभापटल पर रख दी गई थी। उसी का हवाला 29 अगस्त 1968 के प्रश्न संख्या 6580 के उत्तर के भाग (ख) में दिया गया है।

(ख) रिपोर्ट की प्रति मांगने के बारे में संसद सदस्यों से इस विभाग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुये है।

#### मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के निर्वाचन अधिवेशन

5161. श्री के० हल्दर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी बंगाल के कांग्रेसी नेताओं ने हाल ही में मिदनापुर जिले में अनेक अधिवेशन सशस्त्र पुलिस और बेतार-यानों की सहायता से किए;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन अभियानों के संदर्भ में ऐसे अधिवेशनों का किया जाना उचित है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी प्रस्थापित है ?

विधि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मु० युनुस सलीम) : (क) से (ग) इस मामले में न तो इस मन्त्रालय को और न निर्वाचन आयोग को ही कोई जानकारी प्राप्त है।

#### गांधी शताब्दी के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रम

5162. श्री शिवचन्द्र भा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांधी शताब्दी की अवधि में समाज कल्याण सम्बन्धी कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) समाज कल्याण विभाग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिये भी सुझाव दिए हैं। 1969-70 की सामान्य वार्षिक योजना के अतिरिक्त गांधी शताब्दी वर्ष के लिए कोई विशेष कल्याण योजना तैयार नहीं की गई है।

### Harmful Effects of Potatos on Human Beings

5 63. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Food and Agriculure be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by Dr. Peak, appearing in newspapers, to the effect that Potato is a poisionous and harmful edible commodity for human being as it contains saline;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the steps being taken by Government to avoid its adverse effects on the potato cultivation in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b): Yes, Sir. But, perhaps, the Hon'ble Member is referring to solanine content and not saline. The solanine content of potatoes is normally not such as to cause any toxicity; the chances, if any, of toxicity are also eliminated by avoiding consumption of sprouted and immature potatoes and by proper cooking. Therefore, so far as we are aware, the potato tuber, as such, is not harmful in human dietary.

(c) Does not arise.

### Agro-Based Industries

5164. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the number of Agro-based industries in the country in the Co-operative Sector; and

(b) the nature of assistance granted to them by the Central Government and the Department of Cooperation during the last five years and the number of those functioning efficiently ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) As on 30th June 1968, there were in all 1572 agricultural processing units in the cooperative sector.

(b) In order to enable the state governments to contribute to the share capital of cooperative processing units and to sanction loans for meeting block capital requirements central assistance has been provided through the National Cooperative Development Corporation to the state Governments in the form of loans. Managerial subsidy is also granted for such processing units. The National Cooperative Development Corporation has sanctioned during the last five years a sum of Rs. 24.29 crores to the state Governments.

Out of 1572 cooperative processing units organised, 1088 have been installed and the others are in various states of installation. The performance of cooperative sugar factories and other processing units which are in operation and have completed their gestation period has been generally satisfactory.

### Telephone Exchange Building at Mughal Sarajl

5165. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a Telephone Exchange building is being constructed at Mughal Sarai in District Varanasi;
- (b) if so, when the building would be completed; and
- (c) the reasons for the slow progress in this regard ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) Yes.

- (b) The building work is likely to be completed by end of June, 1969.
- (c) The commencement of work was delayed due to (i) the site being water-logged and
- (ii) some structures needing demolition.

#### **Telegraphs Facilities to Villages and Small Towns**

**5166. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether Government propose to extend telegraph service to the villages and small towns which the common people could utilize in times of Emergency; and
- (b) if so, the population of such villages to which the said service is proposed to be extended ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) and (b): With a view to extend telegraph service progressively to undeveloped areas it is the policy of the Government to provide telegraph facility even if such provision results in loss at certain categories of stations based on administrative importance, consideration of population, remote-ness of locality and special importance like tourist & pilgrim centres agricultural projects etc According to this policy it is permissible to provide telegraph facility at places with a population of over 5000 provided the loss in each case does not exceed Rs. 2,000/- per annum subject to a total ceiling limit laid down for the 5 year period 1966-71. Accordingly telegraph facility is being extended to villages and small towns which fulfil the requirements of this standard of population in a phased programme.

#### **Telegraph and Telephone Facilities near Mughal Sarai**

**5167. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is no telegraph or telephone service on the road between Mughal Sarai and Chakia, a distance of 30 Kilometers and the road between Janpad, Varansi and Mirzapur; and
- (b) if so, whether Government propose to extend telephone service on both these places soon ?

**The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a): There is no telegraph or Telephone service on the road between Mughal Sarai and Chakia. However, between Varanasi and Mirzapur facilities in the shape of Public call office and combined (Telegraph) Office exist at Ramnagar and Chunar.

(b) There is no proposal under consideration to provide telecommunication facility at any station between Mughalsarai and Chakia. But there is a proposal under examination in respect of Narainpur (a Block Headquarters station) between Varanasi and Mirzapur.



## समाज कल्याण सम्बन्धी अनौपचारिक समिति

5168. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 अगस्त, 1968 को समाज कल्याण सम्बन्धी अनौपचारिक समिति की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त को अवगत कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उसके सुझावों/सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) बैठक के कुछ समय पश्चात् ही उन्हें मौखिक सूचना दे दी गई थी । औपचारिक सूचना 7-11-1968 को भेजी गई । आयुक्त ने इस संदर्भ में कुछ सुझाव या सिफारिशें नहीं भेजी हैं । अतः सरकार द्वारा तुरन्त कोई कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों की समाप्ति

5169. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त किये जाने से पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त की राय ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) फरवरी से अप्रैल, 1967 के बीच हुई अनेक बैठकों में ।

(ग) 20 जुलाई, 1967 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6163 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

## भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जत नगर

5170. श्री चं०चु० देसाई : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के कुछ अनुसंधान सहायकों को अन्तिम रूप से स्वीकृति मिलने तक तदर्थ आधार पर सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है;

(ख) क्या कुछ अनुसंधान सहायक इस सेलेक्शन ग्रेड को पाने के अधिकारी 1968 में ही हो गये थे;



(ग) क्या उन अनुसंधान सहायकों को दिया गया सेलैक्शन ग्रेड अभी तक भी नियमित नहीं किया है; और उससे होने वाले वेतन लाभ की बकाया राशि भी उन्हें नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसे कब नियमित किया जायेगा और बकाया का भुगतान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) न अभी तक नियमित किया गया है और न ही कोई बकाया राशि श्रदा की गई है ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में आदिवासी युवतियों की नीलामी

5171. श्री नंजा गौडर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान मद्रास और मदुराई से प्रकाशित होने वाले 13 अक्टूबर, 1968 के एक तामिल दैनिक "धिनामणि" में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की एक भीड़ में आदिवासी युवतियों का नीलाम किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि सूखे के दिनों में वर्षा के लिये देवताओं को प्रसन्न करने के लिये हाल में बैलों के स्थान पर आदिवासी युवतियों को जोता जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) यह लेख, जो स्थानीय सभा से अपरिचित व्यक्ति द्वारा लिखा गया, सुनी हुई बातों पर आधारित प्रतीत होता है । ऐसे कार्यों से तथाकथित सम्बन्ध रखने वाली आदिम जतियों तथा स्थानों के नामों का भी वर्णन नहीं किया गया है । ऐसे बयानों का सत्यापन सम्भव नहीं है ।

#### Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Training Institutes

5172. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) the number and percentages of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others category-wise, in each Central Training Institute, in the country;

(b) whether the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each Institute has been filled up as per Home Ministry's orders; and

(c) if not, the action taken so far or proposed to be taken to fill the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation Shri S. C. Jamir : (a) to (c): Recruitment to Class III and Class IV posts in the Central Training Institutes for Instructors is made by the Principals of the Institutes themselves and the requisite information in respect of employees holding these posts, is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha during the next Session.

As regards Class I and Class II Gazetted posts in the Institutes, reservation is not made for the individual Institutes, as such, but for the Department of Labour and Employment as a whole.

#### Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr

5173. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

whether it is a fact that Chairman of the Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr, has tendered his resignation;

(b) whether it is also a fact that the Assistant Agricultural Produce Marketing Officer, Meerut, has received the resignation directly from him;

(c) whether it is also a fact that the Agricultural Produce Marketing Society has passed a resolution unanimously to the effect that the said resignation may be forwarded to it for consideration;

(d) if so, the steps taken by Government to ensure that the said society gets the resignation letter back soon; and

(e) the justification for the said resignation letter being received directly by the Assistant Agricultural Produce Marketing Officer ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (e): Information in this regard which was called for from the State Government of Uttar Pradesh is still awaited and will be placed on the Table of the House when received from the State Government of Uttar Pradesh.

#### पंजाब में दुग्ध संयंत्र

5174. श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में तीन दुग्ध संयंत्र लगाने की योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) क्या इसके लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी सहायता दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (घ) पूछी गई जानकारी पंजाब सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही समा पटल के पटल पर रख दी जाएगी ।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्वदेश लौटे  
हुए लोगों को बसाने के लिये विकास निगम**

**5175.** श्री रा० कृ० सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की श्रीलंका और बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वासि के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास निगम बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) 16 सितम्बर, 1968 को त्रिवेन्द्रम में पुनर्वासि बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें अन्दमान विकास निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यह निश्चय किया गया था कि बोर्ड की एक उप-समिति इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और बोर्ड के विचार के लिये विस्तृत ब्यौरा तैयार करेगी। इस विषय पर बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

**भारत के खाद्य निगम का अध्यक्ष**

**5176.** श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के खाद्य निगम के रिक्त अध्यक्ष पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को पर्याप्त व्यावहारिक वाणिज्यिक अनुभव प्राप्त हैं जो खाद्य व्यापार संगठन के कार्य के सुधार के लिये आवश्यक होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्ति की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। श्री शाहनवाज खां को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(ख) जी हां। भारत सरकार में उप-मंत्री के पद पर एक लम्बी अवधि तक कार्य करने के अलावा श्री शाह नवाज खां कृषि विभाग में उप मंत्री के रूप में और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके हैं। विशेषकर बाद के दो पदों पर रहते हुए उन्होंने खाद्य तथा कृषि प्रशासन सम्बन्धी पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**त्रिपुरा में सू-सुधार कार्य**

**5177.** श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में भू-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में भू-सुधार कार्य की गति बहुत ही धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) त्रिपुरा में भू-सुधारों की शीघ्रता से क्रियान्वित के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है और इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा श्रम अधिकारी को रजिस्टर दिलाने से इन्कार करना**

5178. डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों ने नीमनपुर श्रम प्रवर्तन अधिकारी और आसनसोल के सहायक श्रम आयुक्त को मजूरी के भुगतान आदि से सम्बन्धित स्थायी रजिस्ट्रों को दिखाने से मना कर दिया है;

(ख) कौन-कौन से रजिस्ट्रों को उन्होंने दिखाने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) क्या प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । प्रबन्धकों ने रिकार्ड पेश करने के लिए केवल समय मांगा और रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो गया है ।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा औद्योगिक सम्बन्ध विभाग के साथ सहयोग**

5179. डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धक औद्योगिक सम्बन्ध संस्था से बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां**

5180. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के मैट्रिक से ऊपर वाली कक्षाओं के उन छात्रों को कोई छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती, जिनके माता-पिता और संरक्षकों की आय सभी स्रोतों से 500 रुपये प्रति मास से अधिक होती है और 500 रुपये की इस अधिकतम सीमा में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते भी सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/आदिम जाति के आवेदक पर लागू होने वाले जीविका-साधन जांच के अन्तर्गत परिभाषित आय के स्रोतों का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के मामले में इस जीविका-साधन जांच में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं जबकि राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत जीविका-साधन जांच को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया है कि उसमें वेतनभोगी वर्ग की आय में दैनिक भत्ते इत्यादि सम्मिलित नहीं होते और सैनिक स्कूलों में दी जाने वाली छात्रवृत्तियां के लिए भी जीविका-साधन जांच में इसी प्रकार का परिवर्तन हाल ही में किया गया है; और

(घ) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों पर लागू होने वाली इस कठोर जांच को 'उदार' किस दृष्टि से कहा जाता है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान। केवल अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आजकल कोई जीविका-साधन जांच निर्धारित नहीं है।

(ख) 'आय' का मतलब सब स्रोतों से होने वाली पूर्व के वर्ष की कुल आय है, जिसमें वेतन तथा सब भत्ते सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) छात्रवृत्तियां प्रदान करने की शर्तें परियोजनाओं के अनुसार भिन्न हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां/राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियां मुख्यतः गुण-आधार पर दी जाती हैं और छात्रवृत्तियों की संख्या भी सीमित है किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या असीमित है। और किसी जीविका साधन जांच के बिना दी जाती हैं। चिकित्सा और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का एक बार फेल होना (इस प्रयोजन के लिए) माफ कर दिया जाता है। 500 रुपये प्रति मास की उच्चतम सीमा राष्ट्रीय व्यक्तिगत आय से बहुत ऊपर निश्चित की गई है।

### बिहार में मतदाता

5181. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के साधारण निर्वाचन की तुलना में आगामी मध्यावधि मतदान के लिये बिहार में मतदाताओं की क्या संख्या है;

(ख) इस लगभग दो वर्षों की कालावधि के दौरान मत देने के हकदार वयस्कों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) बिहार में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतदाताओं की सूचियों में हुई प्रतिशत वृद्धि साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में हुई प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कितनी है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग) जानकारी संगृहीत की जा रही है।

### अधिक दूध देने वाले पशुओं का संरक्षण

5182. श्री सोताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल ने बहुत दूध देने वाले पशुओं के संरक्षण तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना का प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी ही परियोजनायें अन्य राज्यों में भी स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार के अर्बतनिक सलाहकार (डेरी और पशुपालन) डा० वी० कुरियन ने भारत सरकार को सूचित करते हुये गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य दूध के उत्पादन और विपणन का विकास।

(2) गुजरात और महाराष्ट्र की डेरियों में दूध की निश्चित और अधिकाधिक की पूर्ति के लिये गुजरात और महाराष्ट्र की दोनों सरकारों के लिये सबसे अधिक कारगर कदम यही होगा कि इस समस्या का समाधान सहकारिता के स्तर पर किया जाये।

(3) दोनों राज्यों के लिये उपयुक्त होगा कि पशु विकास और डेरी विकास की समांकलित योजना के लिये वे राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल से परामर्श करें।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र

5183. श्री सोताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने ये केन्द्र बन्द करने का निश्चय किया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) राज्यों । केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

### बिनौले के तेल के उत्पादन के लिए बिनौलों का प्रयोग

5184. श्री सीताराम केसरी : क्या स्वाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान बिनौले के तेल का उत्पादन करने के लिये कितनी मात्रा में बिनौलों का प्रयोग किया गया ?

स्वाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पिछले पांच वर्षों की अवधि में बिनौलों की निम्नलिखित मात्रा का तेल निकाला गया है :—

| वर्ष | मात्रा (लाख मीटरी टनों में) |
|------|-----------------------------|
| 1963 | 2.40                        |
| 1964 | 2.95                        |
| 1965 | 3.10                        |
| 1966 | 5.20                        |
| 1967 | 6.00                        |

### Allegations against Block Development Officer, Jhanjarpur (Bihar)

5185. **Shri Laxhan Lal Kapur :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Member of Darbhanga District Congress Committee, Shri Misri Prasad Verma vide his letter dated the 9th April, 1968 and Shri Devendra Jha, Joint Secretary, District Praja Socialist Party vide his letter No. 206/67/68, dated the 1st May, 1968 had drawn the attention of the then Bihar Chief Minister towards the serious allegations against the Block Development Officer of Jhanjharpur and many Mukhias and they had demanded enquiry and action against them; and

(b) if so, the action taken by Government in this matter so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b): Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

## Sale of Milo in Blackmarket by a Block Development Officer in Bihar

5186. Shri Lakhman Lal Kapur : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Block Development Officer, Jhanjarpur Block, District Darbhanga, Bihar and milo from Government godown in black market as reported to by the "Searchlight" dated the 18th September, 1968 and that the said paper had demanded an enquiry by the Bihar Government into this matter;

(b) whether it is also a fact that the Joint Secretary of the Darbhanga Praja Socialist Party had addressed letter to the Adviser to the Government of Bihar, in this connection on the 19th September, 1968; and

(c) if so, the action so far taken by the Government of India thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (c): Information is being collected from the State Government and on receipt will be laid on the Table of the House.

## राजभाषा (विधायी) आयोग

5187. श्री स० अ० अग्रडो :

श्री राजशेखरन :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी कानूनों का अनुवाद करने के लिये राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा कल की गई थी;

(ख) इस आयोग द्वारा प्रतिवर्ष कौन-कौन से अधिनियमों का अनुवाद किया गया;

(ग) स्थापना से अब तक प्रत्येक वर्ष आयोग पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है; और

(घ) इस समय कानूनों के कितने पृष्ठों का अनुवाद होना शेष है तथा इसमें कितना समय लगने और कितना व्यय होने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनूस सलीम) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) के अधीन निकाले गए तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसरण में 8 जून, 1961 को किया गया था।

(ख) आयोग द्वारा हर एक वर्ष में अनूदित अधिनियमों के नाम दर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबन्ध)। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2791/68]

(ग) आयोग के गठित होने से लेकर उस पर हर एक वर्ष उपगत कुल व्यय निम्नलिखित है :—



| वर्ष    | रकम   |
|---------|---|
| 1961-62 | 1,85,535 रु०  |
| 1962-63 | 5,33,003 रु०  |
| 1963-64 | 6,66,559 रु०  |
| 1964-65 | 9,22,924 रु०  |
| 1965-66 | 9,37,509 रु०  |
| 1966-67 | 8,78,500 रु०  |
| 1967-68 | 16,74,538 रु०   |
| 1968-69 | 13,04,000 रु० (आयोग के बजट अनुदानों में सम्मिलित उपबन्ध)। |

(घ) केन्द्रीय अधिनियमों के लगभग 11,400 पृष्ठों का अनुवाद होना बाकी है अनुवाद पूरा करने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। इस 5 वर्ष की कालावधि के दौरान आयोग पर सम्पूर्ण रूप में उपगत किया जाने वाला प्राक्कलित व्यय लगभग 70,00,000 रु० होगा।

#### Complaints regarding late Delivery of Telegrams and Money Orders in Pauri Garhwal

5188. Shri Ram Charan :  
Shri J. Sunder Lal :  
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5031 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Department of Uttar Pradesh have since received any complaint to the effect that telegrams, Money Orders and letters are not delivered in time in District Pauri Garhwal and are delivered as late as 20 to 25 days after; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) Does not arise.

#### Lack of Postal Stationery in Delchouri Post Office, Pauri Garhwal

5189. Shri Ram Charan :  
Shri J. Sunder Lal :  
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that envelopes, stamps, inland letters and postcards are not available for months together in Delchouri Post Office of Pauri Garhwal; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) Does not arise.

**Conversion of Delchouri (Pauri Garhwal) Branch Post Office into Sub-Post Office**

\*5190. Shri Ram Charan :

Shri J. Sunder Lal :

Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Delchouri Branch Post Office of Pauri-Garhwal into Sub-Post Office because this Post Office is the centre of many patties; and

(b) if so, by when and if not, the reasons therefor and complete details thereof ?

The Minister of State in the Department for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b): Branch Post Offices are upgraded into sub post offices provided departmental standards on the minimum work hours and maximum permissible limit of loss on upgrading are fulfilled. No proposal for upgrading Delchouri Branch Office into a sub post office had been received so far. Its case for upgrading will be taken up for examination.

**दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आशु-लिपि पाठ्यक्रम के लिये दाखिला**

5191. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा जारी किये गये तथा विशेषज्ञ समिति अर्थात् राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये नियमों के अनुसार देखिये ज्ञापन संख्या एन०सी०टी०-33(17)/61-62 दिनांक 15 मार्च, 1963 (परिशिष्ट 11)-आशुलिपि पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख) 1963 में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आशुलिपि पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। जिसके अधीन पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों की पूर्व-प्रवेश लिखित परीक्षा ली गई थी। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की पूर्व-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ पैदा होती थीं अतः दिल्ली प्रशासन ने रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के लक्ष्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बाद में परिशोधित कर दिया।

### आशु-लिपि प्रशिक्षकों की पदोन्नति

5192. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या भ्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त आशुलिपि प्रशिक्षकों के लिये पदोन्नति के कोई साधन नहीं हैं तथा जिन्होंने 6 से 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें भी अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) क्या अन्य व्यवसायों के प्रशिक्षकों को उच्चतर वेतनक्रम में सुपरवाइजर इन्स्ट्रक्टर और फोरमैन इन्स्ट्रक्टरों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले आशुलिपि व्यवसाय के प्रशिक्षकों को लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आशुलिपि प्रशिक्षकों के लिये पदोन्नति के साधनों के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके अगले पद का वेतनमान क्या होगा ?

भ्रम, नियोजन तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं। दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में काम कर रहे आशुलिपि अनुदेशकों के लिये पदोन्नति का एक माध्यम उपलब्ध है। बहरहाल इस व्यवसाय में कुछ अनुदेशकों ने 6 से 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वे अभी तक पदोन्नत नहीं किये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, रुपये 210-425 के वेतनक्रम में आशुलिपि अनुदेशकों को इतर-तकनीकी कर्मचारी होने के कारण, वेतनक्रम रुपये 180-280 और रुपये 210-380 में इंजीनियरिंग और इतर-इंजीनियरिंग व्यवसाय के दूसरे अनुदेशकों के साथ, संयोजित नहीं किया गया है। किन्तु आशुलिपि अनुदेशकों के लिए दिल्ली प्रशासन के अधीन लिपिक-वर्गीय सेवा ग्रेड-I में रुपये 210-530 और रुपये 350-25-575 के वेतनक्रम में आशुलिपि के पद पर पदोन्नत होने का माध्यम मौजूद है।

दिल्ली के रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे गये स्टेनोग्राफरों के पद

5193. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या भ्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी तथा सरकारी कार्यालयों ने वर्ष 1965-66; 1966-67 तथा 1967-68 में वर्षवार तथा श्रेणीवार स्टेनो-टाइपिस्टों/जूनियर स्टेनोग्राफरों तथा सीनियर स्टेनोग्राफरों के पदों के लिये कितने रिक्त स्थानों की सूचना स्थानीय रोजगार केन्द्रों को दी; और

(ख) उपर्युक्त श्रेणियों की प्रत्येक श्रेणी में उपर्युक्त वर्षों में कितने-कितने रिक्त स्थान दिल्ली रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे गये ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2792/68]

### औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को दीर्घावकाश का लाभ

5194. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलिटेकनिकस के दो वर्षीय पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियां मिलती हैं जबकि दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को ये छुट्टियां नहीं मिलती हैं यद्यपि ये दोनों संस्थाएं दिल्ली प्रशासन के नियन्त्रणाधीन हैं और दोनों के पाठ्यक्रमों की अवधि एक समान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख) पोलिटेकनिकस में काम करने वाले कर्मचारियों पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार उन्हें ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियां मिल सकती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार नियमाधीन अवकाश उन्हें मिल सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य दस्तकारी का प्रशिक्षण देना है जिसमें प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित अल्पकालिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को गहन पाठचर्या का बिना रोक-टोक प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। अतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को कारखाने जैसे वातावरण में काम करना पड़ता है और उनके प्रशिक्षण का एक बड़ा भाग श्रमालय (शाप फ्लोर) में होता है। इसलिये दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियों की व्यवस्था नहीं की गई है।

नई दिल्ली स्थित कालकाजी बस्ती में कार्य करने के लिये भारत सेवक समाज को संविदा

5195. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1962 में भारत सेवक समाज को कालकाजी नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित बस्ती की भूमि को समतल आदि करने का ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ठेके को रद्द किये जाने से पूर्व और बाद इस संस्था को कुल मिलाकर कितना धन दिया;

(ग) क्या बस्ती के विकास के लिये इस धन को अनावश्यक समझा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस धन को बस्ती के विकास के लिये किये गये कुल व्यय में से घटा दिया गया है ताकि वास्तविक विकास व्यय का हिसाब लगाया जा सके और उसके अनुसार ही राशि अलाटियों से वसूल की जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सेवक समाज को दिये गये 5.73 लाख रुपये की राशि के कार्य में से समाज ने लगभग 2.32 लाख रुपये का कार्य ही किया था । समाज को अदा की गई वास्तविक राशि केवल 2,32,072 रुपये थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) चूंकि समाज को दी गई राशि बस्ती में किये गये विकास कार्य के मूल्य का निरूपण करती है इसलिये बस्ती पर किये गये कुल विकास व्यय में से इस राशि को निकालने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

#### औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वाटर

5196. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन काम करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों के लिये क्वाटर बनाने के हेतु नई दिल्ली की सनलाइट कालोनी में एक प्लॉट नियत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वाटर बनाने का विचार है; और

(ग) वे क्वाटर कर्मचारियों को दिये जाने के लिये कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां ।

(ख) अड़सठ ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्वाटर बन जाने की संभावना है ।

#### Import of Tapioca into Pondichery from Kerala

5196.-A. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that licences were issued to some parties for importing Tapioca into Pondicherry from Kerala at the instance of the erstwhile Minister of Public Works Department in Pondicherry;

(b) whether it is a fact that Tapioca imported from Mahe for Pondicherry did not reach Pondicherry but was disposed of at Salem itself in the blackmarket;

(c) whether it is a fact that when the Chief Secretary of Kerala Government was apprised of the said blackmarketing he wrote to the Government of Pondicherry to cancel the said licences and consequently Shri Mamak, the Secretary of the Civil Supply Department wrote to the erstwhile Development Minister, Shri Sanmugham that since the permit in question was issued in accordance with the order of D.M., the letter of Kerala Government for cancellation of licences should therefore be seen by the D. M.; and

(d) if so, whether Government would institute an enquiry into the whole affair ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasabib Shinde): (a) to (d) : Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पश्चिम बंगाल में निर्वाचन समाप्तों में गड़बड़

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

“पश्चिम बंगाल में निर्वाचन सभाओं में गड़बड़ और पत्थरों फेंका का जाना।”

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार को यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि 9 दिसम्बर 1968 को जब श्री हुमायून कबिर मिदनापुर के ओल्ड जेल मैदान में हुई चुनाव सभा में भाषण दे रहे थे तो कुछ गुण्डों ने उस सभा में विस्फोटक पदार्थ फेंक कर गड़बड़ पैदा कर दी। जब श्री हुमायून कबिर भाषण दे रहे थे तो उनके निकट एक पटाखा फटा और उनके मुँह पर चोट आयी और खून बहने लगा। तब उन्हें मिदनापुर अस्पताल में दाखिल किया गया तथा बाद में कलकत्ता के एक अस्पताल में ले जाया गया। भारतीय विस्फोटक-पदार्थ अधिनियम की धारा 6 (3) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 326 और 307 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस मामले की जांच की जा रही है।

ऐसा भी पता लगा है कि कुछ अन्य सभाओं में भी गड़बड़ की गई थी। अग्रेतर ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है।

आगामी आम चुनावों के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभाओं में गड़बड़ पैदा करने के ऐसे प्रयासों की सरकार कड़ी निन्दा करती है। ऐसे सभी

प्रयासों को कुवलने के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है। वह बंगाल तथा अन्य राज्यों में निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूप से चुनाव कराने के लिये हर सम्भव कार्यवाही करेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे सामान्य राजनीति जीवन को अस्तव्यस्त करने के ऐसे प्रयासों की वह दिल से निन्दा करें तथा निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से चुनाव सम्पन्न करने के लिये शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिये राज्य के अधिकारियों को पूर्णरूप से सहयोग दें।

श्री क० प्र० सिंह देव : एक ऐसा समय था जब बंगाल में देशभक्त पैदा हुआ करते थे परन्तु आज वह एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें सविधान के प्रति कोई आदर नहीं है। ऐसे तत्व लोगों को अपने भाषण तथा अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। अतः मैं गृह-मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि इस सारे मामले की जांच की जा रही है। मैं इस समय किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे खराबी हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करूंगा कि वे शान्तिपूर्ण चुनाव के लिये आवश्यक वातावरण बनाये रखें।

श्री क० प्र० सिंह देव : माननीय मंत्री ने मेरा प्रश्न ध्यान से नहीं सुना है। मैं जानना चाहता था कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाया है कि बंगाल में कुछ लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ चीजें स्पष्ट ही होती हैं जिनका पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सभी राजनीतिक दलों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों को चेतावनी देता हूँ कि यदि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएँ होती रही तो मध्यावधि चुनाव सम्पन्न करने में बड़ी बाधा पड़ेगी। उन्हें रोकना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : गृह कार्य मंत्री ने भी यही कहा है इसे दुहराने की क्या आवश्यकता है।

श्री समर गुह : मैं यह विरोधी दल की ओर से कह रहा हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इन लोगों के चिल्लाने से पता चलता है कि यह सब कुछ इन्होंने ही करवाया है।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : हम ने तो श्री मधोक को कटक में देखा था। हम ने वहाँ देखा था कि उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों की सम्पत्ति कैसे लूटी थी। रांची में उन्होंने बहुत से लोगों को मारा है। हमें शर्म आती है कि वे लोग इस सभा में हमारे साथ हैं।



Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : By the Speeches made by these people in Calcutta it appears that these things are taking place on account of Jan Sangh. I think an enquiry should be made in this regard.

**अध्यक्ष महोदय :** किसी व्यक्ति अथवा किसी दल का नाम नहीं लिया जाना चाहिए ।

**श्री समर गुह :** कुछ दिन पहले मार्क्सवादी साम्यवादी दल के एक प्रमुख सदस्य श्री हरिकृष्ण ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से गाड़ी में हावड़ा जा रहे थे तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें धमकी दी थी । इसी प्रकार कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेन बर्दबान जिले में चुनाव सभा में भाषण देकर वापस आ रहे थे तो उनकी कार पर पत्थर फेंके गये और वह घायल हो गये । वैसे ही बारांनगर में सी० पी० एम० के एक व्यक्ति को छुरा मारा गया था । इन सब बातों को देखते हुये मैं पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही का जवाब हिंसात्मक कार्यवाही में दिया जायेगा । जिससे पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्रात्मक ढंग से चुनाव नहीं हो सकेंगे । अतः मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि यदि सार्वजनिक सभा में किसी राजनीतिक दल द्वारा कोई हिंसात्मक कार्यवाही की गई तो क्या वह उसके लिये कड़ी कार्यवाही करेंगे क्योंकि वे लोग लोकतन्त्र के शत्रु हैं ।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करेगी । साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यदि न्यायालय में यह सिद्ध हो जाये कि एक दल ने दूसरे दल के इशतिहार फाड़ लिये है अथवा दूसरे दल की चुनाव सभा में गड़बड़ पैदा की है अथवा दूसरे दल के किसी सदस्य को धमकी दी है तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी और उसके चुनाव को अर्धघोषित करेगी ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने का विचार है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यह सुभाब तो विशेष कार्यवाही करने के लिये है ।

**श्री रा० बरग्रा (जोरहाट) :** यह एक बात तो निश्चित ही है कि इस देश की लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया को अस्तव्यस्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । श्री हुमायूँ कबिर के अलावा कई अन्य व्यक्तियों पर भी हमला किया गया है । एक अथवा दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं हो सकता । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से राजनीतिक दल है जिन्होंने ऐसी कार्यवाही न करने की घोषणा की है ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** मैंने स्वयं कहा है कि मैं ऐसी घटनाओं की निन्दा करता हूँ इसके साथ ही साथ मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी ऐसी घटनाओं की निन्दा करें ।

**श्री चपला कान्त मट्टाचार्य (रायगंज) :** माननीय गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य में श्री हुमायूँ कबिर का उल्लेख किया था । मैं उनके बारे में सही स्थिति बताना चाहता हूँ । श्री हुमायूँ कबिर के साथ तीन अन्य व्यक्तियों को भी गहरी चोट आई थी । उनमें से श्री पी०



सी० सेन तो अब भी बुखार से पीड़ित है। माननीय गृह मन्त्री को इस सारे मामले का पता लगाना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि अब तो उम्मीदवारों पर चुनाव सभाओं में केवल हमला ही किया जाता है फिर चुनाव आने पर मतदाताओं को धमकी दी जायेगी और उसके बाद मत पेटियों को नष्ट कर दिया जायेगा। कलकत्ता में पहले ही ऐसे इश्टिहार लगाये जा चुके हैं कि चुनाव नहीं होने दिये जाने चाहिये। यह कार्यवाही ऐसे दलों द्वारा की जा रही है जिनको चुनाव में विजय प्राप्त होने की शंका है। अतः हमें ऐसी सब बातों से सावधान रहना चाहिये।

श्री जि० मो० बिस्वास : आशंका तो माननीय सदस्य के दल को है।

श्री ज्योतिर्नाथ बसु (डायमंड हार्वर) ; श्री अनुल्य घोष के निर्देश पर मैसर्स खैतान ब्रादर्स को एक लाख ऐसी मतदान पेटियां बनाने का ठेका दिया गया है जिनमें आसानी से हेराफेरी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। उन्हें अब अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहिये।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : मुझे श्रीमती रामादेवी का तार आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पौली बर्धवान में जानबूझ कर घातक हमला किया गया है जिसमें मेरे समेत लगभग कांग्रेस के चालीस कार्यकर्ता घायल हो गये हैं तथा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः आप तुरन्त हिदायतें भेजे अतः चुनाव होना सम्भव नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि चुनाव सभाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मतदान पेटियों आदि की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बड़े दुख की बात है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी छोड़ा नहीं गया है और उन पर भी प्रहार किया गया है। इन सभी मामलों की जांच की जा रही है। हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि चुनाव सभायें शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न की जा सके। परन्तु इसके लिये हमें सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की जरूरत है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) यदि उन्हें सभी दलों का सहयोग प्राप्त हो जाये तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। मुझे उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ।

डा० सुशीला नंयर (भांसी) : उन्हें उनका सहयोग कभी नहीं मिलेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तब हम देखेंगे कि चुनाव के दौरान शान्ति बनी रहे।

मतदान केन्द्रों पर शांति बनाये रखने का काम हमने चलती फिरती पुलिस को सौंप दिया है। हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे कि मत पेटियों में हेरफेर न हो।

**सभा पटल पर रखे गये पत्र**  
**PAPERS LAID ON THE TABLE**

**भारतीय तार-यंत्र अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना**

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-शाहिब शिन्दे) : श्री इ० कु० गुजराल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार-यंत्र (आठवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1961 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1962 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या-एल० टी० 2769/68.]

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-शाहिब शिन्दे) : श्री प्र० च० सेठी की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(एक) वर्ष 1967-68 के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2770/68]

**उड़ीसा चावल (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-शाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के

अन्तर्गत उड़ीसा चावल ( वहन नियन्त्रण ) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2140 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूँ । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2771/68 ]

घातुयुक्त खानें ( संशोधन ) विनियम, कोयला खानें विनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री स० चु० जमीर ) : मैं निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) (एक) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) घातुयुक्त खानें ( संशोधन ) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1555 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) कोयला खानें ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1556 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2168 में प्रकाशित हुआ था ।

(ग) कोयला खानें ( तीसरा संशोधन ) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1558 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2169 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2772/68 ]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) चौथा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2113 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2773/68]

- (3) 27 सितम्बर, 1968 को नार्थ सालनपुर खान में घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट की एक प्रति । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2774/68 ]
- (4) जेनेवा में जून, 1968 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 52 वें सत्र में भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2775/68 ]

**अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री ( श्री मुहम्मद शफी कुरेशी ) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

- (1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —
- (एक) सूती कपड़ा ( नियन्त्रण ) चौथा संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4138 में प्रकाशित हुआ था ।
- (दो) सूती कपड़ा ( नियन्त्रण ) पांचवां संशोधन, आदेश, 1968, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4139 में प्रकाशित हुआ था । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2776/68 ]
- (2) इलायची बोर्ड के वर्ष 1967-68 के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।
- (3) रबड़ बोर्ड की वर्ष 1967-68 की गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2777/68 ]

**संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश में कतिपय शुद्धियाँ और संशोधन करने वाली भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनायें**

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री मु० यूनस सलीम ) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [ पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2778/68 ]

- (एक) एस० ओ० 4303 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र

सम्बन्धी संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किये गये ।

- (दो) एस० ओ० 4306 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य सम्बन्धी संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किये गये ।

### विधेयक पर राय OPINIONS ON PRICE

श्री श्री० त्रि० शर्मा ( मंननगर ) : मैं एक पत्र समा-पटल पर रखता हूँ जिसमें भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, सम्पूर्ण भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संबन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जो समा के निदेश से 9 अगस्त, 1968 को इस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, रायें दी गई हैं ।

### याचिका समिति COMMITTEE ON PETITIONS

#### कार्यवाही सारांश

श्री स० च० सामन्त ( तामलुक ) : मैं याचिका समिति की 37 वीं से 42 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति समा-पटल पर रखता हूँ ।

### राज्य सभा से संदेश MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव:—मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

- (एक) कि लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1968 को पास किये गये खाद्य निगम ( संशोधन ) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 17 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

- (दो) कि लोक सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1968 को पास किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक 1968 से राज्य सभा अपनी 17 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

-----

**प्राक्कलन समिति**  
ESITIMATES COMMITTEE

**63 वां प्रतिवेदन**

श्री पें० बेंकटा सुब्बया (नन्दपाल) : मैं वित्त मन्त्रालय-विदेशी सहायता का उपयोग के बारे में प्राक्कलन समिति के 11 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 63 वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

-----

**याचिका समिति**  
COMMITTEE ON PETITIONS

**चौथा प्रतिवेदन**

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन पुरस्थापित करता हूँ।

**साक्ष्य**

श्री स० च० सामन्त (नामलुक) : मैं याचिका समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

-----

**रूस के शिष्ट मण्डल की यात्रा के बारे में वक्तव्य**  
STATEMENT RE : VISIT OF SOVIET DELEGATION

प्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं रूस की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों के लिए राज्य समिति के सभापति, श्री स्वचकोव के नेतृत्व में रूस के शिष्टमण्डल की यात्रा के बारे में वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ। [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2779/68 ]

## नियम 377 के अन्तर्गत मामला

## MATTER UNDER RULE 377

श्री ही० ना० मुकर्जी ( कलकत्ता-उत्तर पूर्व ) : मैं आपकी अनुमति से अत्यावश्यक सेवाएं संधारण विधेयक के तीसरे वाचन के दौरान हुई घटना के लिए नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठा रहा हूँ। कल की घटनाओं का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। टाइम्स आफ इन्डिया ने लिखा है कि संसद कार्य मन्त्री तथा उपाध्यक्ष के बीच गर्मागर्मी हुई। परन्तु पेट्रियट ने अधिक सख्त शब्दों का प्रयोग का लिखा है कि संसद कार्य मन्त्री डा० राम सुभग सिंह तथा उपाध्यक्ष महोदय जो कि पीठासीन थे के बीच मुठभेड़ हुई।

जिस समय यह घटना घटी मैं सभा में उपस्थित था। संसद कार्य मन्त्री ने जिनके उपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कहा था कि 'आप प्रतिदिन अध्यक्ष के विनिर्णय में परिवर्तन कर देते हैं। हमें निर्धारित समय-सीमा पर दृढ़ रहना चाहिए। यदि हम इस अवस्था पर 'मुख बन्द' लागू करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। मैं इस अवस्था में 'मुख बन्द' लागू नहीं करूंगा।

श्री रणधीर सिंह ( रोहतक ) : डा० रामसिंह ने जो कुछ कहा था वह ठीक था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : डा० राम सुभग सिंह ने उपाध्यक्ष महोदय से आगे कहा कि इसमें क्या गलत है ? तब हमें सभापन प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने तब उत्तर दिया था कि मुझे कोई आपत्ती नहीं है। मैं इस अवस्था में वाद-विवाद बन्द नहीं करूंगा। तत्पश्चात् डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि आप निर्धारित समय-सीमा का पालन करें। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि क्या इस अवस्था में 'मुख-बन्द' लागू करना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 'मुख-बन्द' लागू नहीं करेंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपाध्यक्ष महोदय तीसरे वाचन की अवस्था पर 'मुख-बन्द' लागू करने को तैयार नहीं थे और वह आधे घंटे के लगभग समय बढ़ाने को तैयार थे। मेरी भावना है कि सरकार में बहुमत की शक्ति है परन्तु उसे इस देव की शक्ति का प्रयोग करते समय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं केवल यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि संसद-कार्य मन्त्री ने मेरे विचार में ऐसी बात कही जिससे पीठासीन का अपमान होता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तीसरे वाचन के समय गृह-कार्य मन्त्री भी उपस्थित थे और श्री स० मो० बनर्जी ने कहा था कि "मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गृह-कार्य मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे क्योंकि वह इस समय सभा में उपस्थित हैं। उस पर श्री चव्हाण ने कहा

था कि "निश्चय ही मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।" तब फिर अन्त में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मन्त्री श्री शुक्ला को बुलाया गया था। इस पर श्री श्रीवास्तव नायर ने कहा था कि हमें आश्वासन दिया गया था कि गृह-कार्य मन्त्री उत्तर देंगे। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि 'यह उचित नहीं है। मैं किसी को बुला सकता हूँ। इसको मामला मत बनाइये। इस पर श्री कान्तन नायर ने फिर कहा कि इसके पीछे श्री चव्हाण का ही दिमाग है। उन्हें ही उत्तर देना चाहिए। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने केवल इतना कहा कि "मैंने श्री शुक्ला को बुलाया है। गृह-कार्य मन्त्री यहां है। यदि वह चाहें तो अन्त में कुछ शब्द इसमें शामिल कर सकते हैं।"

मेरा कहना यह है कि जब सभा में इस प्रकार का मामला हो जिसके लिए बार-बार समय बढ़ाना पड़ा हो, तो यदि सम्बन्धित मन्त्री सभा में उपस्थित हों तो उनको ही उत्तर देना चाहिए। परन्तु गृह-कार्य मन्त्री कल उपस्थित थे परन्तु उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर नहीं दिया। इससे समाचार 'इन्डियन एक्सप्रेस' ने लिखा है कि श्री चव्हाण कुछ असन्तुष्ट थे। इस देश की संसदीय परम्पराओं के लिए यह एक बुरी बात है। मुझे आशा है कि आप इस बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने भी समाचार पत्रों को पढ़ा है। एक बार नहीं बल्कि इसके लिये दो बार समय बढ़ाना पड़ा था। इससे संसद कार्य मन्त्री पर भी बोझ पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति तनाव की स्थिति से गुजरा है। अतः मैं नहीं चाहता कि अब जबकि विधेयक पास हो गया है गलतफहमी बनी रहे। सायंकाल आठ बजे भी गृह-कार्य मन्त्री उपस्थित थे और उन्होंने आधे घंटे की चर्चा का उत्तर भी दिया था। सभी इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने अच्छा उत्तर दिया है। कभी-कभी सभी उत्तेजित हो जाते हैं। हम सब मानव हैं। अतः गांधीजी के प्राण त्यागने के स्थान के बारे में एक बात उठायी गई थी क्या माननीय मन्त्री इस बारे में कुछ कह रहे हैं ?

**संसद कार्य तथा संचार मंत्री ( डा० राम सुभग सिंह ) :** माननीय सदस्य ने कार्यवाही की अशुद्ध प्रति से कल वाक्य पढ़कर सुनाये हैं। मैं नहीं जानता कि इस में कुछ आपत्तिजनक है। स्वयं उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बार-बार कहा कि वाद-विवाद को कम किया जाना चाहिए। परन्तु जब वह पीठासीन हुए तो उन्होंने समय बढ़ाने को ठीक समझा। हम सब ने बचन दिया था कि विधेयक के लिए 7 घंटे का समय अलाट किया जाये परन्तु जैसाकि स्वयं आपने कहा यह वाद-विवाद 34 घंटे तक चला।

**श्री स० मो० बनर्जी ( कानपुर ) :** 34 घंटे नहीं 24 घंटे।

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किमी भी ईमानदार प्रेममैत्र को क्षपणे समाचार ऐसी रिपोर्टों पर आधारित नहीं रखने चाहिए और न ही किसी माननीय सदस्य को ऐसे तुच्छ मामले सभा में उठाने चाहिए। ( अन्तर्वाधायें )।

**गृह-कार्य मंत्री ( श्री यशवन्तराव चव्हाण ) :** मैं कभी भी नाराज नहीं था। यही एक मूल नियम मैंने इस सभा में सीखा है। मैंने यही ठीक समझा कि जिस मन्त्री ने यह विधेयक



बनाया है वही इस पर हुए वाद-विवाद का उत्तर दें। यही कारण है कि मैंने वाद-विवाद का उत्तर नहीं दिया। मैंने उपाध्यक्ष महोदय को एक नोट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि मैं वाद-विवाद का उत्तर देता हूँ तो यह मेरे साथ के प्रति उचित नहीं होगा। मैं तभी हस्तक्षेप करूँगा यदि मेरे साथी चाहें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ( केन्द्रपाड़ा ) : माननीय संसद कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उपाध्यक्ष महोदय ने उन्होंने निजीरूप से समय निर्धारित करने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि चर्चा हो रही है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। परन्तु पीठासीन ने एक अलग तरीके से व्यवहार किया। यह बहुत आश्चर्यजनक है।

श्री हेम बरुआ ( मंगलदायी ) : क्या मैं यह निवेदन करूँ कि उपाध्यक्ष महोदय को, जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, त्याग पत्र देना चाहिए ?

## भारतीय दण्ड संहिता ( संशोधन ) विधेयक INDIAN PENAL CODE ( AMENDMENT ) BILL

प्रवर' समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री तन्नेटि विश्वनाथम ( विशाखापतनम् ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

“कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सत्र ( 1969 ) के अन्तिम दिन तक बढ़ाये।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सत्र ( 1969 ) के अन्तिम दिन तक बढ़ाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  
The Motion was adopted

## महात्मा गान्धी की मृत्यु के बारे में RE : DEATH OF MAHATMA GANDHI

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में इस बारे में मतभेद उठ खड़ा हुआ है कि महात्मा गांधी की मृत्यु बिड़ला हाउस के बाग में अथवा भवन के अन्दर हुई थी। कुछ सदस्य पहले

ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं इस समय उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। इस अस्वस्थ मतभेद को सभा के समक्ष नहीं लाना चाहिए।

## विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

### RE. QUESTION OF PRIVILEGE

**Shri Rabi Ray (Puri) :** In a judgement which has appeared in the papers it is said that Shri Madhu Limaye has been kept in jail illegally. He can not attend the meetings of the House for this illegal imprisonment. I want to quote the judgement of justice Grover,

**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने गृह कार्य मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद वह इस पर विचार करेंगे। हमने सभा में जो प्रक्रिया बनाई हुई है हम उसका अनुसरण करेंगे।

**Shri Rabi Ray :** It should be done before the House is adjourned to-morrow.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता कि क्या यह सम्भव होगा। कल इस मत का अन्तिम दिन है। मैं नहीं समझता कि निर्णय की प्रति प्राप्त करना, उस पर वक्तव्य देना तथा फिर उस पर चर्चा करना कल सम्भव होगा। मैं ने तथा गृह-कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि वह इसको पढ़ेंगे।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fouteen of the clock .

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past Fouteen of the clock .

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }  
{ Mr. Deputy Speaker in the Chair }

## केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने के सम्बन्ध में केरल सरकार के कठिन निर्णय के बारे में

### RE: KERALA GOVERNMENT'S REPORTED DECISSION TO WITHDRAW CASES AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES.

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** मुझे एक निवेदन करना है। आपने आज के सभा-धरपत्रों में पढ़ा होगा कि केरल सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर चलाये जाने वाले सभी मुकदमों को वापिस ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इसको उठाने की अनुमति नहीं दी थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना को रद्द कर दिया था । इसीलिए मैं कह रहा हूँ... ....(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत भी इसको रद्द कर दिया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान समाचारपत्रों में छपे निम्नलिखित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ :

कि केरल सरकार ने लोगों तथा सम्पत्ति पर हुए गम्भीर मामलों को छोड़कर केन्द्रीय कर्मचारियों की 19 सितम्बर की हड़ताल से उत्पन्न होने वाले शेष सभी मामलों को न्यायालय की अनुमति से वापस देने का निर्णय किया है ।

यह निर्णय राज्य मन्त्रिमंडल की बैठक में लिया गया था और प्रेस सम्मेलन में मुख्य-मन्त्री श्री नम्बूपरीपाद द्वारा घोषित किया गया है ।

केरल सरकार के इस निर्णय पर नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है ।

मैं केवल यह चाहता हूँ कि संसद कार्य मन्त्री इस पर ध्यान दें तथा हमारी वास्तविक भावनाओं के बारे में उनको सूचित करें क्योंकि उसमें राज्य सरकार की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस पर ध्यान देंगे । जहां तक सहानुभूति का सम्बन्ध है उनकी सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है ।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : जैसा कि आपने स्वयं कहा अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी । परन्तु मैं आपके आदेश का पालन करूंगा ।

श्री क० नारायणराव (बोम्बली) : इसमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के महत्वपूर्ण सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त हैं । यह स्थिति ऐसी है जिसमें अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मन्त्री जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया है । अब मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इन महत्वपूर्ण मामलों को उठाना चाहते हैं क्योंकि सभा का समय समाप्त होने वाला है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Our sympathies are with government employees. All Government employees except those who were engaged in violence should be reinstated. I also do not want that instructions of the Central Government should be

violated but the Central Government should himself give directive to release and reinstate the government employees except those involved in violence.

**उपाध्यक्ष महोदय :** जैसा मैंने बताया माननीय मंत्री ने इस बात को ध्यान में रख लिया है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।

**श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) :** मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। जोकि मामला भी सभा में उठाया जाता है आप मंत्री महोदय को उसे ध्यान में रखने को कहते हैं इस प्रकार समय का कोई कार्य नहीं हो सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य की बात को भी ध्यान में रख लिया है। कुछ मामले माननीय सदस्यों के दिलों को उत्तेजित कर रहे हैं। सदस्य उन मामलों को यहां पर उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि सरकार भी बहुत से मामलों को उठाने के लिये उत्सुक है। जो कुछ कहा गया है माननीय मंत्री ने उसको ध्यान में रख लिया है।

**श्री रा० ढो० भण्डारे :** मैं अनेक समस्याओं को उठाना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे उनको उठाने की अनुमति देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हमें नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए।

**श्री श्रीचन्द्र गोयल (चण्डीगढ़) :** चण्डीगढ़ में कोई भी हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः वहां के सरकारी कर्मचारियों पर चलाये जाने वाले मुकदमों को वापस ले लिया जाना चाहिए।

## नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NAGALAND (CHANGE IN REPRESENTATION) BILL.

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस विधेयक पर किसी का मतभेद नहीं है। अतः इसको समय से पूर्व समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

**Shri Randhir Singh (Rohtak) :** Atleast one hour should be granted for this. I was a member of the delegation who visited Nagaland. I should be given five minutes to speak on this Bill.

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ

“कि नागालैंड की विधान सभा में परिवर्तन करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिमाणिक संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।”

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूँ।

इस विधेयक का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना है तथा नागालैंड विधान सभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है। संविधान के अन्तर्गत नागालैंड के राज्यपाल को वह शक्ति है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 371 क (2) की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत नागालैंड के त्यून्सांग जिले की शान्ति, प्रगति तथा अच्छी सरकार बनाने के लिए विनियम बनाने का अधिकार है। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक अनावश्यक है और इसका अर्थ सभा के समय का अपव्यय करना है।

इस विधेयक का तात्पर्य नागालैंड विधान सभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है। संविधान के अनुच्छेद 170 में यह दिया गया है कि किसी भी विधान सभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 170 क में नागालैंड प्रशासन के बारे में दिया गया है कि उसमें साठ के स्थान पर 46 सदस्य हो सकते हैं।

अब इस विधेयक के द्वारा नागालैंड विधान सभा के सदस्यों की संख्या 52 की जा रही है। अतः इस विधेयक से संविधान के उपबन्ध का उल्लंघन होता है। अतः संविधान में संशोधन किये बिना इस विधेयक को इस सभा द्वारा पास नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को पहले संविधान में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नागालैंड के बारे में कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं। जब नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था तब राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ दी गई थीं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इनको संविधान में दिया गया है। उपबन्ध (ज) के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या अभी भी 60 ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनिवास मिश्र जी का कहना यह है कि क्या इस संवैधानिक उपबन्ध में इस साधारण विधान से संशोधन किया जा सकता है ?

श्री रा० ढो० भण्डारे : उपबन्ध के अनुसार यह संख्या 46 से कम नहीं हो सकती। परन्तु इसमें बढ़ाई जा सकती है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नागालैंड सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर नागालैंड विधान सभा में त्यून्सांग जिले के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कहा है वहाँ से 6 के स्थान पर 12 सदस्यों को लिए जाने के लिए कहा गया है। यह प्रार्थना विधान सभा द्वारा पास किये गये संकल्प पर आधारित है।

संविधान के अनुच्छेद 371 क के खण्ड (2) में नागालैंड के त्यून्सांग जिले के लिए नागालैंड के बनने के दिन से 10 वर्ष तक विशेष सुरक्षोपाय करने के लिये राज्यपाल को अधिकार देने गये हैं। राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर इन को और अधिक

अवधि के लिए बढ़ा भी सकता है। नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (1) में त्यूनसांग जिले के लिए छः स्थान रखे गये हैं ये स्थान प्रादेशिक परिषद के सदस्यों को अपने से भरना है। इस अवधि के पश्चात त्यूनसांग जिला अपनी जनसंख्या पर आधारित 20 सदस्य विधान सभा में भेज सकता है। उक्त अवधि में प्रतिनिधित्व को इस कारण कम रखा गया था क्योंकि वहां के लोग चुनाव की आधुनिक प्रथाओं से पूरी तरह परिचित नहीं थे और क्योंकि चुनाव प्रादेशिक परिषद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होते थे।

त्यूनसांग जिले को अब नागालैण्ड विधान सभा की कार्यवाही में पर्याप्त अनुभव हो गया है। अतः यह महसूस किया गया कि उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया जाये। विधेयक का उद्देश्य उनकी संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 करना है। ये अतिरिक्त स्थान भी प्रादेशिक परिषद के सदस्यों में से ही भरे जायेंगे। त्यूनसांग जिला अन्ततः 20 और सदस्य भेजने का अधिकारी होगा। प्रादेशिक परिषद की सिफारिश जब तक राज्यपाल विधान सभा के किसी अधिनियम को त्यूनसांग जिले पर लागू करने का अनुदेश न दे तब तक वह अधिनियम लागू नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि इस समय त्यूनसांग जिले पर नागालैण्ड विधान सभा का क्षेत्राधिकार आंशिक रूप से है। अतः उनके प्रतिनिधित्व को अभी सीमित रखना ही उचित है। इस विधेयक का प्रभाव वर्तमान सभा के विघटन तक नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि इस विधान के पास होने के पश्चात नागालैण्ड विधान सभा कोहिमा, माकांकचंग जिलों के प्रतिनिधि तथा संविधान के अनुच्छेद 371 क में उल्लिखित प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा त्यूनसांग से चुने गये 12 सदस्यों पर आधारित होगी।

मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि नागालैण्ड की विधान सभा में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के लिए और प्रयोजनार्थ नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 में तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिभाषिक संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।”

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव भारत सरकार तथा चुनाव आयोग द्वारा शान्तिपूर्वक ढंग से, सन्तोषजनक रूप से तथा अहिंसा से हों और लोगों का अपने मनाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक अवसर दिया जाये। नागालैण्ड सरकार तथा उसके मंत्रियों ने भी हमें आश्वासन दिया था कि चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में कराये जायेंगे ताकि वे लोगों को बता सकें कि नागालैण्ड के लोग लोकतन्त्र में तथा विधान सभा मण्डल में विश्वास रखते हैं जोकि हमारे संविधान द्वारा वहां पर स्थापित किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि चुनाव हों। कुछ समय पूर्व उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। उप-चुनाव में ऐसी शक्तियां सफल नहीं हुई थी। यदि अब ये शक्तियां अपने हथियारों द्वारा लोगों को चुनाव में मत डालने आने से रोकती है तो चुनाव आयोग तथा सिविल सरकार का यह कर्तव्य है कि जहां कहीं आवश्यकता हो वे सेना के सहयोग से मत डालने आने वाले

लोगों को संरक्षण दें। मुझे आशा है कि सरकार लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए सभी लोकतन्त्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण ढंग अपनायेगी।

मैं यह भी कहूँगा कि नागालैंड के अब अधिकांश लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानने को तैयार हो रहे हैं यद्यपि वे नागालैंड को अपना घर मानते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह नागालैंड सरकार से मिलने वाले सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करे। मुझे विश्वास है कि नागालैंड मन्त्रिमण्डल भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है परन्तु वह इसके साथ साथ अपने लोगों की भावनाओं को भी सन्तुष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में वह अपने लिए पृथक राज्यपाल चाहते हैं। उनकी इस मांग को स्वीकार न करने के कोई कारण नहीं हैं।

वे विधि व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इस के लिए अभी समय ठीक न हो और चुनाव से पूर्व यह समय हो भी नहीं सकता। वे लोग इसके लिए पूरी तरह सक्षम हैं परन्तु वहाँ की विशेष स्थिति को तथा सीमाक्षेत्र के नाते तथा वहाँ गड़बड़ को देखते हुए विधि व्यवस्था को पूरी तरह उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। उनको इस बारे में धैर्य से काम लेना चाहिये। राज्यपाल को उन्हें अपना मार्गदर्शक तथा मित्र समझना चाहिये।

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** I have a point of order. There is a convention for the last 1-2 years to fix time for discussion under rule 193. But no time has been indicated on today's order paper. May I take it that discussion on my motion regarding steel deals is being suppressed. (interruptions)

**श्री ए० डी० भण्डारे (वम्बई-मध्य) :** जब बहस चल रही है तो आप इसकी अनुमति क्यों देते हैं।

**उपाध्यक्ष नहोदय :** जब किसी बिषय पर चर्चा की जा रही हो तो आप सभा के समक्ष सम्बद्ध बिषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। जहाँ तक कार्य सूची का प्रश्न है आप उसके बारे में चर्चा के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। दूसरे कार्य में मन्त्रणा समिति कभी भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करती कि अमुक समय पर अमुक बिषय पर चर्चा की जानी चाहिये।

**संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभाग सिंह) :** मैं इस बहस के लिये सहमत हो गया हूँ परन्तु कार्य सूची संसद-कार्य सचिवालय द्वारा तैयार नहीं की जाती।

**Shri Madhu Limaye :** But please let me know the decision of the Business Advisory committee. I want to know whether it was decided that it would be taken up after the other business of the house is over.

**Dr. Ram Subhag Singh :** We will convey your objection to the hon. speaker.

**Shri Madhu Limaye :** My motion must be taken up after the motion of Shri prakash Vii Shastri. It is always taken up at 5:00 p. m.



**उपाध्यक्ष महोदय :** वरु आपके निवेदन पर स्थगित किया गया था। हम इसके लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। हम इस पर पांच बजे विचार करेंगे, इस समय नहीं।

**Shri Randhir Singh :** The people of Nagaland are peace loving. It is not true that the people of Nagaland are revolutionists I wish for the success of the peace mission. That area needs a great deal of improvement. There are only three roads. Arrangements for doctors, Post and Telegraph offices should be made there immediatly because that area is adjacent to the border.

Some of their areas have gone to Assam, Manipur etc. Those areas should be given back to them.

Their demand to appoint a separate Governor should carefully be considered.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सामान्य चर्चा नहीं है और मैं इस पर एक मिनट भी वृद्धि नहीं कर सकता। (अन्तर्बाधाएँ)

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** मैं सरकार की ओर से सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि स्वतन्त्र और न्यायोचित चुनाव के लिये यथा सम्भव कार्यवाही की जायेगी और इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हों। (अन्तर्बाधाएँ) राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सब सुझाव विचारधीन हैं (अन्तर्बाधाएँ)

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि नागालैंड की विधान सभा में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

The motion was adopted

**कुछ माननीय सदस्य ++**

**उपाध्यक्ष महोदय :** सब सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब तक आप स्थान ग्रहण नहीं करेंगे मैं किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कार्य मन्त्रणा समिति ने इसके लिये समय निर्धारित किया है। हमने सभा का कार्य 8 बजे तक समाप्त करना है। यदि सभा इस विषय पर समय में वृद्धि करना चाहती है तो उस बारे में आवश्यक कार्यवाही मन्त्री महोदय कर सकते हैं। मैं जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं हूँ।

**डा० राम सुभग सिंह :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यदि चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं।

++ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.



उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री कृष्णमूर्ति को पहला अवसर दूंगा। यदि संशोधन अनौपचारिक है तो कठिनाई नहीं होगी और उन्हें दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : In my opinion instead of speeches the suggestions of the hon. Members in the form of questions should be allowed.

The Minister should note those suggestions and he should give a reply to them.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस सुझाव का पालन किया जाये तो यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : आपने मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहा था और उस पर मत विभाजन भी किया गया था। क्या आप उसे समा की कार्यवाही से निकाल देगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब खण्डों पर चर्चा करेंगे :

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करता हूँ।

नागालैण्ड के पांच वर्ष बाद भी हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारा पूर्व नागालैण्ड से सम्बन्ध नहीं है।

हमारा केवल तुएन सांग जिले से सम्बन्ध है। इस जिले में कोई सीधा चुनाव नहीं हुआ है। वहां सरकार को 10 वर्ष के अन्दर आवश्यक परिवर्तन के अधिकार दिये गये हैं। वहां का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है अतः वहां लोगों में सीधा चुनाव करने के लिये विश्वास किया जाना चाहिये। यदि सरकार तुएनसांग जिले को दूसरे दो जिलों के समान लाना चाहती है तो उसे वहां अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि ऐसा सब 12 स्थानों के लिये नहीं होता तो कम से कम उन स्थान के लिये किया जाना चाहिये जो स्थान सरकार बढ़ा रही है। सरकार को यह बताना चाहिये कि ऐसा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : तुएन सांग जिले के निवासियों के अनुरोध पर ही यह विशेष प्रबन्ध किया गया है। ऐसी व्यवस्था 10 वर्ष या उससे अधिक समय के लिये की गई है। 10 वर्ष के पश्चात् वहां सीधे चुनाव किये जायेंगे। ऐसा केवल सीमित समय के लिये है। उसके पश्चात् तुएन सांग जिले के निवासियों का समान दर्जा होगा, स्तर होगा और वे शेष नागालैण्ड की भांति अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Glause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added in the Bill.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ ;

“कि विधेयक को पारित किया जाय ।”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : नागालैण्ड के दौरे से हमने अनुमान किया कि नागालैण्ड भारत का अभिन्न अंग है । आज राज्य को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । राज्य का कोई पृथक राज्यपाल नहीं है और राज्य को कानून और व्यवस्था के बारे में अधिकार नहीं दिये गये हैं । सरकार द्वारा 1956-57 में की गई सैनिक कार्यवाही के कारण अभी भी नागालैण्ड के नागरिक सरकार के प्रति विद्रोही हैं । हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि राज्य सरकार को विद्रोही नागाओं सहित सब लोगों का समर्थन प्राप्त हो सके । राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था के अधिकार देकर हमें राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ाना चाहिये उनके लिये अलग राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिये । मनीपुर और आसाम से जुड़े हुए क्षेत्रों को नागालैण्ड राज्य में शामिल किया जाना चाहिये ।

भारत सरकार को नागालैण्ड के 20,000 बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी दिलाने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये । निराशा के कारण ये बेरोजगार व्यक्ति विद्रोही हो गये हैं । इन बेरोजगार व्यक्ति विद्रोही हो गये हैं । इन बेरोजगार व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न किये जाने चाहिये । सरकार तब ही विद्रोही नागाओं और बेरोजगार युवकों के मन को जीतने में सफल होगी । यह समस्या राज्य सरकार को अधिक अधिकार देकर हल की जा सकती है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की हर तरह से सहायता करनी चाहिये ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The people of Nagaland are peace loving. If some of the people have become hostile it is because of our enemies being active there and due to the propoganda of christianity among them. It is, therefore, necessary that development work may be carried on in that State so that it may be brought at par with the rest of the country. Means of Communications should be developed there and improvement in education should be made in the State. Their boundry problem should be solved. Hostile elements are still there. Government should exercise vigilance against anti-national elements.

One of the main problems in the State is of Tribals, which should be solved. The peace mission has only created complications. Pakistan and China are doing great harm to us on our borders. More and more improvement should be made in Nagaland. In addition to it we should be very careful about hostile elements.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Nagaland is Switzerland of India. Entry into Nagaland is still restricted. During the last three years only three Cabinet Ministers visited Nagaland. It is necessary to obtain for visiting Nagaland. The Government should withdraw this permit restriction and Nagas should be provided all facilities for development.

In principle, every State should have a separate Governor. But this cannot be done in case of Nagaland till the situation in Nagaland becomes normal. Government of India should immediately appoint a Commission to settle the border dispute between Nagaland and Assam.

It is wrong to believe that all the people of Nagaland are with us. There is an extremist section in Nagaland which believes in violence and wants to set up an independent state. Our Security Forces have done a praise worthy work there, but it is not merely a military problem but it is a political problem also and we have to settle it at political level as well. There should be exchange of people. That is the only way to solve the problem.

The role of Peace Mission is very dangerous. It tries to equate the security forces with the underground Nagas. It is not fair and Government should bid farewell to this Mission. Government should have direct talks with the State Government and every effort should be made to make it more and more effective. With these words I support the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे नागालैंड के एक ही दौरे के आधार पर शान्ति मिशन के कार्य की आलोचना न करें।

Shri Kanwar Lal Gupta : You may have your own opinion but you should come down to your seat before expressing your opinion.

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हों तो वह इस बात का ध्यान रखे कि वह कोई ऐसी बात न कहें जो आगे जाकर झूठी साबित हो।

श्री रा० बरूआ : (जोरहाट) नागाओं को लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में आस्था है। उनकी प्रतिक्रियाओं को अपने स्तर से जांचना गलत होगा।

यह विधेयक लोकतन्त्रात्मक भावना के अनुकूल है। पिछले कुछ महीनों में नागालैंड की स्थिति में सुधार हुआ है मुझे आशा है कि आगे भी इसकी स्थिति में और सुधार होगा। अतः सरकार को उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो भारत के साथ एकता के लिये प्रयास कर रहे हैं।

सीमा विवाद को अधिक तूल नहीं दिया जाना चाहिये। यह मामला आसाम और नागालैंड सरकार के बीच का है और दोनों राज्यों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है और वह दिन दूर नहीं जबकि दोनों राज्यों का यह मामला हल हो जायेगा।

जहाँ तक संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि आसाम और नागालैंड और नागालैंड और शेष भारत के बीच संचार सुविधाओं में शीघ्र

सुधार हो अन्यथा एकीकरण की सभी बातें और आन्तरिक कठिनाइयों को दूर करने की सभी बातों का महत्व नहीं रह जाता ।

मैं सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने लिये बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि नागालैण्ड सरकार को अपने नागरिक की भलाई के लिये भारत सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी ।

**Shri S. M. Joshi (Poona) ;** I support this Bill whole-heartedly The Security Forces in Nagaland are doing a praise worthy job. They must be congratulated for handling the situation so well.

There is a feeling in Nagaland that we consider them to be outside India and it is why we do not visit them. This feeling should be removed by arranging frequent visits to that State. In that case they will feel that we are taking great interest in them. It is correct that Nagaland is Switzerland of India. We should give full support to that State. It is also necessary to strengthen the hands of the State Government. The Central Government should consult only the State Government and none else.

**Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh) :** I welcome the Bill. I agree with Shri S. M. Joshi that we should familiarise ourselves with the feelings of the people of Nagaland. Since it has been a neglected area for quite a long time it is necessary that to undertake development works there. After independence we have tried to respect their feelings. It is not fair to doubt the loyalty of the christians and Muslims. They are two essential parts of our culture. Doubting their loyalty will create only bitterness. Nagas should be given the assurance that we consider them to be a part of our country and we want to solve their problems through peaceful means. This is the only way to win their hearts.

**श्री मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) :** यदि सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करती है जिसके अन्तर्गत तुएनसांग के लोग विधान सभा के लिये अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते हैं और उनके लिये विधान सभा में 20 स्थान हो, तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह विधेयक उचित दिशा में है ।

भारत सरकार ने नागालैण्ड की जनता की मदद बड़ी देरी से की है । सरकार को नागालैण्ड की समस्याओं पर विचार करते समय मनीपुर की जनता की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वह पड़ोसी राज्य है । जब एक भाग को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो दूसरे भाग को उससे वंचित नहीं किया जा सकता ।

[ श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए ]  
Shri R. D. Bhandare in the Chair

कुछ माननीय सदस्यों ने नागालैण्ड और मनीपुर का भी दौरा किया । उन्होंने मनीपुर के लोगों की इच्छाएँ और आकांक्षाओं के विरुद्ध बातें भी कीं । यह बात अशुचित है । मनीपुर की जनता ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया है । अतः विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहूँगा कि सरकार को पूर्वी प्रदेश की समस्या को समूचे रूप से विचार करना चाहिये, अलग अलग से नहीं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। हम नागालैंड में लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम नागालैंड की जनता को सब लोकतान्त्रिक अधिकार देना चाहते हैं। इस आशय से कि वे सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें उनके प्रतिनिधियों की संख्या छः से बढ़ाकर बारह की जा रही है। मुझे आशा है कि सरकार नागालैंड के राज्यपाल को यह बतायेगी कि वह उन्हें समानता का दर्जा दे और उन्हें सभी लोकतान्त्रिक अधिकार दे।

श्री क० लक्ष्मा : (तुमकुर) नागालैंड देश का सामरिक महत्व का भाग है अतः इसकी पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिये। सरकार द्वारा सामरिक महत्व के स्थानों की रक्षा न किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को विदेशों के दबाव में आना पड़ता है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की उचित तरीके से रक्षा की जानी चाहिये। इसके लिये हमें नागालैंड से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना चाहिये। वहाँ पर सड़कों का विकास नहीं किया गया है। वहाँ पर डाक-खाने तक भी नहीं खोले गये हैं।

विद्रोही नागा नेता भारत के विरुद्ध नहीं था। वह समूचे दल को इकट्ठा रखना चाहता था लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। भारत सरकार मामले की जांच करने और वहाँ की जनता की रक्षा करने में असफल रही। हिमालयवर्ती क्षेत्र के लिये सरकार को बृहद परियोजनाएँ तैयार करनी चाहिये। ऐसा करना हमारे समस्त देश के हित में होगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It appears to be very irrelevant to keep Nagaland still under Ministry of External Affairs. When all the States are under the Ministry of Home Affairs, I do not see any reason in keeping it still under the Ministry of External Affairs. It should be transferred to the Home Ministry.

Several years have passed since Government sent army to Nagaland for establishing peace, but it has not been successful in establishing peace in that area. It appears that army has not been given free hand. Government should not show any leniency to anti-national elements and the army should be given full authority to deal with them.

So far as the question of the name of this State is concerned, its name should be changed from 'Nagaland' to 'Naga Pradesh'. Foreign Missionaries are engaged in anti-national propoganda in that area. The people in that area are mostly uneducated. In order to keep their feelings alive it is necessary that institutions like Arya Samaj and Rama Krishna Mission are allowed to function there. Restrictions should be imposed on the propogation of anti-national feelings.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य नागालैंड का दौरा करें ताकि वे वहाँ की समस्याओं को समझ सकें। नागालैंड के लोग भी उनके दौरों का स्वागत करेंगे क्योंकि वहाँ के लोग अपने को भकेला अनुभव करते हैं। सरकार की नीति सदा शान्ति पूर्ण और मित्रता पूर्ण और नागालैंड की जनता के हृदय को जीतने की रही है। लेकिन हमारी नीति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन यह खुशी की बात है कि हमारी नीति किसी सीमा तक ठीक सिद्ध हो चुकी है। हमारी इसी नीति के ही कारण कुछ सीमा तक शान्ति तथा स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसी के परिणामस्वरूप नागा जनता में फिर से राजनीतिक विचार उत्पन्न

हो गये हैं। नागा समस्या को हल करने के लिये यह उचित दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है।

यह भी कहा गया है कि हमें राज्य सरकार की मांगों पर विचार करना चाहिये और उसके हाथ मजबूत करने के लिये हमें सहयोग प्रदान करना चाहिये। वास्तव में हमारी यही नीति रही है। हम नागालैण्ड सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं और उनकी सहायता के लिये यथासम्भव कार्य करना चाहते हैं ताकि वे लोग अनुभव करें कि वह उनकी सच्ची और प्रतिनिधि सरकार है और जो कुछ भी किया जाना है वह केवल उनके द्वारा ही किया जाता है।

राज्यपाल की अलग नियुक्ति और सीमा निर्धारण आदि के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय नहीं है। इस समय वहां स्थिति असाधारण हैं और इस क्षेत्र में शान्ति नहीं है। जैसे ही वहां सामान्य स्थिति और शान्ति स्थापित होगी इन समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

नागालैण्ड में विकास और वहां के लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में भी सवाल उठाया गया था। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस क्षेत्र में नागाओं के लिए कुछ विशेष कार्यवाही की जानी चाहिये।

गत बीस वर्षों में अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि योजना आयोग से मिल चुके हैं। वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। लोगों को रोजगार देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमें आशा है कि कुछ वर्षों के बाद हम सफल हो जायेंगे।

जहां तक आन्तरिक मामलों का प्रश्न है उन पर विचार हो रहा है। हम विचार कर रहे हैं कि लोगों के वहां पर जाने की शर्तों को उदार बनाया जाये। कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब लोग वहां जाकर शोषण करने लगते हैं। वहां के लोग पिछड़े हुए हैं। बाहर के लोगों के वहां बस जाने से वहां के लोग उन्नति नहीं कर सकेंगे। ऐसा भय वहां के लोगों के मन में है। इसलिये यह व्यवस्था है और यह अस्थायी तौर पर है। कुछ वर्षों में जब नागालैण्ड का विकास हो जायेगा, तो यह शर्तें हटा दी जायेंगी। अब भी हम लोगों के वहां जाने पर लगे प्रतिबन्धों को कम करने पर विचार कर रहे हैं।

कुछ समय पूर्व नागालैण्ड में कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने गड़बड़ की थी। अब वे वहां नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां के सभी ईसाई देशद्रोही हैं। वैसे वहां पर अब भी चार पांच धर्म प्रचारक हैं। उन्हें राज्य सरकार के कहने पर वहां रहने दिया गया है। वे राजनैतिक गतिविधियों में व्यस्त नहीं हैं। वे ईसाई हैं, इसलिये उन्हें देशद्रोही कहना गलत है। तुएनसांग के विधायकों के चयन के बारे में वर्तमान व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है। इसमें उचित समय पर परिवर्तन कर दिया जायेगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रश्न किया है कि नागालैण्ड के मामले अभी तक वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन क्यों हैं। यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। वास्तव में नागा लोगों की यह मांग थी और सरकार ने इसे स्वीकार



किया था। वैसे अब स्थिति में अन्तर हो गया। नागालैण्ड की सरकार सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों से अलग से व्यवहार करती है।

**Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) :** Shri Lal Bahadur Shastri has given an assurance to this effect in the House.

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** यह मामला विचाराधीन है। इस मामले में हमें राज्य सरकार को सहमत कराना है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** नागालैण्ड के नाम का प्रश्न भी उठाया है। इस बारे में हमें इसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। वहाँ के लोगों ने इसी नाम की मांग की थी। जैसे मद्रास का नाम वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार तमिलनाडु रख दिया गया है।

मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने वहाँ पर तैनात सुरक्षा सेना के कार्य की सराहना की है। इस सम्बन्ध में एक करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हैं। जब करार का उल्लंघन होता है, सुरक्षा दल उचित उपाय करता है। गैर-कानूनी गतिविधियों को दबाने का उन्हें पूरा अधिकार है।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है:—

‘कि विधेयक को पारित किया जाये’

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted**

## भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

“कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अंग्रेत संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

इस विधेयक का उद्देश्य रंग रोगन, एल्यूमिनिम, और मोटर गाड़ियों के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को लागू करना है। प्रशुल्क आयोग के अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण उसकी सिफारिशें प्राप्त नहीं हो सकी थीं। आयोग की इन तीन उद्योगों पर रिपोर्ट, सरकार का संकल्प तथा जारी की गयी अधिसूचनाएं पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। माननीय सदस्यों ने इनका अध्ययन कर लिया होगा। प्रशुल्क आयोग की स्थापना 1952 में प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गयी थी। इस आयोग का मुख्य कार्य संरक्षण और मूल्य सम्बन्धी जांच तथा पुनरीक्षण

करना है। यह उद्योगों का संरक्षण करता है। आयोग संरक्षित उद्योगों के कार्य पर निगरानी रखता है और देखता है कि वे उद्योग अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। यह संरक्षित उद्योगों के उत्पादों की किस्म न घटे, उनके मूल्य न बढ़ें आदि बातों का भी ध्यान रखता है। इसे व्यापक राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना होता है।

अब मैं सम्बन्धित उद्योगों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। रंगरोगन एक ऐसा ही उद्योग है। इसे 1955 प्रथम बार संरक्षण दिया गया था। यह 10 वर्ष के लिये था। 1964 में इसे 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया और फिर इसे एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। इस उद्योग में तैयार रंगरोगन और आधे तैयार रंगरोगन आते हैं। देश में तैयार माल से अधिकांश उपभोक्ता सन्तुष्ट हैं। उद्योग देश की मांग को पूरा करने की स्थिति में है और अन्य देशों की प्रतियोगिता का भी सामना करने में समर्थ है। आयोग ने सिफारिश की है कि संरक्षण की अवधि 31 दिसम्बर, 1968 के बाद बढ़ायी न जाये। परन्तु इसके बारे में समय-समय पर निरीक्षण जारी रहना चाहिये।

आधे तैयार रंगरोगनों को संरक्षण देने की प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है। इस बारे में आयोग ने कीमतें न बढ़ाने की भी सिफारिश की है। सरकार ने संरक्षण सम्बन्धी आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस सम्बन्ध में विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है। यह संरक्षण 31 दिसम्बर, 1971 तक करने का प्रस्ताव है।

एल्युमिनियम उद्योग को 1949 में पहली बार संरक्षण दिया गया था। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। अन्तिम जांच 1964 में किया गया था। आयोग ने अब तीन वर्ष के लिये संरक्षण अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

मोटरगाड़ी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग ने प्रथम रिपोर्ट 1953 में दी थी। तब ही से यह एक सुरक्षित आयोग चला आ रहा है। परन्तु समय समय इस में संशोधन होता रहा है। आयात पर कड़े प्रतिबन्धों की नीति के फलस्वरूप गत वर्षों में मोटर गाड़ियों का आयात बहुत कम हुआ है। निर्यात बढ़ गया है।

प्रशुल्क आयोग ने अपनी वर्तमान रिपोर्ट में सहायक पुर्जों आदि पर आरंत्तगात्मक दरों के हटाने और मोटर गाड़ी उद्योग को संरक्षण जारी रखने की सिफारिश की है। इस बारे में समय समय पर जांच की सिफारिश की गयी है। सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है :

इन उद्योगों के बारे में आयोग ने कुछ और भी सिफारिशें की हैं। उन पर किये गये निर्णयों को संकल्पों में घोषित कर दिया गया है। इसे सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यवाही कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।



सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

श्री शिवचन्द्र भा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि विधेयक को 15 मार्च, 1969 तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।”

Shri Panca Lal Barupal (Ganganagar): Sir, I want to draw your attention to a difficulty being faced by us. We are finding it difficult to get emergency passes for gallery for our guests who come from outside. We are asked to perform many formalities before passes are given to us. It is a general complaint of members. It should be looked into.

Mr. Chairman: I will convey it to the hon. Speaker.

श्री लोचो प्रभु (उदीपी) : मेरे विचार में प्रशुल्क आयोग एक फजूल निकाय बन कर रह गया है। वास्तव में वित्त मंत्रालय पूरा नियंत्रण रखते हुए है। यही मंत्रालय आयात और निर्यात पर नियन्त्रण करता है। मैं प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हूँ। प्रशुल्क आयोग वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण रखता है। परन्तु आप देखेंगे कि वस्तुओं के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। क्या इस प्रकार का संरक्षण ठीक है। माननीय मंत्री ने बताया नहीं कि आयोग ने कैसे और किन उद्योगों की कीमतों को कम स्तर पर बनाये रखा है? मोटरगाड़ियों के बारे में तो कीमतें चार गुना तक बढ़ गयी है। इस मामले में प्रशुल्क आयोग अपने कार्य में असफल रहा है।

मैं प्रशुल्क आयोग को समाप्त करने की मांग नहीं करता परन्तु मैं तो चाहता हूँ कि इसका ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिये। मेरा दल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा चाहता है और प्रशुल्क आयोग का भी यही उद्देश्य होना चाहिये।

उद्योगों के संरक्षण के लिये 3 वर्ष की जो अवधि रखी गयी है वह नितान्त रूप से अपर्याप्त है। इस अवधि में कोई उद्योग अपनी प्रगति दिखा नहीं सकता। मेरा अनुरोध है कि यह अवधि वर्ष 1975 तक होनी चाहिये। उद्योगों की भी यही मांग है।

रगरोगन को दो वर्गों में रखा गया है। तैयार माल तथा अघा तैयार माल। इस बारे में मेरा निवेदन है कि वर्तमान शुल्क दरों में संशोधन किया जाये। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति कुछ समय से खराब चली आ रही है। उत्पादकों को अपना व्यय पूरा करने के लिये भी पर्याप्त आय नहीं हो रही है। यह उत्पादन शुल्क के कारण है। अतः सरकार को उत्पादन शुल्क कम करना चाहिये।

मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में सरकार को ध्यान से विचार करना चाहिये। जीपों के उत्पादन में प्रति वर्ष कमी होती जा रही है। वाणिज्यिक प्रयोजनों की मोटर गाड़ियों की उत्पादन संख्या में भी कमी होती जा रही है। हमारे देश में उत्पादन शुल्क की मात्रा बहुत अधिक है। सरकार को इनमें कमी करनी चाहिये।

हमारी सरकार ने आयात पर भी बहुत शुल्क लगा रखे हैं। यदि यह राजस्व शुल्क है तो यह 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत क्यों नहीं होती? अवमूल्यन के फलस्वरूप यह स्वतः ही बढ़ गयी है। इस प्रकार हमारे देश में मोटरगाड़ियों की कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इन के मूल्यों में 25 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये। फिर पुरानी मोटर गाड़ियों के लिये फालतू पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें आयात करना पड़ता है। इन पर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के लिये राजस्व एकक करने का कार्य नहीं करना चाहिये।

श्रीमती तारा सप्रै (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं मोटर गाड़ी उद्योग में यात्री कारों के बारे में कहना चाहती हूँ। भारत में यह एक काफी पुराना उद्योग है। यह 1957 से एक संरक्षित उद्योग है। 1960 में एक समिति ने सिफारिश की थी कि गाड़ियों में दोष होते हुए भी उन्हें फ़ैक्टरी से सड़क पर भेज दिया जाता है।

फिर सरकार ने एक मोटर कार गुण-प्रकार जांच समिति नियुक्त की थी। लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में निर्मित कारों की किस्म में गिरावट आ गयी है। कारों के बारे में बहुत शिकायतें हैं। नयी कारों में भी खराबियां पायी जाती हैं।

{ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए । }  
{ Shri Vasudevan Nair in the Chair }

कार उद्योग वाले इन दोषों के लिये फालतू पुर्जे बनाने वालों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब लगभग सभी पुर्जे देश में ही तैयार हो रहे हैं। इसलिये सहायक उद्योगों के सहयोग से परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

एक अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। उत्पादक कहते हैं कि यह सरकार द्वारा कर आदि बढ़ा देने के कारण है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार को छोटी कार सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित करना चाहिये। इससे कार के मूल्यों में कमी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं समझ नहीं पा रहा कि मोटर गाड़ी उद्योग को क्यों संरक्षण की आवश्यकता है? आज कारों की कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। सरकार के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। मेरे विचार में तो यह उद्योग के मालिकों के लाभ के लिये अधिकाधिक लालच के कारण हैं। फिर कारों की किस्म घटती जा रही है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग बनायें जो मोटर गाड़ियों के मूल्य ढांचे पर विचार करे और कार के मूल्य कम करने के प्रश्न पर अपने सुझाव दें।

मैं इस आयोग को और संरक्षण देने के विरुद्ध हूँ। विदेशों में कारों की कीमतें बहुत कम है। फिर यहां पर यह क्यों महंगी है।

सरकारी क्षेत्र में कार बनाने के प्रस्ताव का क्या बना? बड़े-बड़े उद्योगपति इस सम्बन्ध में बाधा खड़ी करते रहेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : भारतीय प्रशुल्क आयोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। यह हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। इसी के फलस्वरूप हमारे उद्योग प्रगति कर रहे हैं। इस बारे में मत भेद है कि मोटरगाड़ी उद्योग को संरक्षण दिया जाये अथवा नहीं। इस बात से सभी सहमत है कि गुण प्रकार में गिरावट नहीं आनी चाहिये। हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा स्थानीय बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के बारे में निर्णय करना चाहिये। हमें देश के उद्योगों को अधिकाधिक विकसित करना है। उनके आयात को कम करना है ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। फिर वस्तुओं के गुण प्रकार का ध्यान रखना है। जापान की कारें बहुत सस्ती हैं और उनकी विश्व में मांग है। हमें अपने उत्पादों में सुधार करना है और उनके मूल्य कम करने हैं।

भारतीय प्रशुल्क आयोग सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देता है। इस आयोग को देश के उत्पादों के गुण प्रकार का स्तर बनाये रखने के लिये सक्रिय रहना चाहिये अन्यथा हमारे देश के उत्पादों की साख जाती रहेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : The aim of this Bill is to provide protection to certain industries and to withdraw the same from others. I want that this protection should be provided keeping in view the interests of consumers and not those of big industrialists.

It is very unfortunate that the prices of cars are going up every year. This trend is there for the last two years. The worst part is that the quality of cars is also going down. It is obvious that the profit of manufacturers is going up and the consumer is not being cared for? This matter should be inquired into. I support this demand of Shri Banerjee. We know that the quality in other countries is being maintained. It shows the failure of our Government.

Secondly, no reasons have not been given for continuance of protection to certain items which no longer require it while in case of other items which still need protection it is being withdrawn. Now the prices of items on which protection is being withdrawn, will shoot up. Government should assure that, that will not happen. I want that the interests of consumers should be the uppermost before Government while making a decision.

The demand for a cheap small car is a long standing one. It should be expedited so that we may get a car at a cheap rate.

श्री राजाराम (सलेम) : सरकार इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक सत्र के अन्तिम दिनों में लाती है। यह जल्दी में पारित कराया जाता है। सरकार कारों के उद्योग को संरक्षण दे रही है परन्तु इनका गुण-प्रकार घटता जा रहा है। यह स्थिति हमारे देश में ही है। अच्छा हो यदि कारों के आयात की अनुमति दी जाये। अन्य देशों में कारें बहुत सस्ती हैं। इस संरक्षण के द्वारा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रही है।

सरकार रंग रोगन को भी संरक्षण दे रही है। परन्तु सरकार को इस बारे में मूल्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में हथकरधे वालों को रंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस विधेयक के द्वारा सरकार कुछ वस्तुओं पर प्रशुल्क समाप्त करके राजस्व बढ़ा रही है। इससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होगा। रंग रोगन को संरक्षण देने से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ होगा। सरकार को छोटे लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिये।

प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में आंकड़े दिये हैं। परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं। इसका अर्थ है कि ठीक आंकड़े एकत्र नहीं हुए हैं। यदि छोटे उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े वास्तव में अधिक हैं तो संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लाइसेंस विभाग में तालमेल होना चाहिये। लाइसेंस दिये जाने के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

एल्यूमिनियम की कुछ वस्तुओं को अब भी संरक्षण प्राप्त है और उसी पर शुल्क लिया जा रहा है। क्या आपने एल्यूमिनियम की इन वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है? इस बारे में पहले अनुमान लगाया जाना चाहिये।

मोटर गाड़ियों पर संरक्षण से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ होगा। मैं प्रशुल्क का विरोधी नहीं हूँ परन्तु इस पर पहले अच्छी तरह विचार कर लिया जाना चाहिये।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए }  
{ Shri R.D. Bhandare in the Chair }

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : हमारे देश में सरकार ने कुछ ही लोगों को कार बनाने का एकाधिकार दे रखा है।

.....हमारे देश में तीन प्रकार की कारें अर्थात् हिन्दुस्तान एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टैंडर्ड कारें बनाई जाती हैं। किन्तु केवल तीन ही व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा किसी अन्य व्यक्ति को कार बनाने की अनुमति न देने और सरकारी क्षेत्र में स्वयं कारों का निर्माण न करने की सरकारी नीति के फलस्वरूप कार-कर्ताओं को दुगुने मूल्य पर कारें खरीदनी पड़ती हैं और ये कार-निर्माता अत्यधिक मुनाफा ले रहे हैं। इसलिए सरकार को सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक छोटी कार परियोजना अवश्य आरम्भ करनी चाहिये और देश में एक या दो गैर-सरकारी निर्माताओं को कार बनाने के लाइसेंस देने चाहिए और इस क्षेत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन निर्माताओं पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए। उन्हें प्रति वर्ष कार का मॉडल बदलना चाहिए, परन्तु वे ऐसा नहीं करते।

जहां तक टायरों का सम्बन्ध है, देश में टायर बनाने के कई कारखाने हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देती है जो सराहनीय कार्य है। परन्तु वितरण पद्धति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और कोई मूल्य नियन्त्रण भी नहीं किया जाता। वितरण पद्धति में दोष होने के कारण बहुत-सी

कम्पनियों टायरों की कृत्रिम कमी पैदा करके उन्हें ऊंचे मूल्यों पर बेचते हैं और खुले-आम बेचते हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर-टायरों का मामला है। निर्माता लोग उन्हें कुछ इने-गिने व्यापारियों को देकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसीलिये इन टायर कम्पनियों पर नियन्त्रण होना चाहिए, विशेषतः वितरण पद्धति पर, ताकि टायर काले बाजार में न जाने पायें। ट्रैक्टर टायरों की कृत्रिम कमी के कारण एक तो किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती है और साथ ही उत्पादन को भी हानि पहुँचती है। इसलिये वितरण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी व्यापारियों को समान रूप से टायर मिलें ताकि किसानों को उचित मूल्य पर टायर मिल सकें और उनकी कृत्रिम कमी पैदा न होने दी जाये।

**Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) :** I do not support the Indian Tariff (Amendment) Bill, the provisions of which run contrary to the principles of industrialisation of the country through indigenous sources and opportunities to the foreign industrialists to make profits. The Bill mainly deals with three industries, namely, dye-Stuff, Aluminium and Auto-mobile and Auto-mobile Ancillary industry. The aluminium industry is not being touched, some changes are being made in the protection duty on the Dye-stuff Industry. I am not so much particular about these industries. But so far as the automobile industry is concerned, it has a very important role to play in the life of the country. We need it for our defence, transport and so many other purposes. The present position in respect of this industry is that it is being run by seven or eight private companies which are interested only in their profits and not in the development of the industry. It is, therefore, absolutely necessary for the Government to do something for its development and in the existing circumstances, the only course or way out to do so is to nationalise this industry and bring it into the public sector. This industry would not develop unless it is taken over by the Government. But they are inclined to do so.

The Bill is against the recommendations made by the Tariff Commission in respect of the automobile industry and automobile ancillary industry. They have recommended that the industry should continue to enjoy the benefit of the present scheme of protection. But the Bill seeks to discontinue the tariff protection. Similarly, the commission have stated in respect of the ancillary industry that it is an important adjunct of the main automobile industry and its development needs to be carefully watched and at a later stage some change should be effected in the duty levied on it. But the Bill seeks discontinuance of the tariff protection. Therefore it leaves no doubt that the Bill is going against the recommendations of the Tariff Commission.

About the handicaps in the way of the Car Industry and ancillary industry, the Tariff Commission has observed that its main handicaps are fragmentations, low volume of production and high prices, non-availability of raw materials even where indigenous sources are capable of supplying them and extensive tie-up through collaboration agreements. The Bill provides sufficient opportunity for the expansion of the foreign capital in the country. It encourages foreign collaboration rather than seeking industrial development of the country through indigenous sources. This is not a good thing. On the one hand the scheme drawn up for the industrialisation of the country is itself defective, is based on the capitalistic approach and not in consistent with the conditions of the country, on the other hand, the provisions of the Bill attract foreign capital in the country and pave the way for exploitation of the Indian markets.

I, therefore, suggest that the Bill should be circulated to elicit public opinion thereon. It should be withdrawn at the moment, and should be brought before the House for

consideration only after the recommendations of the Tariff Commission are considered carefully.

With these words I oppose the Bill.

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अधिकतर सदस्य मोटर-गाड़ी के सम्बन्ध में बोले हैं जिससे औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, न कि वाणिज्य मंत्रालय का। इसी प्रकार खाद्य उत्पादन तथा रबड़ टायरों का सम्बन्ध भी अन्य मंत्रालयों से है। कुछ सदस्यों ने प्रशुल्क आयोग के बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया है। परन्तु यह आयोग उद्योगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह आयोग संरक्षित उद्योगों की प्रगति की जांच करने का केवल अपना दायित्व ही नहीं निभाता है अपितु अन्य कार्य भी करता है। अपना दायित्व निभाने के लिए यह आयोग उत्पादन, बिक्री स्टॉक तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक समीक्षा भेजता है जिसमें संरक्षित क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा होती है। इस आयोग ने कई वस्तुओं के मूल्य ढांचों की फिर से जांच की है। आयोग बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है। प्रशुल्क आयोग का कार्य संरक्षित उद्योगों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा तथा जांच करना है।

आयोग ऐसे प्रत्येक उद्योग का, जो संरक्षण की मांग करता है अथवा जिसके बारे में उद्योग ऐसा समझता है कि उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए, विस्तृत सर्वेक्षण करता है और फिर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देता है।

} अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }  
} Mr. Speaker in the Chair }

प्रशुल्क आयोग केवल संरक्षित उद्योगों के बारे में ही समीक्षा तथा जांच नहीं करता बल्कि वह मूल्य ढांचे के बारे में भी गहराई से विचार करता है और तब किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचता है। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं सदस्यों की इन बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विक्रेता बाजार में किस्म की गिरावट की प्रवृत्ति हैं। यह उद्योग देश के सबसे बड़े उद्योगों में एक है, निर्माताओं से बार-बार कहा गया है कि उन्हें अपने मोटर-गाड़ियों की, जिन्हें वे हमारे लोगों को बेच रहे हैं, किस्म सुधारनी होगी और उम्मीद है जिस स्तर की आशा करते हैं उसके अनुरूप स्तर बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सरकार ने मोटर-कार क्वालिटी जांच समिति के प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् कुछ कार्यवाही की है। उदाहरणार्थ कारों की गारन्टी अवधि छः माहिने से बढ़ा कर 1 वर्ष कर दी गई है। सरकार कारों की किस्म पर कड़ी निगरानी रख रही है।

जहाँ तक मोटर-गाड़ी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का सम्बन्ध है, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों का रहना जरूरी है जो एक दूसरे के अनुपूरक तथा प्रतिपूरक हैं। इसलिए इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न जरूर करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों में उत्पादन तथा वस्तु किस्म में सुधार हो।



अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि 15 मार्च, 1969 तक विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।”

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मुझे इस सम्बन्ध में अब भी दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि मैंने मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि वह संरक्षण की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करें ताकि यह उद्योग अपनी स्थिति ठीक कर सके। लेकिन वह इस प्रश्न पर मौन रहे।

दूसरा अनुरोध मेरा यह था कि मोटर-गाड़ी उद्योग के सम्बन्ध में राजस्व शुल्क 50 से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंच सके क्योंकि यह राशि निर्माताओं को नहीं बल्कि कर के रूप में सरकार को मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी मेरे इस सुझाव को जो कि संशोधन में रखा गया है, स्वीकार करें।

**Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) :** The millionaires should not be given protection. They are trying to mislead the Congress by making false representations. They want to destroy the Congress, which was so dear to Mahatma Gandhi. As such they do not deserve any protection.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य के सुझाव मुझे मान्य नहीं हैं। हमें इस उद्योग पर पूरा यकीन है और मैं समझता हूँ कि वह तीन वर्ष में इतनी मजबूत हो जायेगी कि उसे फिर किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

जहां तक शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, यह काम वित्त मन्त्रालय का है और वह विभिन्न पहलुओं और वस्तुओं के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाता है। माननीय सदस्य को मालूम है कि अवमूल्यन पूर्व मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर 60 प्रतिशत शुल्क था और अवमूल्यन के पश्चात उसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए उसे और कम करने का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने संशोधन पेश नहीं किये हैं। इसलिए मैं विधेयक के खण्ड को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाये।”

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : अवमूल्यन के पश्चात् प्रभावी दर 40, 27½ है, किन्तु मद संख्या 66 (1) के सम्बन्ध में यह 40, 20 है। इस अन्तर का क्या कारण है? क्या दोनों प्रभावी दरें हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये दरें भिन्न भिन्न मदों के लिये हैं, एक के लिये 27½, दूसरी के लिये 20।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

‘कि विधेयक पारित किया जाये।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अगले कार्य पर विचार करने से पहले मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि सभा इसके बाद बिहार सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में विचार करेगी और तत्पश्चात् दो और विषयों पर विचार-विमर्श करेगी। संविधान (संशोधन) विधेयक पर हम कल चर्चा करेंगे।



## बिहार के संबन्ध में उद्घोषणा

### PROCLAMATION IN RESPECT OF BIHAR

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार के बारे में जारी की गई दिनांक 29 जून, 1968 की उद्घोषणा को 25 जनवरी, 1969 से आरम्भ होने वाली 6 मास की अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

जैसा कि हम सभी को विदित है कि राष्ट्रपति की यह उद्घोषणा 29 जून, 1968 को जारी की गई थी और राज्य सभा द्वारा 22 जुलाई को और लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1968 को उसका अनुमोदन किया गया था। इस उद्घोषणा की छः महीने की अवधि 24 जनवरी, 1969 को समाप्त हो जायेगी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहाँ जाकर सभी राज-नैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह सिफारिश की है जिसकी वह घोषणा भी कर चुके हैं कि वहाँ पर मध्यावधि चुनाव 9 फरवरी को आयोजित किये जायेंगे। इसलिए इस उद्घोषणा की अवधि बढ़ाना अत्यावश्यक हो गया है। स्वाभाविक है हम सभा से छः महीने की अवधि की अनुमति मांग सकते हैं। लेकिन सरकार का इरादा नहीं है कि अगले छः महीने तक वहाँ राष्ट्रपति का शासन जारी रखा जाये। इसलिए चुनावों के तुरन्त बाद वहाँ मन्त्रिपरिषद् बनेगी और यह उद्घोषणा लागू नहीं रहेगी।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से जो सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी उसकी दो चार बैठकें हुई हैं एक बार पटना, और कल और आज ही हम चार घंटे तक राज्य की समस्याओं तथा विधान सम्बन्धी कुछ बातों पर विचार-विमर्श किया विशेषतः कल और आज हमने बिहार की भूमि समस्याओं विशेषतः छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित तीन बहुत महत्वपूर्ण उपायों को मंजूर किया। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के तुरन्त बाद इस प्रश्न को अग्र्यनार्थ लिया गया और एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई जिसने इस समस्या पर विचार किया और सिफारिशों की जिनके आधार पर हमने एक विधेयक तैयार किया सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है और मुझे यकीन है कि उसके आधार पर राष्ट्रपति अधिनियम की घोषणा की जायेगी।

अलवत्ता, पिछले छ महीनों में बिहार के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विशेषतः बाढ़ की दुखद घटना का जो राज्य प्रशासन के लिए एक चुनौती थी और राज्य प्रशासन ने उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। स्वभावतः वहाँ विद्युत्-करण तथा कृषि-सुविधाओं की अधिक मांगें हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी समस्या है। वे और अधिक मंहगाई भत्ता आदि मांग रहे हैं। हमने मान लिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न फिर वित्त का आता है। इसलिए जब तक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय नहीं किये जाते उनकी मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता। निर्वाचित सरकार को सत्ताहृद होने के बाद इस सम्बन्ध में तुरन्त कुछ करना पड़ेगा।

हम चाहते हैं कि वहां जल्दी ही निर्वाचन हों और निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य में लोकतंत्र की पुनः स्थापना करने का दायित्व अपने ऊपर लें और लोगों को अपेक्षित कुशल और निर्दोष प्रशासन प्रदान करें।

**Shri Beni Shanker Sharma (Banka) :** Every party in the State is anxious to see that mid-term elections are held in a peaceful atmosphere. But the law and order situation in the State is very serious and subversive elements are emerging. Naxalite forces are raising their heads and the incidents of Kerala are being repeated there. Even the public property is not safe there. It is, therefore, absolutely necessary to take steps to bring normalcy in the State so that the elections could be held peacefully.

The Pakistani elements and the Chinese agents on our borders are acting in collusion with each other. I would, therefore, request the Home Minister to keep a strict watch on their joint activities in the border areas for it is these people who are at the back of all disorders in the State. Steps should be taken to see that these forces are checked and dealt with firmly so that normalcy could be restored in the State.

To-day a new party by the name of Shoshit Dal, founded and led by Shri Vindehwari Prasad has emerged in the State politics with a dangerous slogan based on casteism. They are creating communal tensions and arousing and spreading feelings of hatred among backward classes against the high caste people and this has vitiated the entire atmosphere in the State. The Home Minister should see that stringent action is taken against those who are making such virulent propaganda which is against the election laws.

As appeared in the Press the Aiyer Commission has asked Shri K. B. Sahay to give an explanation about his assets. It has been found that Shri Sahay was maintaining a personal account of Rs. 11 lakhs in the banks in addition to a fairly handsome amount deposited in the names of his wife and sons. But to our utter surprise, the Central Finance Department is playing the role of a mere observer and has not taken any action against him.

As regards education on the one hand, crores of rupees are being spent on Universities and Colleges there which are producing more graduates who are only adding to unemployment, and on the other hand, primary schools are being neglected. In rural areas the primary schools are being run in the open. Arrangements should be made to house them at least in Kachha buildings. Therefore steps should be taken to see that a certain percentage of the amount being spent on higher education is utilised in the construction of buildings for the primary schools.

As regards health, there are not enough hospitals in the State and there is dearth of doctors and most of the hospitals are without doctors. In my own constituency, Banka, there is a very old hospital which is without a doctor for the last six months. At present there is a lady doctor only. The hospital serves a large area of the State. Also, there is no electricity in this hospital. I would, therefore, request the Home Minister ensure that arrangements for such small things are made and inconvenience caused to the people is removed.

As regards irrigation, water is easily available in the tubewells for irrigation purposes and people have installed pumping sets. But they are not given power connections even though the power line passed through their fields, I have invited the attention of the Government to this matter in writing also. The Government should see that connections are given to agriculturists.

The condition of roads in Bihar is pitiable. Rural areas which constitute 80 percent the population of the State have been neglected. Most of the roads are 'Kuchha' and even jeeps can not run there. It is, therefore, necessary that in the next Fourth Five Year Plan, adequate attention is paid to roads in the State.

Bihar abounds in minerals but the Government have not taken steps to fully exploit them. The recent mineral survey conducted in the State has revealed that there are copper deposits in the Bhagalpur district. But the progress made in regard to its exploitation is very slow and even drilling operations have not yet started there. The Khetari Copper project which was scheduled to be commissioned in 1967 could not be completed so far and we are losing foreign exchange of the order of Rs. 16 lakh per day on this account. Since copper is greatly needed for the country, the matter should be expedited.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharaj-Ganj) ; At the very outset, I would like to invite the attention of the Government to security problem of the State. The law and order situation is deteriorating and life and property are not safe. The naxalite forces are raising their ugly heads endangering the security of life and property. It is necessary for the Government to take immediate steps to check their activities otherwise life would become unsafe.

There is acute poverty in the State. There are public undertakings in the State which absorb outside labour and that too at higher wages. The local people, who are almost on the verge of starvation do not get employment even at lower rates. It is most unfair to allow this State affairs to continue. In order to improve the economic condition of the people there it is necessary to give them more employment rather than doing so in the case of outsiders. These workers are going to other States in search of employment. There is ample scope for their employment in various factories and undertakings in the State and they have still to face unemployment. The Government should try to see that the people of Bihar are their due share in employment at least so far as unskilled jobs are concerned.

It is said that Bihar is rich in minerals. But most of the resources are in the hands of outsiders who do not belong to this State and all profit goes outside the State. The only thing left for us is wages and that too are being taken away. Like this.

So far as small scale industries are concerned, 238 training cum production centres were established in the State But a decision was taken in September, 1968 to close down 113 such centres. This decision was taken in view of their running at a loss. Have the Government considered why these Centres were suffering this loss ? This was all because of the inefficiency of the staff employed there. They were not fit enough for the job even then they were intrusted with it.

The work of Tirhut Canal has not yet been completed All the money allocated for the purpose has already been spent, with the result that the work of this canal has been stopped for the last one and a half years. It is high time that work of the canal be restored so that the people of the area could be benefitted. Electricity should also be supplied to farmers as per their demand for irrigation purposes as there is no shortage of electricity there.

I would now like to invite the attention of the House to a very important question relating to our borders with Nepal. China has constructed roads running parallel to our boundary on the northern border of Bihar in the Nepalese territory. Why this has been done ? Only with a view to supply arms and other war material in time of war. It order

to counteract this threat it is necessary for us to take retaliatory action. So we should also construct roads, lay railway lines and improve our transport and communication system in the border areas.

Smuggling on a large scale is going on, on our borders. Chinese goods in large quantities are being smuggled into the country particularly in the border areas. The trade agreement entered into with Nepal has also helped increase smuggling. It is necessary to do something to stop it.

With these words I support the motion.

**अध्यक्ष महोदय :** समय की कुछ सीमा तय होनी चाहिए वे लंग बड़ा सहयोग दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से चार माननीय सदस्यों तथा दूसरी ओर से भी तीन या चार सदस्यों ने बोलना है। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य 5,6 अथवा सात मिनट से अधिक न ले तो हम ठीक समय पर चर्चा समाप्त कर सकेंगे।

**Dr. Surya Prakash Suri (Nawada) :** With the appointment of advisors to the Governor, it was hoped that there will be a better administration in that area, but we find no change and these advisors also wasted their time in attending different functions as the earlier congress or S. V. D. Ministers used to do. These advisors also did nothing to improve the administration. The purpose for appointing the consultative committee was, therefore, defeated.

The hon. Members from the Opposition have been complaining that conversions is going in some parts of the country particularly in Chhota Nagpur. I agree and also want that it should be totally brought to an end. But it cannot be stopped by the Govt. as our Govt. is a secular one. Now, if we want that our countrymen should not go to a particular religion viz. the christianity, we should preach our own religion in such a way that they themselves do not like to be converted to Christianity. This is only the right and effective way to stop this sort of conversion. We should also try to find out the reasons why people are affected by these Christian missionaries, perhaps they donot know that even the foreign countries are much influenced by our scriptures like Geeta and Puranas. We should collectively work for stopping this conversion and that propaganda which is going on through 'read book'. But the administration should also be active stop those unruly people who, for their political motives, creat troubles in that area by inciting people against one another. The administration has to be vigilant about all that.

Now there is no scope for the M. L. As. to express their views in regard to the various grievances of the people of this State since there is no Legislative Assembly. Although the hon. Home Minister has heard us in the meetings of the Consultative Committee and we hope that he would take necessary actions, but I once again say that the conditions of different pilgrim hospitals is very grave. Particuly in Gaya, the condition of two Women's hospitals, and also one that for the men, is very pitiable. The roofs of the patients' rooms leak during rains there by causing great inconvenience and discomfort to the patients. The same is the condition in Nawada's Govt. Hospital. Owing to shortage of beds, patients are made to lay on the floor irrespective of their nature and intensity of pain or disease. I invite the administration to go and see the things themselves.

With regard to recovery of loans from the farmers, the administration is using very strict measures. The officers, accompanied by armed police, go to the farmers for

recovery of loans taken by them but if the farmers are found unable to pay the same, the officers take away the farmers' belongings, and put them into jails also. Farmers, as you know well, are not in a position to repay the loans owing to drought etc. during the last several years. No doubt, this time they have got a very good crop but first of all they will have to settle those of their loans etc. which they took during their last hard times. It is, therefore, necessary that the recovery of loan from these farmers should be stopped till the next Rabi crop is ready. The Govt. should adopt a lenient attitude in this regard.

Govt.'s attention has been drawn towards the grievances the Zamindars also. They have not received the compensation for lands for the last 15 years.

The specific point that I want to emphasise upon here is that the teachers should not be given the duties of presiding officers in the coming elections. We are opposed to it.

**Shri P. G. Sen (Purnea):** There have been many irregularities with regard to implementing the Education Department Rules in a minority school named Bhatte M. E. School. Finding the appointment of the Headmaster, not according to his own choice, the S. D. O. Education, created a troubles and stopped the payment to the teachers. Their payment was released only when they threatened to go on hunger strike. The significant aspect of this case is that case is that the pay of the teachers was, no doubt, drawn but it was not paid to them. Besides this, the management never cased for the Department rules and appointed teachers in that school. These facts can very well be verified by the hon. Minister. The poor Headmaster of that school has not received his salaries for the last two years. The S. D. O. has been having his own ways and he has threatened to set up an ad-hoc committee in place of the present management committee. The poor Headmaster is suffering for no fault of his. Similar is the case of the Headmaster in Purnea District School. He too has not received his 15 day's salaries. The admimistration should see to it and get him his payment.

These little things develop into havocs like hunger strike etc. The authorities do not make payments and the teachers on strike. Such things should be repeated.

Ours is an irrigated area and when the farmers do not get water at those high places, naturally they develop heartburning. But this time that area has been affected by heavy floods. Dr. K. L. Rao has also reported that the loss in Purnea area is the most. Therefore, the Govt. should provide some relief to the farmers by suspending the recovery of loans for some time.

**Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur):** We had hoped that on his arrival to this House, the present Home Minister would contribute a lot to the country's progress. Our country's democracy will be protected and new conventions would be established. But we have found that he wants to do everything with stick only.

After the last General Elections, the Congress made all out efforts to dislodge all non-Congress Governments. Bihar also has been their victims. Although the hon. Home Minister states that he has discussed the problems of Bihar with the Consultative Committee but we have found that he has never paid any heed to the advice of this Consultative Committee.

Whenever there is Governor's rule, we find nothing but excesses, atrocities and corruption. Nothing is secured in the way the authorities and the police are functioning.

My point is that a Governor's rule is never preferable to a people's Government. In the Governor's rule in Bihar, law and order situation is worse. The State Govt. employees



are demanding higher pays but the Govt. say that they have no money to pay ; although Govt. finds enough money for constructing big bungalows and also for appointing high ranking officers etc. Similar is the case with the teachers there. The Govt. has not cared to hold any inquiry into the incidents that took place in Muzaffarpur. The Congress has been looting and destorying the country for the last 21 years. They don't allow any non-Congress Govt. to flourish or establish in any part of the country

I want to appeal to the hon-Minister not to believe much in Governor's rule. It is never preferable to a people's popular Govt. We are not bothered about any party's rule, but certainly we want a stable Govt. But I am afraid, the Central Govt. never allow it. They are always misguided by their high officers in the Home Ministry.

Finally, I would request the hon. Minister to do something for the betterment of States under his rule. He should save the people from the fear of bureaucracy in the Governor ruled States, and he should not encourage or repeat Governor's rule after the next elections.

**श्रीकार्तिक उरांव (लोहारउगा):** मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का लागू होना देश में आपत्काल की स्थिति की प्रतिच्छाया होता है। इससे यह पता चलता है कि हम वहाँ प्रजातांत्रिक सरकार बनाने में असफल हैं। यदि मुझे अधिकार प्राप्त होता तो मैं तो इस अवधि को छः वर्ष के लिये बढ़ा देता क्योंकि सरकार अथवा प्रशासन वही अच्छा है जो वास्तव में अच्छा और सफल है। राजनैतिक दल तो बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त रहते हैं।

बिहार में राष्ट्रपति शासन के परिणाम स्वरूप निश्चय ही लाभ हुआ है। विशेष रूप से छोटा नागपुर में तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। रांची नगर में जहाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक भुंगियों आदि के कारण जंगल ही माल दिखाई देता था, अब वहाँ सब साफ हो गया है और वहाँ पार्क करने के सुन्दर स्थान बना दिये गये हैं। वहाँ के आदिवासियों के हितों के लिये भी काफी कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में पहले बड़े उपद्रव हुआ करते थे और आदिवासियों को लोग उपद्रवी समझा करते थे। परन्तु वास्तव में यह बात न थी। उन गरीबों को तो लूटा और शोषित किया जाता था।

छोटा नागपुर यद्यपि अनेक औद्योगिक समूह है परन्तु उनमें वहाँ के स्थानीय लोगों और आदिवासियों को रोजगार नहीं दिया जाता। वहाँ सभी व्यक्ति बाहर से भर्ती किये जाते हैं। माना कि ये राष्ट्रीय परियोजनायें हैं और वहाँ अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए परन्तु चपरासी से लेकर किसी ऊँचे पद तक सभी स्थान बाहर वालों से भरे जाते हैं। सभी शिक्षा संस्थानों में भी अध्यापक उत्तर बिहार के क्षेत्रों के हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के लोग भी शिक्षित हैं परन्तु उन्हें सेवा का अवसर नहीं दिया जाता। छोटा नागपुर का एक मात्र विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय घाटे में चल रहा है परन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिंचाई और परिवहन सुविधाओं के बारे में इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सभी ओर से यह क्षेत्र अपेक्षित रहा और किसी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में इसकी दशा सुधारने में रुचि नहीं दिखाई। जो कुछ सुधार हुआ है वह केवल इस

राष्ट्रपति शासन के दौरान ही भूमि वापस दिलाने, उधार लेन देन आदि बुरी बातों को रोकने हेतु कुछ कानून बनाये जा रहे हैं। अतः सरकार वही अच्छी है जो कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करे।

मैं निवेदन करूंगा कि सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र छोटा नागपुर और संथाल परगनों के लिये और अधिक धनराशि दे। यद्यपि वहां कई परियोजनाएं हैं परन्तु फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है वहां लोग बहुत गरीब हैं। हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य यद्यपि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का है परन्तु वास्तव में यह असंतुलन दूर नहीं हो सका है।

मविष्य में हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां किसी दल का बहुमत न हो वहां वहां सरकारें न बनाने दी जायें और वहां सीधे ही राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाये। उस राज्य में संयुक्त सरकार बनाने की अनुमति कभी न दी जाये। ऐसी सरकारें बुरी तरह असफल रही है। ऐसा करने से देश को बड़ा लाभ पहुंचेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहूंगा।

**Shri Ram Charan (Khurja):** Since his arrival in the Central Govt. Shri Chavan has made himself expert in two things firstly in imposing Presidents Rule, and secondly in crushing the Govt. employees' strikes.

The law and order situation has become very deplorable in Bihar under Presidents Rule. There are broad daylight murders and the people are not provided with police protection. Harijans are the main victims since they have neither any defender nor money. No body bothers to give them physical protection.

A large number of tribals and Harijans are changing their religions and adopting Christianity. Whereas the Congress Govt. have not been able to provide these people anything at all and as a result of which their condition is deteriorating day by day. The foreign missionaries are exploiting them and converting these poor people to Christianity. Thus conversion of the Harijans and the tribals is going on large scale.

Bihar is subjected to two horrible menaces-one is the drought and the other is floods. These calamities ruins villages together, either in floods or by drought. The Govt. have not set up any industry during the last 3 Plans for the last 20 years so as to enable the people of this State to get some employment. The result is that the labourers go to Assam, Bengal or U. P. etc. in search of employment. The Govt. have not taken any care of these poor people.

They have not completed the Gandak project so far. Had it been done the farmers could have so some irrigation facilities which they need most. Similary. different grants in aid are not made available to the Harijans and Adivasis. The officials misappropriate that money in between before it could reach those power people, These malpractices should have been checked atleast during this Presidents rule. I want to know why more money was not given for the welfare of the Harijans and the tribals ?

The Govt. Should, therefore, change their policy to bring in President's rule every now and then otherwise it would bring very bad results. If they continue this policy, they will be inviting communism in the country. I, therefore, request that instead of imposing Presidents rule, they should set a popular Govt. in Bihar.



There has been five cracks in Kosi embankment but after the inquiry only an overseer was suspended not those high officials, like Executive Engineers who had taken more bribes. Govt. have never implemented the recommended of any inquiry whether against certain act of corruption, some officer or some political party. I appeal that very strict action should be taken against such officers.

The Central Govt. although provided financial help to the Harijans and poor labourers who were badly affected by the Kosi floods but the officers did not pay the money to those poor people. They were beaten by the B. D. O. instead. The Govt. have not taken any action on the complaints received in this connection.

I, therefore, suggest that the Govt. should never impose Presidents rule in any part of the country, otherwise democracy will be put to peril. They should not forget the ideals of socialism. They should help the Harijans and the tribals as much as they can if they want to avoid communism and preserve nation's democracy.

**Shri Shiv Chandika Prasad ( Jamshedpur ) :** During the President's rule, the action taken by the Bihar Govt. in regard to the release of land to the great freedom fighter Shri Tana Bhagat and also to other Adivasi Comrades is very much appreciated. I congratulate the hon. Home Minister for bringing in a legislation in this regard. Now those people will get their land back.

It is quite true that nature has given all its blessings to Bihar ; and the Govt. too have set up a few big factories there ; and but it is very unfortunate that the per capita income in Bihar is the lowest in the country. All out efforts should, therefore, be made by all Governments, whether President; rule or a democratic popular Govt. to improve the economic condition of Bihar. For this purpose, although the Govt. have introduced the Tenancy Act in Chhota Nagpur under which they intend to bring agricultural reforms in that area. But in addition to this, it is also very necessary that atleast one tractor and one pumping set should be provided in each block. This would help increasing production particularly in Chotta Nagpur and Santhal Pargana.

Chotta Nagpur is in much need of minor irrigation and power facilities. The authorities have not paid proper attention towards this urgent necessity. Similar is the case in Jamshedpur. For Barhgosha area, they sanctioned an electric line, invited tenders, but the work on it has still not been started.

Likewise, the authorities constructed houses for Low Income Group people but they have not provided even the basic amenities that of water, electricity etc. I would request the Govt. to pay adequate attention towards this. Similarly more money should be given for providing more loans to the Adivasis of Chhota Nagpur and Santhal Pargana.

I would request the hon. Railway Minister to set up a "gumti" instead of an un-manned railway crossing in Telco area. The Bihar Govt. may kindly provide land to the railway authorities for this purpose,

Finally, I would like to mention that lawlessness and crimes are on continuous increase in Bihar. I agree that the authorities are taking necessary action in this regard, but more stringent measures are required to be adopted to deal with the situation, so that these cases of broad-day-light thefts and murders particularly in Jamshedpur area are stopped forthwith.

With the above words I express my thanks to you.

**Shri Kameshwar Singh (Khagaria) :** The hon. Home Minister has just now stated that Bihar had to face so many difficulties during the last 6 months. Let me frankly say that all these troubles were created by the Central Govt. itself. These were not god-given. They say that some rats caused floods in Kosi. But the fact is that the big officers were responsible for the cracks in Kosi. Whereas the big rats i. e. these big officers misappropriated the money, the Govt. suspended a small rat that is, an overseer in this behalf. No action was taken against those who were really corrupt.

The law and order situation in Bihar is deteriorating day by day since the imposition of President's rule there. The Home Minister claims that the situation has improved, but the fact is that many reactionary and anti-national forces have raised their heads. Life is not at all secure in that State. Even the Chinese element has got encouragement. In Khagaria Division the harvested crop of a farmer was looted in broad day-light. This all is going on under the nose of the authorities there.

The Govt. have been using very stringent measures in recovering loans from poor farmers in villages. On one hand the Govt. ask the farmers to increase production, but on the other hand, they are auctioning the cattle like oxen etc. of those farmers. Some of them have been arrested also. The result is that out of fear the farmers are hiding themselves in jungles and fields. The money meant for the development of villages is actually being spent on the development of the cities.

In so far as the question of supply of power is concerned, about 200 tubewells have been installed in Khagaria sub-division and Bakhri and Balia and power has not been supplied to them for the last six months. Even the existing tubewells are not being supplied power regularly. Instead of recovery of loan from the farmers Government should give compensation to them. The condition of hospitals is deplorable. Khagaria is backward area but there is no X-Ray Plant. A building of a T. B. hospital has been constructed but the hospital has not started functioning.

A lady had donated money for a hospital in Jamalpur, Khagaria sub-division with the condition that a lady doctor should be appointed in that hospital but the same has not been done so far.

The people of Khagaria have contributed for opening a college and they require some land for this purpose but Government is not taking action to acquire the same. Moreover teachers do not get their salaries in time which affects the education of children and Government is responsible for it.

Khagaria sub-division and Begu Sarai are backward areas of Bihar. In order to connect national highway of Saharsa with Maheshpur a road was approved and tender was also called and passed but further action has not yet been started. President's rule is responsible for it. The condition of other roads in these areas is also deplorable.

A Pakat-Dam was proposed to be constructed in Khagaria sub-division which had to provide irrigation facilities to lakhs of acres of land but no progress has been made in this respect. Similarly a Ghagri dam is essential for Beldaur but Government is paying attention towards it. Parvatta dam over river Ganga has not yet been repaired. Government will go on thinking while another flood would come.

A bridge in Sultanganj should be constructed as it is essential for the development of backward areas. Government should pay more attention towards these areas instead of paying special attention towards Delhi and other big cities.

गृह-कार्य मन्त्री ( श्री यशवन्त राव चव्हाण ) : मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात को गौरव की बात नहीं समझता । राष्ट्रपति शासन तो इस बात का द्योतक है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में असफल रहे हैं । परन्तु किसी न किसी प्रकार से शासन तो चलाना ही है और राष्ट्रपति शासन का यही प्रयोजन है । जब बिहार में प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया था तभी हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा । वहां पर स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और हमने वहां की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया है ।

सर्वप्रथम वहां पर कर्मचारियों का साहस बिल्कुल समाप्त हो गया था । हमने उनमें इस साहस को पुनः जागृत किया । कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विद्यार्थियों और पुलिस के बीच एक महीने में औसतन 30 भड़पें होती थी । परन्तु पिछले कुछ महीनों में विद्यार्थियों और पुलिस के बीच कोई विशेष भड़प नहीं हुई । सभी क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह ठीक है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण सिंचाई तथा देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से आरम्भ नहीं किया जा सका ।

यह कहना उचित नहीं कि राष्ट्रपति शासन ही बिहार में बाढ़ जैसी आपत्ति के लिये उत्तरदायी है ।

**Shri Kameshwar Singh :** It has happened because of their negligence. Two persons have been suspended for that.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक अलग बात है, यह हमारा कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाना है तो हम उसे दण्ड देने से हिचकिचाते नहीं । यदि बाढ़ आने के समय प्रशासन ने कोई लापरवाही की है तो मैं उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हूँ ।

कुछ माननीय सदस्यों ने दीर्घकालीन कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ सुझाव दिये हैं । मैं इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता । परन्तु शेष कुछ महीनों में जो कुछ सम्भव होगा, हम अवश्य करेंगे । माननीय सदस्यों ने जो अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं हम उनका ध्यान रखेंगे । यह ठीक है बिहार विकास कर सकता है । वहां बहुत से प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं । वहां पर कुशल प्रशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर है । दुर्भाग्य इस सम्बन्ध में अभी तक सफलता नहीं मिली है ।

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करता हूँ कि बिहार के राजनीतिक नेता उस राज्य को स्थायी, योग्य और कुशल प्रशासन दे सकेंगे जिससे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का राज्य के लाभ के लिये उपयोग किया जा सके ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार के बारे में जारी की गई दिनांक 29 जून, 1968 की उद्घोषणा को 25 जनवरी, 1969 से

आरम्भ होने वाली 6 मास की अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव पारित हुआ

The motion was adopted

निर्वाचनों का संचालन ( दूसरा संशोधन ) नियमों को रद्द  
किये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ANNULMENT OF CONDUCT OF ELECTIONS  
( SECOND AMENDMENT ) RULES.

श्री धोनिवास मिश्र ( कटक ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

“ यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन ( दूसरा संशोधन ) नियम, 1968, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1520 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 25 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, रद्द कर दिये जायें।”

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।

चुनाव नियम 40 के अन्तर्गत किसी अन्धे या अशक्त व्यक्ति के साथ कोई परिचर या प्रतिपत्री ( प्राक्सी ) की व्यवस्था है। अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया और अब नियम 40-क के अनुसार यह उपबन्ध अशिक्षित मतदाता के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है। इसके दो पक्ष हैं। एक औचित्य और दूसरे ऐसी बातें कानूनी रूप से भी न्यायोचित होनी चाहिये। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अन्तर्गत नियम बनाने की व्यवस्था है उसमें लिखा है कि सब प्रकार के चुनावों में, नियमानुसार मतदान होगा और प्रतिपत्री ( प्राक्सी ) द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। जहां तक अन्धे और अशक्त व्यक्ति का सम्बन्ध है, हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अशिक्षित व्यक्तियों के लिये यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। यह अशिक्षित व्यक्ति की इच्छा शक्ति का अधिकार उसके साथ आने वाले व्यक्ति को देने के समान होगा। साथ आने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का एजेण्ट भी हो सकता है। इस प्रकार वह राजनीतिक दल घन का प्रलोभन देकर ऐसे मत अपने पक्ष में कर सकता है। यह एक औचित्य का पक्ष है।

‘प्राक्सी’ शब्द का अर्थ है “एक व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिये दूसरे व्यक्ति का नियुक्त किया जाना” और हमारी संकल्पना और हमारे कानून के अनुसार मतदान का अर्थ है अपनी इच्छानुसार चिन्ह लगाना। अतः यदि कोई अन्य व्यक्ति चिन्ह अंकित करता है तो

इसका अर्थ है 'प्राक्सी' द्वारा मतदान है जो निश्चित रूप से निषिद्ध है। फिर संशोधित रूप में नियम 40 विधान सभा के सदस्यों द्वारा और परिषद निर्वाचन क्षेत्र में लागू होता है और यह मतदान राष्ट्रपति के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव के सम्बन्ध में होगा। मेरे विचार में यह हमारे लिये शर्म की बात होगी कि इस प्रकार के निर्वाचन में भी अशिक्षित व्यक्ति भाग लेंगे। फिर भी देश में यदि विधान सभा के अशिक्षित सदस्य अथवा अन्य स्थानों पर अशिक्षित व्यक्ति है तो उनके लिये चिन्ह निर्धारित किये जा सकते हैं।

अतः इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। इसमें कोई औचित्य नहीं है।

**विधि मन्त्री ( श्री गोविन्द मेनन ) :** मैं इस सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 169 (2) (ग) का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत मतदान के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। इस नियम में इस बात की भी व्यवस्था है कि शारीरिक रूप से अक्षम और अशिक्षित लोग किस प्रकार मत डालें। यह कोई नई बात नहीं है। निर्वाचन का संचालन नियमों के नियम 25 में लिखा है कि यदि कोई मतदाता अशिक्षित, अन्धा, अथवा किसी अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र पर चिन्ह नहीं लगा सकता और घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो वह उस मत-पत्र को सक्षम अधिकारी के पास ले जा सकता है और अपना मत दर्ज करवा सकता है। नियम 40 का सामान्य नियम 39 का अपवाद है। उसमें लिखा है कि यदि पीठासीन अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति अन्धा या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कारण चिन्ह पहचानने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उसे उसके साथ एक और व्यक्ति मतदान के कमरे में ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छानुसार मतदान करे। इस व्यवस्था के बिना एक अन्धा व्यक्ति कैसे मतदान कर सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यहां अशिक्षित व्यक्तियों का प्रश्न है। क्या अशिक्षित होने की सीमा की कहीं परिभाषा की गयी है।

**श्री गोविन्द मेनन :** नियम 70 में नियम 40 को अशिक्षित मतदानियों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है।

परिषद चुनावों में कुछ निर्वाचक नयी बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों आदि के होते हैं और परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। संसदीय समितियों के निर्वाचन की तरह विधान सभाओं के चुनावों में 20, 30 या 40 व्यक्तियों की सूची मतदाता को दे दी जाती है और उससे यह आशा की जाती है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां चिन्ह उन व्यक्तियों के नामों के आगे लगा दे जबकि उन पर कोई प्रतीक अंकित नहीं होता। यह एक कठोर सत्य है कि इन निर्वाचकों में अशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जिला परिषदों के निर्वाचन के स्तर की मुझे जानकारी है। परन्तु हमें अशिक्षित होने की कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिये अन्यथा हम इस कठिनाई को दूर नहीं कर सकेंगे।

**श्री गोविन्द मेनन :** नियम यह है कि पीठासीन अधिकारी को विश्वास हो जाना चाहिये कि निर्वाचक मतदान करने में असमर्थ है। फिर निर्वाचक को अपना साथी स्वयं निश्चित करना होता है और पीठासीन अधिकारी उससे गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर यह नियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि इन कारणों से बहुत से मतदाता अपना मतदान नहीं कर सकते। मेरे विचार में यह नियम ठीक है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या साक्षरता इतनी कम है कि इतने अधिक मतदाता मतदान नहीं कर सकते ? अब प्रश्न पूछे जायेंगे।

**श्री श्रीचन्द्र गोयल ( चन्डीगढ़ ) :** एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार 1952 से चुनाव होते रहे हैं। तभी से जिला परिषदों के सदस्यों को वोट देने के अधिकार दिये गये हैं। अब इनमें पंचायत समिति के सदस्य सम्मिलित किये गये हैं।

हमारे देश में साक्षरता बढ़ रही है। वर्ष 1952 के अपेक्षा अब स्थिति में काफी सुधार हो चुका है। अतः अब कोई नयी समस्या पैदा नहीं हुई जिसका समाधान किया जा रहा है। फिर निर्वाचन आयोग ने ऐसे आंकड़े नहीं बताये जिनके मत-पत्र इन अशिक्षित होने के कारण रद्द किये गये हों। नाम के सामने प्रतीक रखने से अशिक्षित व्यक्ति भी प्रतीक की पहचान करके मतदान कर सकता है। उसे केवल अंक ही तो पढ़ना होता है और मेरे विचार में पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा विधान सभा के सदस्य इतने शिक्षित तो होते ही हैं कि आंकड़े पढ़ सकें। अतः जब पहले कोई कठिनाई नहीं हुई तो 1968 के कादून में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** वर्ष 1950 से अशिक्षित मतदाताओं के बारे में कोई नियम नहीं बनाया गया है, परन्तु अब निर्वाचित लोगों के लिये यह नियम बनाने की क्या आवश्यकता है ? क्या यह बुरी बात नहीं है कि सरकार निर्वाचकों के बजाय निर्वाचित व्यक्तियों के लिये यह नियम बनाने का प्रयत्न कर रही है ?

**श्री गोविन्द मेनन :** यह ठीक है कि निरक्षरता कम हो रही है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ष 1952 में जो अशिक्षित थे, वे अब शिक्षित हो गये हैं। विधान सभा के लिये मतदान में पहले रंगीन बक्सों की पद्धति का प्रयोग किया गया था क्योंकि कुछ मतदाता अशिक्षित भी हैं। बाद में विभिन्न दलों के प्रतीक बनाये गये। परिषद के चुनावों में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से मतदान होता है और वहां कठिनाइयां सामने आती हैं। यदि कोई व्यक्ति उर्दू जानता है और मतपत्र अंग्रेजी या हिन्दी में छपे हों तो वह अशिक्षित ही समझा जायेगा। इस कठिन स्थिति में गोपनीयता का कुछ उल्लंघन करना ही पड़ेगा। जब तक अशिक्षित लोग हैं तभी तक यह नियम रहेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हमें बताया है कि उन्हें कई अभ्यावेदन मिले हैं पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कई सदस्य अनपढ़ हैं। इसलिये यह नियम आवश्यक है।



उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

“यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1520 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 25 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, रद्द कर दिये जायें।”

“यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatined.

## नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

### DISCUSSION UNDER RULE 193

#### जांच समिति (इस्पात सौदे) का प्रतिवेदन

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** It is observed from the report of Sarkar Committee that such semi judiciary enquiry will not be fruitful. In future we should enquiries should be entrusted to the existing Parliamentary Committees or any special committee should be set up for this purpose.

Top officials of the Government have been trying to adopt unhelpful attitude towards Sarkar Committee right from the beginning and they have been trying to stand in their way. The committee has also mentioned that they had to experience great difficulties in getting necessary papers from the Directors Revenue intelligence and Central Bureau of Investigation.

In my opinion majority report of Sarkar Committee is disappointing. I would suggest that Government should not overlook the note of dissension. It has its own importance. I want to suggest that charges regarding the relations of Sardar Swarn Singh, Sardar Hukam Singh and Shri Jagjiwan Ram with Amin Chand Pyare Lal should be got investigated through Director, Revenue Intelligence and Central Bureau of Investigations.

The hon'ble Minister had said that it is difficult to take action against Shri Boothalingam because he has already been retired. I think Government could easily deduct his pension. Atleast they could stop payment being made to him for the other services being assigned to him. Other officers are also guilty of destroying necessary documents. It has been stated in the note of disension that in other Ministries original drafts are generally preserved in a separate bundle entitled "K.W. (Keep with) but it is not being done in Ministry of Iron and Steel. They want to conceal their offence in this manner. Shri Boothalingam and Shri Bam have favoured some firms and it has been accepted by Sarkar Committee.



It has now been proved that former Secretary, Ministry of Iron and Steel, Shri Wanchoo has given false evidence before Public Accounts Committee and he was helped by Deputy Steel Controller.

Shri S.B. Mukherjee : It is clear from Shri Padhi's note of dissent that Ram Krishan Kulwant Rai a sister concern of Amin Chand Pyare Lal has been favoured. Government can easily take action against such firms with the powers enjoyed by the Government. Drastic action should be taken against such guilty officers and defaulter firms.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मेरे पास श्री पी० सी० घोष द्वारा श्री जगजीवन राम के पुत्र श्री कुमार को लिखा एक पत्र है। यह एक गम्भीर बात है क्योंकि यह करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप को आयात-पूर्व लाइसेंस क्यों दिया गया था ? इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद अमीनचन्द प्यारेलाल और रामकृष्ण कुलवन्तराय फर्मों को कितने लाइसेंस दिये गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोई टेन्डर मंगवाया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि अमीनचन्द प्यारेलाल के साथ सम्बन्ध रखने वाले मंत्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की गई तो सरकार समिति का प्रतिवेदन निरर्थक हो जायेगा।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : लोक लेखा समिति की सिफारिश पर सरकार समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी मामलों की जांच की है। फाइलों में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद समिति ने असाधारण राज-पत्र जारी करके और समस्त देश में सभी समाचारों में सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके जनता से भी साक्ष्य मांगा था। इस अधिसूचना के बावजूद उन्हें केवल 9 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनमें से केवल श्री वी० वी० स्वामी की ऐसी शिकायत थी जो जांच के योग्य थी। जांच करने से समिति को पता चला कि वह शिकायत ठीक नहीं थी। अन्य शिकायतें इस्पात की सप्लाई के सम्बन्ध में थी।

वर्तमान चर्चा के दौरान जो मामले उठाये जा रहे हैं वे इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकते। जो पत्र अब सभा के समक्ष लाया जा रहा है वह समिति के समक्ष लाया जाना चाहिये था। परन्तु समिति के समक्ष ऐसी कोई चीज नहीं लाई गयी।

इस समिति ने 13 अधिकारियों को किसी न किसी रूप में दोषी पाया था। इन 13 अधिकारियों में से 4 सेवा निवृत्त हो गये हैं। अनुच्छेद 314 और नियम 351 (क) के उपबन्धों के अनुसार आई० सी० एम० अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन है। श्री बृथलिंगम वर्ष 1967 में सेवा निवृत्त हुए थे जबकि समिति का प्रतिवेदन अप्रैल 1968 में प्रकाशित हुआ था। फिर 1960-61 में कार्यवाही का कारण था। संविधान के उपबन्धों के अनुसार यदि कार्यवाही का कारण सेवा निवृत्ति से 4 वर्ष पूर्व का है तो कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। जहां तक कराधान जांच समिति में नियुक्ति की बात का सम्बन्ध है, यह नियुक्ति भी इस समिति के प्रतिवेदन से पहले की गई थी। अन्य अधिकारियों में से श्री बाम को आरोप-पत्र दिया गया था, उसका उत्तर मिल गया है और उसकी छानबीन की जा रही है। शेप 2-3 मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गये हैं, उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें

आरोप-पत्र दिये जायेंगे। सरकार समिति द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

सरकार समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने से बहुत पहले वर्ष 1966 में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने सभी महत्वपूर्ण फर्मों पर, जिनमें अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप भी सम्मिलित हैं, प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु जब इस फर्म ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन पर प्रतिबन्ध लगाना लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के लिये आवश्यक नहीं था क्योंकि निर्यात तथा आयात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुये निर्यात-आयात नियंत्रक ने इन व्यवसाय संगठनों को यह सूचना जारी की है कि क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये अथवा नहीं? परन्तु इसके अलावा सरकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इनके कुछ मामले उच्च न्यायालय में पंच निर्णय अथवा निर्णय होने के लिये पड़े हैं अतः उन मामलों पर उन्होंने विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

निर्यात-आयात नियंत्रण आदेश अथवा विदेशी विनिमय नियमों के उल्लंघन के कारण कुछ अन्य मामले रिजर्व बैंक को सौंपे गये हैं जिसने उन मामलों को आगे केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया है, प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। आय कर और बिक्री कर के उल्लंघन के बारे में सांविधिक व्यवस्था है और यह समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता कि वह इसकी जांच करे। यह समिति विनिमय सौंदो तथा अन्य विषयों की ही जांच करेगी।

1959--60 में सेमीस की बहुतायत हो गई थी और मिलों में तैयार करने की क्षमता नहीं थी अतएव यह कहा गया कि सेमीस का निर्यात किया जा सकता है, उस समय हमें एक विशेष प्रकार के इस्पात की आन्तरिक खपत के लिये आवश्यकता थी अतएव यह निर्णय किया गया कि सेमीस का निर्यात किया जाये, यह निर्णय 1960 में लिया गया। निर्यात के लिये 29 पार्टियों ने आवेदन पत्र दिया लेकिन कुछ ही पार्टियों को निर्यात करने के लिये आयात के पूर्व के लाइसेंस 1.6 लाख मीट्रिक टन इस्पात के लिये दिये गये जिनमें ने 80,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया और बाकी मात्रा का न्यायालयों में मामले होने के कारण निर्यात न हो सकी।

सरकार समिति ने कहा है कि आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं अतएव कमी को देखते हुए हिन्दुस्तान स्टील को निर्यात करने के लिये अनुमति दे दी गई।

जहां तक रामकृष्ण कुलवन्तराय का सम्बन्ध है, जिसने हिन्दुस्तान स्टील के साथ स्थायी ठेका करने के बाद आयात-पूर्व लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, उसके मामले को सरकार समिति ने जांचा है और उसके प्रतिवेदन के अनुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

**Shri Madhu Limaye :** Why the help of investigating agencies was not taken by the Sarkar Committee and secondly whether the hon. Minister will say something regarding the false evidence given by Shri Wanchoo before the Committee.

श्री प्र० च० सेठी : जहां तक विशेष व्यक्ति और एजेंसी के मदद लेने का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री श्रीवास्तव, जोकि सीमाशुल्क के अतिरिक्त कलक्टर थे, से मदद देने की प्रार्थना की गई थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी प्रकार एक अन्य सीमाशुल्क अधिकारी श्री केलकर ने भी मदद देने में असमर्थता प्रकट की, जहां कहीं भी सम्भव पाया गया ऐसे मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपा गया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कुछ विशेष अधिकारी अथवा एजेंसी की मदद इस जांच कार्य में नहीं ली गई।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I want to know whether the Hon. Minister has the knowledge that the Messers Amin Chand Pyare Lal Jullundhar was a very small firm which neither export anything nor pay more income tax. Since the Government of Punjab gave order of poles to the firm, so she committed black marketing in it. Do you know that this firm was black listed thrice ? It may be in your knowledge that questions against the firm were raised in both Houses but the Government denied it. Are you aware that this firm changed many names and continued to draw quota in coalition with officers ? What do you say about the embezzlement committed by the Punjab National Bank.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : The Sarkar Committee was formed on the recommendations of Public Accounts Committee. It made enquiry and some findings came to light. One is about the Bank Guarantee. The Committee have asked to take action against those officials who are responsible for the lapse of Bank Guarantee. But the purpose for which the Bank Guarantee was given could not be fulfilled. Goods worth five crores rupees was imported and only goods worth 2½ crores rupees exported. What action the Government will take to fulfill the Bank Guarantee. Secondly what action is being taken by the Government to compel the concerned parties to make up the shortfall. Thirdly, the Committee have pointed out that the rules of the office are not followed and there is much mismanagement. So what action is being taken to implement the recommendations made by the Committee in this respect ?

Shri P. C. Sethi : The Government are taking action against those corrupt officials who have been named by the Sarkar Committee for releasing the Bank Guarantee in dribble form. It is correct that there was no drill in keeping the record in the office of Iron and Steel Controller. The Sarkar Committee have also admitted this. We have appointed Special Officer Shri Mangat Ram to make enquiry for not following the Drill. I will again give assurance to the House that the Government will follow the recommendations as made by the Sarkar Committee.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1968 29 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 20, 1968 Agrahayana 29, 1890 (Saka),